



असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

22 फरवरी, 2024

सप्तदश विधान सभा

एकादश सत्र

वृहस्पतिवार, तिथि 22 फरवरी, 2024 ई0

03 फाल्गुन, 1945 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाहन)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। अब प्रश्नोत्तर काल होगा।

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, मैं सूचना पर हूँ।

अध्यक्ष : क्या सूचना है आपका ?

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में आश्वासन दिया कि 9.45 से 4.00 बजे तक क्लास चलेगा, कल ही चिट्ठी निकली है.....

अध्यक्ष : माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो होगा।

श्री चन्द्र शेखर : महोदय, दूसरी बात

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर काल होगा, अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे। श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह। उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी-अपनी जगह पर खड़े हो गये)

प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न सं0-18(श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, क्षेत्र सं0-194,आरा)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अस्वीकारात्मक।

राज्य के अधिकांश जिलों के समाहर्ताओं से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में सड़क परियोजनाओं, पावरग्रिड, स्कूल, पंचायत भवन एवं अन्य परियोजनाओं के लिए अधियाचनाओं के आलोक में सरकारी भूमि उपलब्ध करायी जाती है।

यदि किसी सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण से संबंधित मामला संज्ञान में आता है तो उस पर बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत अतिक्रमण मुक्त कराने की त्वरित कार्रवाई की जाती है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : घोषणा का पालन होगा। माननीय सदस्य पूरक पूछिए।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, जवाब तो है लेकिन जवाब अपूर्ण है। इसलिए मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सभी 38 जिलों में गैर-मजरूआ खास, गैर-मजरूआ आम, खास समेत सभी प्रकार की सरकारी जमीन करीब 16 लाख 39 हजार 676 प्लॉट ऐसे हैं जो अवैध कब्जे में है महोदय तो क्या उन अवैध कब्जों से सरकारी जमीन सरकार मुक्त कराना चाहती है, मैंने तो यह प्रश्न किया है महोदय और उत्तर में ऐसा कुछ आया ही नहीं है। सरकार की मंशा अवैध जमीनों को मुक्त कराने की है या नहीं, यह मैं जानना चाहता हूँ पहला प्रश्न मेरा यह है ?

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो चिन्ता है, वह उचित है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाईए-बैठ जाईए। माननीय सदस्यगण, अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाईए।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं इनको जानकारी दे दूँ कि गैर मजरूआ आम, खास, खासमहाल, केसरे हिन्द विभिन्न विभागों के स्वामित्व से संबंधित लोक भूमि के अतिक्रमण से मुक्त कराये जाने का अनुरोध किया गया। उसके अतिरिक्त माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-9692/2015 रामपुनित चौधरी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित आदेशों के तहत सार्वजनिक जल निकाय वाटर बॉडी को भी अतिक्रमण मुक्त कराया जाना है। इस संबंध में कतिपय जिलों के द्वारा सराहनीय कार्य किये गये हैं तथा कदापि जिलों में अभी भी लोक भूमि अतिक्रमण मुक्ति का कार्य असंतोषप्रद है। माननीय सदस्य को कोई पार्टिकुलर खास जगह की जानकारी हो तो जानकारी दें इमीडियेट सरकार उसपर ऐक्शन लेगी और उसको अतिक्रमण मुक्त करायेगी।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : बैठ जाईए। वेल से कही जाने वाली कोई भी बात प्रोसिडिंग्स में नहीं जायेगी, आप लोग आसन ग्रहण कीजिए और शून्य काल में आपकी बात सुनेंगे। शून्य काल में आपकी बात सुनेंगे, अभी आपलोग बैठ जाईए।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, पार्टिकुलर जमीन की बात मैंने नहीं की है, मैंने तो कुल सरकारी जमीन जो अवैध कब्जे में है, उसे मुक्त कराने की बात कही है और मैं सरकार से यही आश्वासन चाहता हूँ कि सरकार क्या अवैध कब्जा हटाने हेतु

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जमीन सूची एवं जमाबंदी सूची का मिलान कर अवैध कब्जा हटाने हेतु जो अवैध जमाबंदी है, उसे रद्द करके यह काम करना चाहती है ?

अध्यक्षः माननीय मंत्री ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, उल्लेखनीय है कि लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा 3 में अतिक्रमणवाद प्रारम्भ किये जाने एवं अतिक्रमणकर्ता को नोटिस निर्गत कर कारण पृच्छा किये जाने का प्रावधान है । उक्त अधिनियम की धारा-2(1) में अतिक्रमण अधिनियम के अन्तर्गत अंचलाधिकारी को समाहर्ता की शक्ति प्रदत्त किये जाने से संबंधित आदेश दिया गया है और हमने कहा कि हरेक जिलों को यह आदेश निर्गत है और संबंधित पक्ष उस पर एक्शन भी ले रहे हैं । हमने पर्सनल जमीन की बात नहीं की है, हमने कहा है कि कहीं पर कोई सूचना है जिलाधिकारी के पास, जानकारी आती है तो उसको प्राथमिकता में लेकर के वे उसपर एक्शन लेकर के उसको जमीन पर उतारने का काम करेंगे ।

अध्यक्ष : हो गया । सरकार तो सजग है इस मामले में ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, एक है । महोदय, सरकार चाहती है कि लैंड बैंक बनाये और लैंड बैंक के लिए जरूरी है कि सरकार ने जो आदेश दिया है, वह तो ठीक है लेकिन जिलों में जिलाधिकारी और उन्होंने क्या प्रयास किया है और उनके प्रयास के फलस्वरूप जो उपलब्धियां हासिल अब तक सरकार ने की है, उसकी जानकारी क्या सदन को दे सकते हैं ?

अध्यक्ष : यह तो निरन्तर प्रयास होते रहता है । हमेशा अवैध कब्जा से मुक्ति का अभियान चलते रहता है ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : उसकी जानकारी दे सकते हैं ?

अध्यक्ष : उसकी जानकारी अभी कैसे हो सकती है ?

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : माननीय सदस्य अगर इसकी जानकारी चाहते हैं तो हम उसकी जानकारी विभाग के अन्दर तीन दिनों के अन्दर हम मांगते हैं और इसकी जानकारी आपको उपलब्ध करा देंगे ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आपलोग बैठ जाईए, माननीय मंत्री जी अपनी बात बोलेंगे । आपलोग अपने-अपने स्थान पर बैठ जाईए । पहले आपलोग अपने-अपने स्थान पर बैठिए, माननीय मंत्री जी इसके बारे में बतायेंगे । पहले अपने स्थान पर बैठिए ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल से अपने-अपने स्थान पर चले गये)
(व्यवधान)

भाई वीरेन्द्र जी, बैठ जाईए । माननीय मंत्री जी ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कल आसन भी साक्षी है और सारे सदन के लोगों ने बात उठायी थी और इसमें सभी पक्ष के सदस्यों की सहमति थी कि विद्यालय 10 से 4 चले और शिक्षक 15 मिनट पहले पौने दस बजे तक विद्यालय पहुँच जायें । यह माननीय मुख्यमंत्री जी की आधिकारिक घोषणा सदन में है और माननीय सदस्य आज कह रहे हैं कि जिला स्तर के कुछ जिलों के पदाधिकारियों द्वारा कुछ इससे अलग हटकर के कोई निर्देश जारी किया गया है। सरकार उसको जरूर देखेगी और मुख्यमंत्री जी की इस सदन में जो घोषणा है, सरकार उसका अनुपालन सुनिश्चित करेगी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : ठीक है । अब क्या है ? अब आपलोग बैठिए । इतनी अच्छी बात हो गई, आप जो चाहते थे, वही बात हो गई ।

माननीय सदस्य श्री देवेश कान्त सिंह ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-19(श्री देवेश कान्त सिंह, क्षेत्र सं0-111, गोरेयाकोठी)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि रबी 2023-24 में आच्छादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है । राज्य में बिहान ऐप के माध्यम से गाँव स्तर से आच्छादन का आंकड़ा प्राप्त किया जा रहा है ।

दिनांक 3 जनवरी, 2024 तक बिहान ऐप पर गेहूँ के आच्छादन के लक्ष्य 25.509 लाख हेक्टेयर के विरुद्ध 23.005 लाख हेक्टेयर प्रतिवेदित किया गया है जो लक्ष्य का लगभग 90.18 प्रतिशत है । परन्तु रबी 2023-24 के अंतिम आच्छादन प्रतिवेदन के अनुसार गेहूँ के आच्छादन का लक्ष्य 25.697 हेक्टेयर के विरुद्ध 25.284 लाख हेक्टेयर प्रतिवेदित है जो लक्ष्य का 98.39 प्रतिशत है । गत वर्ष गेहूँ के आच्छादन का लक्ष्य 25.076 लाख हेक्टेयर रखा गया था तथा आच्छादन की उपलब्धि 25.263 लाख हेक्टेयर (100.75 प्रतिशत) प्राप्त हुई । इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में 0.021 लाख हेक्टेयर में अधिक आच्छादन हुआ है । अतः कृषकों को कोई हानि नहीं हुई है ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए ।

श्री देवेश कान्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, पूरक मैं यही पूछना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री द्वारा जो जवाब दिया गया है, मुझे लगता है कि इसकी पुनः जॉच करायी जानी चाहिए चूंकि स्थल पर यह स्थिति नहीं है। मैं आग्रह करता हूँ माननीय मंत्री जी से कि इसको 98 प्रतिशत दिखाया जा रहा है, इसकी पुनः जॉच करा दी जाय और एक आग्रह है, साथ में कह देना चाहता हूँ, चूंकि हुआ है तो 98.5 प्रतिशत किसानों को उसके अनुसार पटवन का पैसा मिल जायेगा, क्योंकि राजस्व विभाग में किसी के पुश्टैनी जमीन पर कागज होने के बजह से या टोपो लैंड का कागज बता देने से बहुत सारे किसानों को पूरा बोआई होने के बाद भी पटवन का पैसा नहीं मिला है। चूंकि मंत्री जी दोनों विभाग के मंत्री हैं, इसलिए मैं किसानों के लिए उनसे विशेष रूप से आग्रह कर रहा हूँ कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तरफ से यह कार्यक्रम किया जाय कि कृषि और किसान दोनों को लाभ हो चूंकि माननीय मुख्यमंत्री और सरकार दोनों की इच्छा यही है कि किसानों को लाभ मिले, किसान मजबूत हो।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : माननीय सदस्य, जो कह रहे हैं कि फिर से जॉच कराने का, मैं इसको फिर से देखवा लेता हूँ और बात रह गई कि जिस जमीन का कृषकों को लाभ नहीं मिलता है, उसकी भी हमलोग समीक्षा कर लेंगे और हमारी प्राथमिकता रहेगी कि उन लोगों को भी मिले।

श्री देवेश कान्त सिंह : आभार।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-20(श्री अरुण शंकर प्रसाद, क्षेत्र सं0-33, खजौली)
(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : (1) स्वीकारात्मक। विभागीय पत्रांक 1013(9), दिनांक 20 अप्रैल, 2023 द्वारा सभी समाहर्ता, बिहार को यह निर्देशित किया गया कि राज्य के सभी ऑनलाइन जमाबंदी में मोबाईल नम्बर तथा आधार सीडिंग की प्रक्रिया की जाये।

(2) वर्तमान समय में राज्य में संधारित कुल जमाबंदियों की संख्या 4 करोड़ 8 लाख है, जिसमें से अभी तक 84 लाख 36 हजार 431 जमाबंदियों को आधार नम्बर से पूर्णरूपेण जोड़ दिया गया है।

(3) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग राज्य में संधारित कुल जमाबंदियों को आधार नम्बर से जोड़ने हेतु दृढ़ संकल्पित है। वर्ष 2024 के अंत तक राज्य में संधारित सभी जमाबंदियों को आधार नम्बर से जोड़ने का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है अरुण शंकर जी, पूरक पूछिए ।

श्री अरुण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा जो उत्तर प्राप्त हुआ है, उसमें बताया गया है कि राज्य में संधारित कुल जमाबंदियों की संख्या 4 करोड़ 8 लाख है और जिसमें से केवल 84 लाख 36 हजार 431 जमाबंदियों को ही आधार से अभी तक लिंक किया जा चुका है महोदय । यह इतनी धीमी प्रक्रिया है तो महोदय, दूसरे खंड में इन्होंने जो उत्तर में बताया है कि वर्ष 2024 के अंत तक राज्य में संधारित सभी जमाबंदियों को आधार नम्बर से जोड़ने का काम पूरा हो जायेगा ।

महोदय, इसमें मेरा जानने का विषय यही है माननीय मंत्री जी से कि इतने दिनों में आपने 20.04.2023 द्वारा सभी समाहर्ताओं को राज्य में संसूचित किया था, निर्देशित किया था कि आधार सीडिंग की प्रक्रिया की जाय और 20.04.2023 से लेकर आज 2024 में हमलोग खड़े हैं महोदय फरवरी में, अभी तक केवल 84 लाख जमाबंदियों को आधार से लिंक किया गया है तो माननीय मंत्री जी ये बतायेंगे कि किस पद्धति के तहत आप आगामी 2024 के अंत तक इन सारे जमाबंदियों को कर देंगे, जबकि सुलभ जमाबंदियों को पहले किया गया है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

टर्न-2/शंभु/22.02.24

श्री विजय कुमार सिन्हा,उप मुख्यमंत्री : महोदय, माननीय सदस्य की चिंता सही है, लेकिन जो गति है काल और परिस्थिति के अनुसार ठहर गयी थी वह गति फिर से बढ़ेगी और नये टेक्नोलॉजी के साथ हम जब समीक्षा करेंगे तो जब सरकार का लक्ष्य है कि 2024 के अंत तक इसको पूर्ण करेंगे तो पूर्ण करने की पूरी व्यवस्था बनेगी ।

श्री अरुण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, यह राज्य की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और जितने मामले लंबित हैं न्यायालय में उसमें से 80-90 परसेंट मामले जमीन का है और जब आधार से लिंक हो जायेगा तो फर्जी केवाला जो हो रहा है वह रुकेगा । इसलिए इसमें तीव्रता लाने के लिए क्या-क्या उपाय माननीय मंत्री जी करना चाहते हैं, क्या-क्या निर्देश देना चाहते हैं अपने अधिकारियों को यह सदन जानना चाहेगा, बतायें कैसे पूरा कर लेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ने तो कहा है कि नयी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : माननीय मंत्री ने तो कहा है कि नयी टेक्नोलॉजी तो नयी टेक्नोलॉजी में आप किस चीज का सहारा लेंगे, किस गति से करेंगे इसको, कितने अधिकारी लगेंगे इसमें आखिर समीक्षा तो पूरी होनी चाहिए।

अध्यक्ष : इतनी गणना कैसे याद रख सकते हैं। सरकार ने जब कहा कि 2024 के अंत तक इसको पूरा कर देंगे तो विश्वास करना चाहिए।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, सरकार ने तो 2023 में ही कहा था कि इसको संधारित कर लेंगे।

अध्यक्ष : काल और परिस्थिति की भी चर्चा की है माननीय मंत्री जी ने आधी बात सुने हैं पूरी बात सुनिये।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : कौन सी ऐसी काल परिस्थिति आई महोदय, कोरोना भी इस बीच में नहीं आया है।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, फिर से बोलिये।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : माननीय सदस्य के पास कोई सुझाव है तो वे दे देंगे, लेकिन हमने बताया है कि इसकी समीक्षा करेंगे और समीक्षा करके यह सही है कि 4 करोड़ 8 लाख जो जमाबंदी है, वह आधार से जुड़ने के बाद भू माफियाओं से मुक्ति ही नहीं मिलेगी बल्कि अपराध की गति भी थमेगी। इसको सरकार पूरी तरह से सजग है इसको प्राथमिकता में कराने के लिए।

श्री शकील अहमद खां : महोदय, 30 सेकेंड चाहिए हमको।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : शकील साहब एक मिनट।

अध्यक्ष : अभी इनका है, अभी इनका तीसरा पूरक है आप बैठिए। शकील साहब, बैठिए।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, मेरा यह कहना है कि अभी तक सभी अंचल में अंचलाधिकारी नहीं हैं और आरोड़ो द्वारा काम लिया जा रहा है और सभी आरोड़ो को अभी तक आय प्रमाण पत्र बनाने तक की अनुमति नहीं है। कई प्रखंडों में और दूसरे प्रखंड से आय प्रमाण पत्र बनकर आता है तो इस परिस्थिति में पहले तो आरोड़ो को क्या-क्या पावर आप देंगे, यह निर्धारित कर दीजिए ताकि ये सब काम सुचारू ढंग से पूरा हो सके।

अध्यक्ष : ठीक है पूछिए। कह रहे हैं, कि पूछ रहे हैं।

श्री शकील अहमद खां : उसमें कल दो बार सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने के बावजूद उस व्यक्ति ने शिक्षा के लिए बात नहीं मानी और दूसरा उसने गालियां दी है।

अध्यक्ष : शून्यकाल में उठाइयेगा।

(व्यवधान)

अल्पसूचित प्रश्न सं-21(श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह)क्षेत्र सं0-194,आरा
 (लिखित उत्तर)

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, 1- आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी के द्वारा सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को साकार करने एवं ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवा उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा पैक्स को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र खोलने हेतु पात्र बनाया गया है। इस योजना अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन हेतु वैसे पैक्सों का चयन किया जाना है जिसका अंकेक्षण वर्गीकरण उच्च कोटि का हो, संबंधित पैक्स आर्थिक रूप से समृद्ध हों। ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित पैक्सों को प्राथमिकता तथा उपकार हेतु ग्रामीण क्षेत्र के पैक्सों के बीच एक कि0मी0 से अधिक दूरी होनी चाहिए। महोदय, सचिव, सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अर्द्ध सरकारी पत्र सं0-आर/11016/66/2023-सी0टी0पी0, दिनांक 05.07.2023 के आलोक में निर्धारित तिथि दिनांक 31.07.2023 तक प्रत्येक जिलों से इच्छुक योग्य पात्र 05 पैक्सों को ऑनलाइन आवेदन हेतु निबंधक, सहयोग समितियां के पत्रांक-4331, दिनांक 12.07.2023 एवं पत्रांक-4570, दिनांक 21.07.2023 द्वारा सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी को निर्देशित किया गया था।

2-सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार राज्य के 38 जिलों से अधिकारिक लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित तिथि तक 203 ऑनलाइन आवेदन हुआ है। जिसमें से सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार फार्मास्यूटिकल एवं मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया (पी0एम0बी0आई0) द्वारा 105 पैक्सों को आरम्भिक स्वीकृति दी गयी है।

3- यह सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की योजना है। शेष बचे पैक्सों के संबंध में सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में सहकारिता विभाग से आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, जवाब आया है और वह जवाब ठीक ही है कि 203 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुआ था पैक्सों की ओर से। पैक्सों की ओर से 203 आवेदन प्राप्त हुआ था जिसमें 105 आपने स्वीकृत किया है।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन के बेल में आ गये।)

अध्यक्ष : देखिए माननीय मंत्री जी ने बड़ा साफ-साफ कहा है, स्पष्ट रूप से जवाब दिया है कि जो घोषणा हुई है उसका पालन होगा फिर ये सवाल उठाने का क्या मतलब

है? ये कोई अर्थ नहीं है, जब माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से घोषणा कर दिया कि उसका पालन होगा तब ये सवाल खड़ा करने का कोई औचित्य नहीं है। ये गलत है, आपलोग अपने स्थान पर बैठिए।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, मैं जानना यह चाहता हूँ कि 8474 जो पंचायत हैं उन पंचायतों में पैक्स हैं, पैक्सों का चुनाव हुआ है और उतने पैक्सों में से केवल 203 आवेदन प्राप्त हुए जो उनके तरफ से प्रस्ताव आना था तो महोदय, प्रस्ताव नहीं आ रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में, उसका कारण जानने का प्रयास क्या सरकार ने किया है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये, बैठ जाइये।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, 1- आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी के द्वारा सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को साकार करने एवं ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवा उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा पैक्स को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र खोलने हेतु पात्र बनाया गया है। इस योजना अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन हेतु वैसे पैक्सों का चयन किया जाना है जिसका अंकेक्षण वर्गीकरण उच्च कोटि का हो, संबंधित पैक्स आर्थिक रूप से समृद्ध हों। ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित पैक्सों को प्राथमिकता तथा उपकार हेतु ग्रामीण क्षेत्र के पैक्सों के बीच एक किमी० से अधिक दूरी होनी चाहिए। महोदय, सचिव, सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अर्द्ध सरकारी पत्र सं-आर/11016/66/2023-सी०टी०पी०, दिनांक 05.07.2023 के आलोक में निर्धारित तिथि दिनांक 31.07.2023 तक प्रत्येक जिलों से इच्छुक योग्य पात्र 05 पैक्सों को ऑनलाइन आवेदन हेतु निबंधक, सहयोग समितियां के पत्रांक-4331, दिनांक 12.07.2023 एवं पत्रांक-4570, दिनांक 21.07.2023 द्वारा सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी को निदेशित किया गया था।

2-सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार राज्य के 38 जिलों से अधिकारिक लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित तिथि तक 203 ऑनलाइन आवेदन हुआ है। जिसमें से सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार फार्मास्यूटिकल एवं मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया द्वारा 105 पैक्सों को आरम्भिक स्वीकृति दी गयी है।

3- यह सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की योजना है। शेष बचे पैक्सों के संबंध में सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में सहकारिता विभाग से आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : प्रश्नकाल जनहित के मुद्दे पर होते हैं। आपके भी प्रश्न हैं इसलिए प्रश्नोत्तर काल बाधित नहीं कीजिए, अपने स्थान पर बैठिए। शून्यकाल में अपनी बात कहियेगा और जो विषय आप उठा रहे हैं माननीय मंत्री ने स्वयं कहा है। आप पहले अपनी जगह पर जाइये तब बोलवायेंगे उनको, अपने स्थान पर जाकर बैठिएगा तब माननीय मंत्री बोलेंगे। पहले अपने स्थान पर जाइये तब बात होगी। पहले अपने स्थान पर जाइये, बैठ जाइये, बैठ जाइये। बैठिए न बैठिए पहले, अरे बैठिए न। बैठ जाइये, मान जाइये, पहले बैठिएगा तब बोलेंगे। बैठिएगा तब बोलेंगे, बैठिए। बैठिए चन्द्रशेखर जी, शकील साहब बैठिए।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, मैं जानना चाहता हूँ.....

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी सीट पर आकर बैठ गये।)

अध्यक्ष : एक मिनट रुक जाइये। माननीय मंत्री जी।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हमारे विपक्ष के साथी एक के बाद एक मुद्दा उठाते जा रहे हैं.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : पहले सुन लीजिए न, माननीय मंत्री का जवाब सुनिये, पूरी बात सुनिये।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : और सभी की दिशा एक ही होती है। अध्यक्ष महोदय, हमने जो सुना और समझा क्योंकि ये लोग जब बोलते हैं तो कितने व्यक्ति एक साथ, कितने माननीय सदस्य बोलते हैं तो पूरी बात स्पष्टता से सुनी नहीं जाती है, लेकिन हमने जो सुना शायद किसी विडियो या टेप की बात ये लोग बोल रहे थे, कुछ गाली की बात कह रहे थे। महोदय, कल ये मुद्दा उस सदन में उच्च सदन में भी उठा था और हमने उसमें भी कहा था कि हमलोगों की सरकार के द्वारा जो इजाजत है।

(क्रमशः)

टर्न-3/पुलकित/22.02.2024

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री (क्रमशः) : किसी अधिकारी को सामान्य नागरिक को भी गालियां देने का अधिकार नहीं है तो शिक्षक या माननीय विधायक को कोई

अधिकारी कैसे गाली दे सकता है ? अगर किसी ने दी है जो ये लोग यहां कह रहे हैं, वहां तो एक पेनड्राइव में भी बात दिखाई गयी थी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कोई अनुमति नहीं है वीडियो दिखाने की ।

(व्यवधान)

इस तरह के परम्परा की शुरूआत मत कीजिए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, इससे पहले हम उस बात को पूरा कर लें । साथ ही, डॉ० चन्द्र शेखर जी से अनुरोध करना चाहते हैं कि आप पुराने सदस्य हैं, शिक्षा मंत्री भी रहे हैं । पहली बात कि मोबाइल में किसी वीडियो को बिना अध्यक्ष की इजाजत के सदन में और प्रेस गैलरी की तरफ देखकर नहीं दिखायी जाती है । दूसरी बात कि किसी अधिकारी ने जो ये लोग कह रहे हैं, मेरे पास भी है उस सदन में हमने सरकार की तरफ से कहकर आसन को अधिकृत किया है कि आप वहां टेप देख लें चूंकि वहां तो सब कम्यूटराईज्ड है, वहां पर सदस्य उस टेप को चलाने की बात कह रहे थे । हालांकि महोदय, हमने इस पर घोर आपत्ति दर्ज की क्योंकि अगर सदस्य अपने कथन के पक्ष में वीडियो क्लीपिंग या कोई डिस्प्ले दिखाना चाहेंगे तब तो एक-एक प्रश्न में एक-एक वीडियो चलने लगेगी । सब अपनी समस्या का वीडियो बना सकते हैं । इसलिए हमने उसकी वहां पर आपत्ति की और आसन ने भी हामी भरी कि यह उचित परम्परा नहीं होगी, यह नई परम्परा अच्छी बात नहीं है । जो हमारी संसदीय प्रणाली है उसके लिए यह अच्छी बात नहीं होगी ।

मैं फिर से सदन को आश्वस्त करता हूँ कि उच्च सदन के सभापति को वह टेप उपलब्ध है और उस सदन से सरकार की तरफ से भी हमने उनको अधिकृत किया है कि आप स्वयं टेप देख लें उसमें क्या आपत्तिजनक है, आपकी जो अनुशंसा होगी, सरकार मानेगी ।

अध्यक्ष : ठीक है, धन्यवाद । माननीय सदस्य अमरेन्द्र प्रताप जी ।

(व्यवधान)

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, मैं जानना चाहता था कि यह केन्द्र की अति महत्वपूर्ण योजना है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब हो गया है, अनावश्यक मत करिये । प्रश्नोत्तर काल चलने दीजिए ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : इस योजना का लाभ राज्य के जरूरतमंदों को मिलें, गरीबों को मिले, सस्ती दवाइयां उपलब्ध हों । प्रत्येक पैक्स केन्द्रों पर जन औषधि केन्द्र खुल जाए

और नहीं खुल पा रहा है 8474 में से सिर्फ 105 पर ही आप स्वीकृति दे पाये हैं। मैं यही जानना चाहता था सरकार से जिसका उत्तर सरकार ने सीधा नहीं दिया है कि क्या कारण है कि पैक्सों की तरफ से प्रस्ताव नहीं आये, यह जानने की कोशिश सरकार ने की है ?

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण बेल में आ गये)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : यह मामला उस सदन में उठ चुका है और वहां पीठासीन अधिकारी इस मामले की समीक्षा कर रहे हैं। बेहतर होगा कि वहां का फलाफल आने दीजिए उसके बाद विचार करेंगे। अपनी-अपनी सीट पर बैठ जाइये।
माननीय मंत्री ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, हमने स्पष्ट कर दिया है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार राज्य के 38 जिलों से आधिकारिक लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित तिथि तक 203 ऑनलाइन आवेदन हुआ है। जिसमें से सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार Pharmaceuticals & Medical Devices Bureau of India (PMBI) द्वारा 105 पैक्सों को आरम्भिक स्वीकृति दी गई है।

यह सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की योजना है। शेष बचे पैक्सों के संबंध में सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में सहकारिता विभाग से आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी। हमारा प्रयास जाकर होगा, शेष जो बच गये हैं उसके लिए हम प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द वहां भी व्यवस्था हो।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : जब पूरी बात हो गयी और उच्च सदन में मामला आ गया है, पीठासीन पदाधिकारी समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा करके रिपोर्ट आयेगी, तब विचार करेंगे। बैठिये, अपने-अपने स्थान पर जाइये।

अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे। श्री संजय कुमार गुप्ता।

तारांकित प्रश्न संख्या-596, श्री संजय कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-30, बेलसंड)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-597, श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र सं-62, पूर्णिया)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : 1- उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है।

समाहर्ता, पूर्णिया से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार दिनांक- 03.02.2024 के ऑनलाइन स्थिति के आधार पर अभियान बसेरा-2 के तहत पूर्णियां जिला अंतर्गत 2279 भूमिहीन लाभुकों को चिन्हित किया गया है।

2- उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है।

चिन्हित लाभुकों में से 329 लाभुकों को भूमि उपलब्ध करायी गयी है तथा भूमि पर दखल कब्जा दिलाया गया है।

3- शेष भूमिहीन परिवारों को नियमानुसार भूमि उपलब्ध कराने तथा दखल दिलाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, आप पूरक पूछिये।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का उत्तर आया है। अभियान बसेरा-1 एवं अभियान बसेरा-2। महोदय, यह सरकार की बहुत ही महत्वकांक्षी योजना है और उत्तर में पूर्णियां जिला में 2279 में 329 भूमिहीन परिवार को भूमि पर दखल कब्जा और वासगीत पर्चा देने की बात कही गयी है जबकि 2279 लोग चिन्हित हैं। विभाग द्वारा उसमें 50 लोगों को भी दखल कब्जा और वासगीत पर्चा नहीं दिया है। इसलिए मेरा पूरक है और पूर्णियां में भी पूर्णियां विधान सभा के पूर्णियां प्रखण्ड में 145 में से 10 लोगों को भी जमीन पर दखल नहीं दिलाया गया है।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये।

श्री विजय कुमार खेमका : महोदय, पूरक पूछ रहा है। महोदय, मेरा पहला पूरक है जो जवाब आया है इसकी जांच कराकर भूमिहीन परिवार को जमीन पर दखल कब्जा दिलाकर वासगीत पर्चा देने का काम सरकार कब तक करेगी?

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, उत्तर में स्पष्ट कर दिया गया है कि समाहर्ता, पूर्णियां से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार दिनांक- 03.02.2024 के ऑनलाइन स्थिति के आधार पर अभियान बसेरा-2 के तहत पूर्णियां जिला अंतर्गत 2279 भूमिहीन लाभुकों को चिन्हित किया गया है और चिन्हित लाभुकों में से 329 लाभुकों को भूमि उपलब्ध करायी गयी है तथा भूमि पर दखल कब्जा भी दिलाया गया है।

शेष भूमिहीन परिवारों को नियमानुसार भूमि उपलब्ध कराने तथा दखल दिलाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, वह भी जल्द होगी।

अध्यक्ष : अब हो गया । मंत्री जी का जवाब आ गया है ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, यही मेरा पूरक है कि जवाब अधिकारी का आया है कि 329 परिवार को दिला दिये हैं लेकिन जमीन पर 50 लोगों को भी कब्जा नहीं दिलवाया गया है । क्या मंत्री जी, इसकी जांच करा लेंगे ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, दिखवा लीजिये इस मामले को ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : ठीक है, उसको हम दिखवा लेते हैं ।

श्री विजय कुमार खेमका : महोदय, मेरा दूसरा पूरक है ।

अध्यक्ष : अब हो गया, माननीय मंत्री जी इस मामले को दिखवा लेंगे ।

(व्यवधान जारी)

तारांकित प्रश्न संख्या-598, श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27, बाजपट्टी)
(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-599, श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव (क्षेत्र सं-216, जहानाबाद)
(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-600, श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र सं-62, पूर्णिया)
(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अस्वीकारात्मक ।

राज्यान्तर्गत कई जिलों के नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत क्षेत्र में म्यूनिसिपल सर्वे के दौरान भूमिका लगान तालिका (Rent roll) तैयार नहीं होने एवं रैयतों के लगान निर्धारण नहीं रहने के कारण उक्त भूमिका राजस्व वसूली नहीं होने की शिकायत प्रकाश में आने पर विभागीय पत्रांक-2979 (9), दिनांक-09.10.2023 से अधिसूचना निर्गत किया गया और पत्रांक-01/ भू० अ० नि (9)-विविध (Rent roll) 43/23- 9320, दिनांक- 21.12.2023 से लगान निर्धारण संबंधी मानक प्रक्रिया एस0ओ०पी० भी निर्गत की गई है, जिसके आलोक में रेंट रोल का निर्धारण किया जा रहा है । उक्त विभागीय अधिसूचना द्वारा म्यूनिसिपल सर्वे के पश्चात् वार्डवार तैयार खतियान सम्पुष्टि के समय में प्रवृत्त समतुल्य भूमि के लगान दर पर लगान तालिका (Rent roll) तैयार करने हेतु एक बार के लिए उक्त क्षेत्र के अपर समाहर्ता को म्यूनिसिपल सर्वे सुप्रिटेंडन्ट की शक्ति प्रदान की गई है ।

समाहर्ता पूर्णियां से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार पूर्णियां शहरी क्षेत्र की वैसी भूमि जिसका लगान पूर्व में निर्धारित नहीं था, का लगान निर्धारण सक्षम प्राधिकार भूमि सुधार-उपसमाहर्ता, सदर पूर्णियां के न्यायालय द्वारा अंचल अधिकारी, पूर्णियां पूर्व से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर 2045 मामलों में लगान निर्धारण की स्वीकृति उनके द्वारा दी जा चुकी है।

वर्तमान में भी, पूर्णियां शहरी क्षेत्र की वैसी भूमि जिसका लगान पूर्व से निर्धारित है, का ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त आवेदन के आलोक में नियमानुसार नामान्तरण अंचल अधिकारी, पूर्णियां पूर्व द्वारा किया जा रहा है।

विभागीय पत्रों द्वारा लगान निर्धारण संबंधी मानक प्रक्रिया (एस0ओ0पी0) निर्गत की गई है, जिसके आलोक में Rent roll का निर्माण अंचल अधिकारी, पूर्णियां पूर्व द्वारा किया जा रहा है।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, आप पूरक पूछिये।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जवाब आया है और हमारे यहां 1979 से लगान लंबित है और लगभग पूर्णिया शहर में...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बैठ जाइये। अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइये।

श्री विजय कुमार खेमका : जो राजस्व वार्ड 20 है। जिसमें 10,000 जमाबंदी है और 50,000 रैयती परिवार और खास महाल के परिवार है, जिनका लगान निर्धारित नहीं हुआ है, उसके लिए सरकार ने अभी नियम बनाया है।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बैठ जाइये।

श्री विजय कुमार खेमका : कि उसमें जो एस0ओ0पी0 निर्धारित किया है जिसके द्वारा लगान निर्धारित होना है, इसलिए मेरा पूरक है महोदय कि जो 50,000 रैयत हैं जिसमें कि आपको खास महाल के भी लोग हैं उनके रेंट रोल का काम कब तक पूरा होगा और लगान निर्धारण कब तक होगा, इसकी निर्धारित तिथि बताने का काम करें।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बर्हिगमन कर गये)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट तौर पर सक्षम प्राधिकार भूमि सुधार-उपसमाहर्ता, सदर पूर्णियां के न्यायालय द्वारा अंचल अधिकारी, पूर्णियां पूर्व से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर 2045 मामलों में लगान निर्धारित की स्वीकृति उनके द्वारा दी जा चुकी है।

वर्तमान में भी, पूर्णियां शहरी क्षेत्र की वैसी भूमि जिसका लगान पूर्व से निर्धारित है, का ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त आवेदन के आलोक में नियमानुसार नामान्तरण अंचल अधिकारी, पूर्णियां द्वारा किया जा रहा है।

विभागीय पत्रों द्वारा लगान निर्धारण संबंधी मानक प्रक्रिया (एस0ओ0पी0) निर्गत की गई है, जिसके आलोक में Rent roll का निर्माण अंचल अधिकारी, पूर्णियां पूर्व द्वारा किया जा रहा है।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, रेंट रोल की गति इतनी धीमी है कि 50,000 रैयत का रैयतधारी जो जमीन भू-धारी है, उनका जो रेंट निर्धारण होना बहुत कठिन है। इस प्रक्रिया को सरल बनाकर के और द्रुत गति से हो और उसके साथ में क्या खास महाल की जमीन में जो बसे हुए हैं उनका भी रेंट निर्धारण होगा ?

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को यह जानकारी है कि टोपोलैण्ड/खास महाल के संदर्भ में कई बार सरकार का जवाब आया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या- 2979 (9), दिनांक- 09.10.2023 द्वारा लगान निर्धारण की कार्रवाई हेतु संबंधित जिलों के अपर समाहर्ता को एक बार के लिए म्यूनिसिपल सर्वे सुप्रिटेंडन्ट की शक्ति प्रदान की गई है। तत्पश्चात् ताकि वह ज्यादा तेज गति से कार्य हो, तत्पश्चात् भू-अभिलेख एवं परिणाम निदेशालय के पत्रांक- 9320, दिनांक- 21.12.2023 से लगान निर्धारण संबंधी मानक प्रक्रिया निर्गत की गई है। उक्त निदेश के आलोक में पूर्णियां जिले में लगान निर्धारण की कार्रवाई तीव्र गति से की जा रही है।

टर्न-4/अभिनीत/22.02.2024

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका अंतिम पूरक है।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, जो खास महाल की जमीन है उसमें 2000 से ऊपर लोगों का लगान निर्धारित हुआ है, लीज विस्तार नहीं होने के कारण वह प्रक्रिया रुकी हुई है। क्या मंत्री महोदय ऐसे खास महाल की जो जमीन है उसके लीज विस्तार के लिए कोई कार्रवाई करेंगे ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, यह विषय अलग से इनका आयेगा।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अलग से प्रश्न कीजिए तो इसका जवाब दिया जायेगा।

तारांकित प्रश्न सं0-601 (श्री अजीत कुमार सिंह, क्षेत्र सं0-201, डुमराँव)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-602 (श्री नीतीश मिश्रा, क्षेत्र सं0-38, झंझारपुर)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-603 (श्री रित लाल राय, क्षेत्र सं0-186, दानापुर)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-604 (डॉ सी0 एन0 गुप्ता, क्षेत्र सं0-118, छपरा)

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, 1- आंशिक स्वीकारात्मक ।

वस्तुस्थिति यह है कि वर्णित सभी पथों का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है जो वर्तमान में नाला से नीचे हो गया है ।

वर्णित पथों एवं उसके आस-पास के इलाकों के वर्षा जल की निकासी हेतु बुड़को द्वारा खनुआ नाला का जीणोंद्वार कार्य चल रहा है, जिसके निर्माण हो जाने से उस क्षेत्र में जल-जमाव की समस्या का निराकरण हो सकेगा । तत्काल अतिवृष्टि होने पर सक्षण मशीन व पंप सेट द्वारा जल निकासी करा दिया जाता है।

अध्यक्ष: उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिये।

डॉ सी0 एन0 गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, लगभग 40 वर्षों से मैं छपरा शहर में रहता हूं लेकिन कभी भी ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिली है जो पिछले साल देखने को मिली थी। बुड़को द्वारा कार्य किया जा रहा है लेकिन कार्य में शिथिलता है । कार्यक्रम समय में जल्दी से हो इसका उपाय सरकारी विभाग को करना चाहिए और इसके लिए विभाग को आवश्यक निर्देश देना आवश्यक जान पड़ता है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, नगर विकास विभाग ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, बुड़को द्वारा जो कार्य किया जा रहा है इसकी पूरी समीक्षा करके यथाशीघ्र इसको पूरा करवाने का निर्देश देता हूं ।

अध्यक्ष : चलिए, हो गया । पूरा हो जायेगा यथाशीघ्र ।

डॉ सी0 एन0 गुप्ता : धन्यवाद महोदय ।

तारांकित प्रश्न सं0-605 (श्री तारकिशोर प्रसाद, क्षेत्र सं0-63, कटिहार)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य तारकिशोर जी, पूरक पूछिए उत्तर संलग्न है ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय, उत्तर नहीं मिला है । एक बार उत्तर पढ़ा देते ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, उत्तर पढ़ दिया जाय ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, इनका उत्तर स्वीकारात्मक है ।

समाहर्ता, कटिहार से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार कटिहार जिला के कोढ़ा अंचल अंतर्गत राजस्व मौजा मधुरा, थाना नं0-162 का आंशिक भाग कटिहार नगर निगम के वार्ड सं0-05, 07, 08, 09, 10 एवं 40 में शामिल है । इन वार्डों को नगर

निगम के अधीन कटिहार अंचल में सम्मिलित किये जाने हेतु अंचल अधिकारी, कोढ़ा द्वारा अभिलेख सहित गठित प्रस्ताव जिला स्तर से आयुक्त, पूर्णियां प्रमंडल, पूर्णियां को भेजा गया था । उक्त अभिलेख त्रुटि निराकरण हेतु समाहर्ता, कटिहार को वापस किया गया, जिसे त्रुटि निराकरणोपरांत पुनः आयुक्त, पूर्णियां प्रमंडल, पूर्णियां को भेजे जाने की कार्रवाई की जा रही है ।

तदनुसार त्रुटि निराकरणोपरांत अभिलेख सहित प्रस्ताव प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियां प्रमंडल, पूर्णियां के माध्यम से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, इसकी समय-सीमा माननीय मंत्री जी तय करेंगे क्या ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, जल्द-से-जल्द ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजीत कुमार सिंह ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : नहीं समय-सीमा महीने में ।

अध्यक्ष : हो गया जल्द से जल्द । आप भी यही जवाब देते थे जल्द से जल्द ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय, जल्द-से-जल्द का कोई मापदंड नहीं है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अब अगले वित्तीय वर्ष में जरूर किया जायेगा ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : नहीं महोदय, मुझको लगता है माननीय मंत्री जी कि एक महीने के अंदर इसको निपटाना चाहिए । वास्तव में कटिहार नगर निगम के निवासियों को काफी कठिनाई हो रही है । उन्हें 18 से 20 किलोमीटर दूर कोढ़ा, सभी सर्टिफिकेट्स वगैरह के लिए जाना पड़ता है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : ठीक है, दिखवा लेते हैं । इसको गंभीरता से दिखवा लेते हैं ।

तारांकित प्रश्न सं0-606 (श्री अजीत कुमार सिंह, क्षेत्र सं0-201, डुमराँव)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-607 (श्री रामबली सिंह यादव (क्षेत्र सं0-217, घोसी))

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-608 (श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी (क्षेत्र सं0-200, बक्सर))

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-609 (श्री अखतरुल ईमान (क्षेत्र सं0-56, अमौर))

(लिखित उत्तर)

श्री सप्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : 1- आंशिक स्वीकारात्मक ।

वस्तुस्थिति यह है कि एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन के अंतर्गत नगर निकाय के क्षेत्र के कार्यों के लिए कनीय अभियंता का पद सृजित किया गया है। पूर्णियां जिला अंतर्गत नगर पंचायत, अमौर नवगठित नगर निकाय होने के कारण उक्त निकाय में कनीय अभियंता का पद सृजित नहीं है।

नगर पंचायत, अमौर, एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन के कार्यपालक अभियंता, नगर विकास प्रमंडल, पूर्णियां-अररिया के क्षेत्रांतर्गत आता है। उक्त प्रमंडल में कार्यरत कनीय अभियंताओं से नव गठित नगर पंचायत, अमौर का कार्य कराया जा रहा है।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, मामला यह है कि नगर पंचायत, अमौर का 2021 में नोटिफिकेशन हुआ और अबतक कनीय अभियंता नहीं होने के कारण विकास के सारे काम बाधित हैं। सर, सुशासन की सरकार है और नोटिफाई जब आपने उसको कर दिया नगर पंचायत में तो वहां पर जिन पदाधिकारियों की जरूरत है तो वह देना चाहिए। जो पूर्णियां प्रमंडल है काफी दूर है, सात किलोमीटर की दूरी पर है..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछिए।

श्री अखतरूल ईमान : सर, वहां कब तक कनीय अभियंता को नियुक्त किया जायेगा?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग।

श्री सप्तराट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नियुक्ति से संबंधित है। इसकी यथाशीघ्र जांच करवा कर और जो नये पद सृजन करना है उसको तुरंत कराया जायेगा।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब हो गया।

श्री अखतरूल ईमान : सर, यह जांच का विषय नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ और पदाधिकारी ने स्वीकार किया है कि वहां पदस्थापित नहीं है।

अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्य सच कहते हैं, यहां कोई असत्य नहीं बोलते हैं।

श्री अखतरूल ईमान : सर, यह जांच का विषय नहीं है। कबतक पदस्थापित करेंगे?

श्री सप्तराट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : मैंने जांच नहीं कहा, मैंने यह कहा अखतरूल साहब कि समीक्षा के उपरांत इस पर कार्रवाई की जायेगी।

श्री अखतरूल ईमान : करवा दीजिए एक-दो महीने के अंदर में।

तारांकित प्रश्न सं0-610 (श्री प्रणव कुमार, क्षेत्र सं0-165, मुंगेर)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उत्तर संलग्न है।

श्री प्रणव कुमार : महोदय, उत्तर नहीं मिला है।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, कृषि विभाग, बताइये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, यह प्रश्न कृषि विभाग से संबंधित नहीं है ।

अध्यक्ष : स्थगित होता है तो जिस विभाग का होगा वहां भेजा जाता है।

तारांकित प्रश्न सं0-611 (श्री चन्द्रहास चौपाल (क्षेत्र सं0-72, सिंहेश्वर (अ0जा0))

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-612 (श्रीमती रश्मि वर्मा, क्षेत्र सं0-3, नरकटियागंज)

श्री सप्ताट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, उत्तर मिल गया होगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, उत्तर मिला है ?

श्रीमती रश्मि वर्मा : महोदय, उत्तर नहीं मिला है ।

श्री सप्ताट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि नगर परिषद नरकटियागंज क्षेत्रांतर्गत वैंडिंग जोन के निर्माण हेतु स्थल की अधियाचना इस कार्यालय के पत्रांक- 913, दिनांक- 22.09.2021, ज्ञापांक-1143, दिनांक-20.11.2021 एवं पत्रांक-1191, दिनांक-16.08.2023 के द्वारा संबंधित अंचल कार्यालय व अन्य सक्षम प्राधिकार से किया गया है । वर्तमान में वैंडिंग जोन निर्माण हेतु कोई भूमि प्राप्त नहीं है । शिवगंज चौक से रेलवे हाता के बीच वर्तमान में सर्वे नक्शा के अनुसार रास्ता के रूप में प्रदर्शित है एवं सड़क के रूप में प्रयोग होता है । वैंडिंग जोन हेतु स्थल प्राप्त होते ही वैंडिंग जोने बनाने की कार्रवाई की जायेगी ।

श्रीमती रश्मि वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक है कि वो रास्ता में यूज बिल्कुल नहीं होता है । सड़क बिल्कुल खाली है और कोई भी उस रास्ते से न आता है और न जाता है । वह उपयुक्त है, वह सड़क नहीं है, उस पर आसानी से वैंडिंग जोन बन सकता है यदि सरकार चाहे तो ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री सप्ताट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं जिलाधिकारी, बेतिया को सूचित करके इसकी समीक्षा करा देता हूं । माननीय सदस्या से भी आग्रह करूंगा कि इसमें सहयोग करें ।

श्रीमती रश्मि वर्मा : महोदय, कब-तक ?

अध्यक्ष : तुरंत कर देंगे ।

श्रीमती रश्मि वर्मा : धन्यवाद महोदय ।

तारांकित प्रश्न सं0-613 (श्री सुर्यकांत पासवान (क्षेत्र सं0-147, बखरी (अ0जा0))

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-614 (श्री राजेश कुमार गुप्ता, क्षेत्र सं0-208, सासाराम)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-615 (श्री प्रह्लाद यादव, क्षेत्र सं0-167, सूर्यगढ़ा)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-616, श्री जय प्रकाश यादव (क्षेत्र सं0-46, नरपतगंज)

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : 1- स्वीकारात्मक ।

2- आंशिक स्वीकारात्मक ।

वस्तुस्थिति यह है कि नरपतगंज नगर पंचायत के बीचों-बीच एन0एच0-57 अवस्थित है जिसकी लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर है ।

एन0एच0-57 नरपतगंज के दक्षिण की ओर रोड से सटे प्रखंड सह अंचल कार्यालय है । प्रखंड सह अंचल परिसर में आमजनों की सुविधा हेतु कुल 03 शौचालय उपलब्ध हैं जिसमें 10 सीटें हैं ।

एन0एच0-57 नरपतगंज के उत्तर की ओर रोड से सटे अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावास अवस्थित है । यहां भी एन0एच0 की दिशा में आमजनों के लिए 01 शौचालय उपलब्ध है जो 04 सीटों का है ।

3- आंशिक स्वीकारात्मक ।

नगर पंचायत, नरपतगंज कार्यालय के पत्रांक-45, दिनांक-12.02.2024 के द्वारा अंचल अधिकारी, नरपतगंज से भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है ।

भूमि उपलब्ध होते ही सुलभ शौचालय का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा ।

श्री जय प्रकाश यादव : महोदय, उत्तर प्राप्त है लेकिन उत्तर असंतोषजनक है । उत्तर में दिया गया है कि मेरा नगर पंचायत एन0एच0 के कारण दो भागों में बंटा हुआ है और वहां बसें बगैरह लगती हैं । आमजनों को सुलभ शौचालय उपलब्ध नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछिए । वह तो लिखा ही हुआ है ।

श्री जय प्रकाश यादव : महोदय, जवाब मिला है कि एक तरफ हरिजन छात्रावास है जिसे उपयोग में लाया जा सकता है और एक तरफ अंचल कार्यालय है जहां कुछ शौचालय हैं जो उपयोग में नहीं है उसे..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, हरिजन छात्रावास नहीं होता है । अनुसूचित जाति का छात्रावास होता है ।

श्री जय प्रकाश यादव : जी महोदय । उसको उपयोग में लाया जा सकता है और जमीन उपलब्ध होने पर कराया जायेगा, तो यह टाल-मटोल की नीति है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका पूरक प्रश्न क्या है ?

श्री जय प्रकाश यादव : महोदय, मेरा पूरक है कि वहां पर एक अलग शौचालय बनवाने की आवश्यकता है, वह बनवाया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, जवाब स्पष्ट है कि भूमि की उपलब्धता होने पर सुलभ शौचालय का निर्माण कराया जायेगा । माननीय विधायक से आग्रह करूंगा कि भूमि उपलब्ध करवाने में सहयोग करें ।

अध्यक्ष : सहयोग कीजिए ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : तुरंत उस पर बनवाने का काम किया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न सं0-617 (श्रीमती मंजु अग्रवाल, क्षेत्र सं0-226, शेरघाटी)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-618 (श्री भीम कुमार सिंह, क्षेत्र सं0-219, गोह)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-'क' 619 (श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन, क्षेत्र सं0-133, समस्तीपुर)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

टर्न-5/हेमन्त/22.02.2024

तारांकित प्रश्न संख्या-620, श्री कृष्ण कुमार ऋषि (क्षेत्र सं0-59, बनमनखी(अ0जा))

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिये ।

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : सर, हमको जवाब नहीं मिला है ।

अध्यक्ष : जवाब तो मिला ही होगा, आपने देखा नहीं होगा ।

माननीय मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, पढ़ दीजिए ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक ।

1-वस्तुस्थिति यह है कि पूर्णिया जिलान्तर्गत बनमनखी प्रखण्ड में प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, बनमनखी अपने सरकारी भवन में संचालित है ।

विभागीय अधिसूचना संख्या-2253-सह-पठित ज्ञापांक-2254, दिनांक-30.06.2022 द्वारा डॉ ॲमित कुमार गुप्ता, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, बनमनखी, पूर्णिया के पद पर पदस्थापित हैं, जिनके द्वारा बनमनखी प्रखण्ड के पशुओं का चिकित्सकीय कार्य किया जाता है ।

2- वित्तीय वर्ष 2023-2024 में राज्यादेश संख्या-2319, दिनांक-08.06.2023 द्वारा पशु चिकित्सालयों/औषधालयों/कार्यालयों के भवनों का अनुरक्षण एवं

रख-रखाव योजना अंतर्गत प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, बनमनखी के भवन के जीर्णोद्धार हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : महोदय, भवन जर्जर है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि लास्ट में जो माननीय मंत्री जी का वक्तव्य आया है कि जिस भी दिनांक, पत्रांक से स्वीकृति दी गयी है, तो उसकी जानकारी मिल जाय कि कब तक यह भवन बनकर तैयार हो जायेगा ?

अध्यक्ष : स्वीकृति तो हो ही गयी।

श्री सप्त्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : स्वीकृति मिल गयी है। अगले वित्तीय वर्ष में इसका कार्य प्रारंभ करा दिया जायेगा।

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : सर,...

अध्यक्ष : अब तो हो गया। अब क्या ?

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : भवन के लिए तो माननीय मंत्री जी ने कहा है कि स्वीकृति मिल गयी है और अगले वित्तीय वर्ष में काम चालू हो जायेगा, लेकिन मैंन है कि वहां पशु चिकित्सक नहीं है। तो डॉक्टर की व्यवस्था हो जाय, जी यह प्रश्न में निहित है।

अध्यक्ष : डॉ अमित कुमार गुप्ता हैं वहां।

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : वह तो सहायक में हैं वह कोई मैं डॉक्टर नहीं हैं वहां। आप काम चला लेते हैं यह अलग बात है।

अध्यक्ष : डॉक्टर अमित कुमार गुप्ता तो हैं वहां।

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : सर, काम चलाने के लिए हैं, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं हैं सर।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री सप्त्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : मैं माननीय सदस्य की चिंता को देखते हुए इनसे बात करके, इसकी समीक्षा करके इसको करवा दूँगा।

तारांकित प्रश्न संख्या-621, श्री अचमित ऋषिदेव(क्षेत्र सं0-47, रानीगंज (अ0जा))

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिये।

श्री अचमित ऋषिदेव : उत्तर नहीं मिला है।

अध्यक्ष : देखा नहीं होगा आपने।

माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक अस्वीकारात्मक है।

समाहर्ता, अररिया से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार रानीगंज प्रखण्ड के ग्राम पंचायत-पचीरा, वार्ड नं0-10, मौजा-कजरा, थाना नं0-60, खाता नं0-100, खेसरा नं0-298, 313, 535 एवं 301 रकबा-6.88 एकड़ भूमि में महादलित परिवार बसे हुए हैं। उक्त भूमि बन्दोबस्ती वाद सं0-12/79-80 के द्वारा कुल चार व्यक्तियों को परवाना मिला

था, जिसका जमाबंदी दर्ज है। बन्दोबस्ती रद्दीकरण के पश्चात् सभी बसे हुए महादलित परिवारों के हित में नियमसंगत बन्दोबस्ती की जायेगी।

तारांकित प्रश्न संख्या-622, श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र सं0-09, सिकटा)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-623, श्री राम सिंह (क्षेत्र सं0-04, बगहा)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : उत्तर स्वीकारात्मक है।

1- समाहर्ता, पश्चिम चम्पारण के प्रतिवेदनानुसार वस्तुस्थिति यह है कि बस स्टैंड, बगहा के निर्माण के लिए चिन्हित भूमि नगर परिषद के अंतर्गत है, जिसका किस्म खतियान में सोता अंकित है। राजस्व विभागीय पत्रांक-655/रा० दिनांक- 16.06.2016 द्वारा निर्देशित है कि किसी भी स्थिति में जल निकायों का स्वरूप बदलने पर भूमि का अंतर्विभागीय हस्तांतरण अथवा बंदोबस्ती(लीज सहित) नहीं होगा।

2- प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य स्थान पर उपयुक्त भूमि को चिन्हित कर भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव समाहर्ता, पश्चिम चम्पारण से प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिये।

श्री राम सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से विभागीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वह जो बस स्टैंड है, बगहा अनुमंडलीय क्षेत्र है और कुछ दिनों में जिला बनने वाला है। जो नदी का नेचर दिया गया है, नदी का नेचर खतियान में सोता के रूप में था, लेकिन जब गंडक नदी पर पुल बन गया, तो उसका नेचर बदल गया और नेचर बदल जाने के बाद वहां बस स्टैंड बनाया जा सकता है। जैसे गंडक के किनारे रोड बन सकता है या कहीं भी इस तरह बन सकता है, तो बगहा जैसी छोटी-सी जगह पर क्यों नहीं बन सकता है? चीनी मिल भी है, आने-जाने में काफी परेशानी होती है।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, इनका उत्तर स्पष्ट किया गया है कि बस स्टैंड, बगहा के निर्माण के लिए जो चिन्हित भूमि नगर परिषद के अंतर्गत है, जिसका किस्म खतियान में सोता अंकित है। साफ तौर पर उसमें दिखाया गया है। राजस्व विभागीय पत्रांक-655/रा० दिनांक- 16.06.2016 द्वारा निर्देशित है कि किसी भी स्थिति में जल निकायों का स्वरूप बदलने पर भूमि का अंतर्विभागीय हस्तांतरण अथवा बंदोबस्ती नहीं होगा। प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य स्थान पर उपयुक्त

भूमि को चिन्हित कर भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव समाहर्ता, पश्चिम चम्पारण से प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

अध्यक्ष : आप भी मदद करिये न कि अन्य भूमि कहां-कहां उपलब्ध हो सकती है, कहां-कहां जगह है ।

श्री राम सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने तो मदद करके भूमि चिन्हित करवायी थी । जिस तरह गंगा के किनारे, अपने विधान सभा क्षेत्र में नेचर को बदलकर काम करवाया जा सकता है, रोड बनाया जा सकता है..

अध्यक्ष : यह तो कोई तर्क नहीं है न ।

श्री राम सिंह : नहीं, नहीं माननीय जी, एक छोटा-सा कार्यकर्ता कहीं से प्रतिनिधित्व करता है..

अध्यक्ष : कार्यकर्ता का विषय नहीं है । यह सरकार का निर्णय है, जल स्रोत में नहीं होगा ।

श्री राम सिंह : नहीं, नहीं माननीय जी, अगर वहां चिन्हित कराया गया है, तो यह टाल-मटोल की बात हो गयी ।

अध्यक्ष : यह टाल-मटोल की बात नहीं है ।

श्री राम सिंह : मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि डी0एम0 को निर्देशित करें कि जगह चिन्हित करके जल्द-से-जल्द कार्य करवाया जाय ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : ठीक है, हम दिखवा लेते हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या-624, श्रीमती नीतु कुमारी (क्षेत्र सं0-236, हिसुआ)

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-625, श्री भाई वीरेन्द्र (क्षेत्र सं0-187, मनेर)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-626, श्री समीर कुमार महासेठ (क्षेत्र सं0-36, मधुबनी)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-627, श्री ललन कुमार (क्षेत्र सं0-154, पीरपेंती (अ0जा0))

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अस्वीकारात्मक ।

समाहर्ता, भागलपुर के प्रतिवेदनानुसार वस्तुस्थिति यह है कि पीरपेंती अंचल के बारा पंचायत अन्तर्गत नहीं बाई मध्य विद्यालय मौजा-बारा, थाना संख्या-152, अन्तर्गत खाता संख्या-582, खेसरा संख्या-539, रकबा-27 डी0 जमीन पर अवस्थित है । उक्त खेसरा संख्या-539 के चारों तरफ रैयती भूमि यथा-खाता संख्या-490, खेसरा संख्या-536 वो खाता संख्या-591, खेसरा संख्या-540, 541 वो खाता संख्या-279, खेसरा संख्या-513 वो खाता संख्या-591, खेसरा संख्या-538 से घिरा हुआ है । मुख्य सड़क से 100 मीटर के दायरे में विद्यालय

तक पहुंचने के लिए कोई भी सरकारी भूमि रास्ते के रूप में उपलब्ध नहीं है । वर्तमान में विद्यालय तक पहुंचने के लिए रैयती भूमि खाता संख्या-279, खेसरा सं0-513 के बीचो-बीच होते हुए 10 फीट चौड़ा पक्का रास्ता बना हुआ है, जिससे विद्यालय तक आवागमन होता है ।

श्री ललन कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मामला काफी गंभीर है । मामला यह है कि...

अध्यक्ष : आप हमेशा गंभीर मामला ही उठाते हैं । बोलिये ।

श्री ललन कुमार : नन्ही बाई मध्य विद्यालय ईसीपुर, पीरपेंती, भागलपुर..

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री ललन कुमार : पूरक पूछ रहे हैं । हमने कहा था कि वहां 50 साल पुराना मध्य विद्यालय है और 50 मीटर की दूरी, 100 मीटर की दूरी तय करके बच्चे स्कूल जाते थे, लेकिन वहां पर अतिक्रमणकारियों ने जमीन को अतिक्रमित किया, रास्ता को अतिक्रमित किया और अब एक किलोमीटर घूमकर बच्चे जा रहे हैं और एन0एच0-133 होकर जाते हैं । आये दिन एक्सीडेंट होता है । अध्यक्ष महोदय, बच्चे को पहचान नहीं पाता है अभिभावक, इस तरह का एक्सीडेंट होता है । लेकिन वहां के भ्रष्ट अधिकारियों ने माननीय मंत्री जी को जवाब भेजा है कि..

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री ललन कुमार : पूछ रहे हैं । भ्रष्ट अधिकारियों ने जवाब भेजा है कि चारों तरफ से रैयती जमीन है और जिस वजह से घूमकर नये मोहल्ले से आते हैं । अध्यक्ष महोदय, हम पूछते हैं कि वहां पर सरकारी जमीन थी, ये भ्रष्ट अधिकारियों ने उसको..

अध्यक्ष : पूरक क्या है, पूरक पूछिये ।

श्री ललन कुमार : भ्रष्ट अधिकारियों ने उसको बंदोबस्त कर दिया है, पैसे वालों को..

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री ललन कुमार : पूरक यह है कि स्कूल के आसपास की जो सरकारी जमीन है, वहां के सीओ ने जो उसको बंदोबस्त कर दिया, इसकी जांच करायेंगे ? यह जो गलत उत्तर सदन पटल पर रखा गया है, वहां का जो आर0ओ0 है इतना भ्रष्ट है, उस पर कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे ? यही हम पूछना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, जवाब में साफ कहा है कि रैयती भूमि के साथ बीचो-बीच होते हुए 10 फीट चौड़ा पक्का रास्ता बना हुआ है, जिससे विद्यालय तक आवागमन होता है । माननीय सदस्य को लगता है कि गलत जवाब है, तो हम विभाग से पदाधिकारी भेजकर इसकी जांच करवा देंगे ।

श्री ललन कुमार : अध्यक्ष महोदय, जांच की बात नहीं है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : आप ही ने तो जांच की मांग की है ।

श्री ललन कुमार : अध्यक्ष महोदय, जान लिया जाय । उसी मौजे में मेरा घर है बाराहाट में और वहाँ से हम लोगों ने पढ़ाई-लिखाई की है । वहाँ महज 50 फीट की दूरी तय करके हम जाते थे, आज एक किलोमीटर एन0एच0-80 होते हुए बच्चे चक्कर काटकर जाते हैं । बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाता है रोड पर ।

अध्यक्ष : एक बार मिलकर इन्हें पूरी बात बता दीजिए ।

श्री ललन कुमार : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट टाईम दीजिए, मेरा घर है वहाँ । आज वहाँ का आर0ओ0 इतना भ्रष्ट है कि पिछले सप्ताह जमीन बांटा और दो मंजिला मकान वाले सबको जमीन दे दिया । आर0ओ0 से जब पूछे कि लिस्ट भेजो, तो लिस्ट नहीं भेज रहा है । इतना भ्रष्ट आर0ओ0 वहाँ पर है..

अध्यक्ष : ललन जी, एक बात बार-बार मत कीजिए । माननीय मंत्री जी ने कहा कि जांच करायेंगे ।

श्री ललन कुमार : नहीं, नहीं । हम जांच नहीं, कार्रवाई की बात कर रहे हैं । माननीय मंत्री जी कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे, हमको यह बता दीजिए ।

अध्यक्ष : ललन जी, जांच के बाद ही न कार्रवाई होती है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : माननीय सदस्य, जांच होगी तभी तो कार्रवाई होगी । आप इस पर सहमत हैं, यह भी बता दें और मिलकर भी बता देंगे, इसको प्राथमिकता में हम लोग करा देंगे ।

श्री ललन कुमार : अध्यक्ष महोदय, एक छोटा-सा...

अध्यक्ष : अब क्या विषय है ?

श्री ललन कुमार : अध्यक्ष महोदय, मान लेते हैं कि अगर रैयती ही जमीन है । आप बताइये कि एक किलोमीटर...

अध्यक्ष : एक ही बात बार-बार मत कीजिए न ।

श्री ललन कुमार : सुन लीजिए न सर ।

अध्यक्ष : नहीं-नहीं ।

श्री ललन कुमार : अगर हम यह करें कि स्कूल के लिए रास्ता एक्वायर भी करने की इच्छा रखते हैं क्या ? बहुत छोटा-सा रास्ता है ।

अध्यक्ष : अभी जांच करने दीजिए पहले । जांच करने के बाद रिपोर्ट आयेगी, तब कार्रवाई होगी ।

श्री ललन कुमार : ऐसा हो कि एक्वायर करके रास्ता दिया जाय...

तारांकित प्रश्न संख्या-628 (श्री सुरेन्द्र मेहता, क्षेत्र संख्या-142, बछवाड़ा)

अध्यक्ष : पूरक पूछिये । जवाब नहीं मिला है या आपने देखा नहीं है । बोलिये ।

श्री सुरेन्द्र मेहता : अध्यक्ष महोदय, नहीं आया है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग । उत्तर पढ़ दीजिये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है ।

समाहर्ता, बेगूसराय से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार मामला मूल पंजी में छेड़-छाड़ से संबंधित है, जिसमें जमाबंदी संख्या-64, थाना नं-311, खाता-68, खेसरा-532, किस्म-गैरमजरूआ खास जमीन का गलत तरीके से पंजी-II में Over Writing कर बेलगान जमीन, जिसका खेसरा-533 एवं 535 है में रकवा 2 कठठा 7 धुर एवं 2 कठठा 7 धुर कर दिया गया है । जहाँ तक असामाजिक लोगों द्वारा दखल कब्जा का प्रश्न है । अंचल अधिकारी, भगवानपुर द्वारा जाँच कर सभी दोषी कर्मियों को चिन्हित करने की कार्रवाई की जा रही है । इस संबंध में अंचलाधिकारी, भगवानपुर के द्वारा पत्रांक-1488, दिनांक-22.12.2023 तथा पत्रांक-162, दिनांक-07.02.2024 द्वारा संबंधित राजस्व कर्मचारी से स्पष्टीकरण की माँग की गयी है । सभी दोषी कर्मियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी ।

अध्यक्ष : ठीक है, हो गया ।

श्री सुरेन्द्र मेहता : महोदय, यह जो किया गया है, इस केस में एक दर्जन मुकदमा हुआ है ।

कितने लोगों का हाथ टूटा, कितने लोगों का पैर टूटा, अजीब तरह की स्थिति है ।

महोदय, इसकी जाँच करवाकर अविलंब इस पर कार्रवाई करवा दिया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने कहा कि स्पष्टीकरण पूछा गया है और दोषी कर्मी के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी । माननीय मंत्री ने तो साफ-साफ जवाब आपको दिया ही है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-629 (श्री कुंदन कुमार, क्षेत्र संख्या-146, बेगूसराय)

श्री कुंदन कुमार : अध्यक्ष महोदय, सुबह 10 बजे तक जवाब नहीं आया था । जवाब पढ़वा दिया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग । आपका ट्रांसफर हो गया है।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, समय चाहिए ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी को समय चाहिए । अगली तिथि में ।

तारांकित प्रश्न संख्या-630 (श्री रामप्रवेश राय, क्षेत्र संख्या-100, बरौली)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-631 (श्री नारायण प्रसाद, क्षेत्र संख्या-6, नौतन)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री (लिखित उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, 1- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2-समाहर्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के प्रतिवेदनानुसार वाद संख्या-2905/2020-21 के साथ संलग्न दस्तावेज में जमाबंदी संख्या-24 का उल्लेख है । इस जमाबंदी में जमाबंदी संख्या के अतिरिक्त सभी प्रविष्टियाँ शून्य हैं, जिसमें दाखिल खारिज के लिए केवला के अनुरूप भूमि खारिज एवं दाखिल नहीं किया जा सकता । वाद संख्या-2093/2019-20 के संबंध में क्रेता एवं विक्रेता के साक्ष्य की माँग की गई । संबंधित साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया । अतः वाद संख्या-2905/2020-21 तथा वाद संख्या-2093/2019-20 प्राथमिक प्रतिवेदक राजस्व कर्मचारी एवं राजस्व अधिकारी के अनुशंसा के आधार पर अस्वीकृत किया गया है । वाद संख्या-4665/2019-20 तथा वाद संख्या-823/2023-24 क्रमशः जमाबंदी संख्या-1610 तथा पृष्ठ संख्या-6 से संबंधित है एवं पूर्व से विक्रेता के नाम से सृजित जमाबंदी एवं ऑनलाईन इन्ट्री के आधार पर प्राथमिक प्रतिवेदक राजस्व कर्मचारी एवं राजस्व अधिकारी के अनुशंसा के आधार पर स्वीकृत किया गया है ।

3-अंचल अधिकारी, नौतन, पश्चिम चम्पारण के पत्रांक-60, दिनांक 19.01.2024 द्वारा समाहर्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को प्रतिवेदन भेजा जा चुका है ।

4-उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है । दाखिल खारिज के मामले में सक्षम प्राधिकार के न्यायालय में अपील का प्रावधान है ।

अध्यक्ष : नारायण जी, पूरक पूछिये ।

श्री नारायण प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, पूरक में यही पूछना है कि खाता संख्या-33 को कहीं सिकमी कहा जाता है और सरकार के द्वारा खाता संख्या-33 को रैयती कहा जाता है तो जहाँ कर्मचारियों या सीओओ को सुविधा होती है, वहाँ सुविधा शुल्क लेकर ये लोग रैयती बना देते हैं और जिसका नहीं मिलता है उसको सिकमी बना देते हैं । इसी का हमको जवाब चाहिए । अध्यक्ष महोदय, खाता एक है और कहीं उसको सिकमी बना दिया गया है और कहीं रैयती बना दिया गया है ।

अध्यक्ष : आपका पूरक प्रश्न क्या है ?

श्री नारायण प्रसाद : सर, वही ।

अध्यक्ष : वही क्या ?

श्री नारायण प्रसाद : महोदय, खाता संख्या-33 जो है वह हमको समझ में नहीं आता है कि वह सिकमी है या रैयती ।

अध्यक्ष : सरकार से क्या पूछना चाहते हैं ?

श्री नारायण प्रसाद : महोदय, जो दाखिल खारिज करने के लिए दिया गया है तो एक जगह सीओ० ने उसको सिकमी बना दिया और दूसरी जगह रैयती बनाकर उसका दाखिल खारिज कर दिया ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय...

अध्यक्ष : नारायण जी, बैठ जाइये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, समाहर्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के प्रतिवेदनानुसार वाद संख्या-2905/2020-21 के साथ संलग्न दस्तावेज में जमाबंदी संख्या-24 का उल्लेख है । इस जमाबंदी में जमाबंदी संख्या के अतिरिक्त सभी प्रविष्टियाँ शून्य हैं, जिसमें दाखिल खारिज के लिए केवला के अनुरूप भूमि खारिज एवं दाखिल नहीं किया जा सकता । वाद संख्या-2093/2019-20 के संबंध में क्रेता एवं विक्रेता के साक्ष्य की माँग की गई । संबंधित साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया । अतः वाद संख्या-2905/2020-21 तथा वाद संख्या-2093/2019-20 प्राथमिक प्रतिवेदक राजस्व कर्मचारी एवं राजस्व अधिकारी के अनुशंसा के आधार पर अस्वीकृत किया गया है । वाद संख्या-4665/2019-20 तथा वाद संख्या-823/2023-24 क्रमशः जमाबंदी संख्या-1610 तथा पृष्ठ संख्या-6 से संबंधित है एवं पूर्व से विक्रेता के नाम से सृजित जमाबंदी एवं ऑनलाइन इन्ट्री के आधार पर प्राथमिक प्रतिवेदक राजस्व कर्मचारी एवं राजस्व अधिकारी के अनुशंसा के आधार पर स्वीकृत किया गया है ।

अध्यक्ष : ठीक है, हो गया ।

श्री नारायण प्रसाद : नहीं, महोदय । इसमें यह है कि आपका खाता संख्या-33 है, एक सिकमी हो जाता है और एक...

अध्यक्ष : आप एक काम कीजिये, मेरी बात नारायण जी सुनिये, जो आप कह रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है और माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया....

(व्यवधान)

श्री नारायण प्रसाद : नहीं, महोदय । उसमें समझने की बात यही है....

अध्यक्ष : मेरी पूरी बात सुनिये न, सुनना भी चाहिए । माननीय मंत्री जी ने आपको जवाब दिया है । आप जो कह रहे हैं उसको एक स्पष्ट रूप से लिखकर माननीय मंत्री जी को दे दीजिये, माननीय मंत्री जी पूरी जाँच करायेंगे ।

श्री नारायण प्रसाद : महोदय, ठीक है। हम लिखकर दे देंगे।

(व्यवधान)

एक ही खाता है। एक सिकमी हो जाता है और एक रैयती हो जाता है।

अध्यक्ष : बैठ जाइये। नारायण जी, बैठ जाइये।

तारांकित प्रश्न संख्या-632 (श्री कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह, क्षेत्र संख्या-109, दरौंदा)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-633 (श्री नारायण प्रसाद, क्षेत्र संख्या-6, नौतन)

अध्यक्ष : फिर से बोलिये, दूसरा प्रश्न है। अगला प्रश्न है।

श्री नारायण प्रसाद : महोदय, कोहड़ा नदी है, चन्द्रावत नदी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने नदी को साफ करने के लिए वर्ष 2021 में योजना चलायी लेकिन आज तक उस नदी की सफाई नहीं हुई है और न पानी का निकास हुआ है।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, जल संसाधन विभाग को ट्रांसफर हो गया है।

अध्यक्ष : जल संसाधन विभाग में आपका प्रश्न ट्रांसफर हो गया है। अगली तिथि में जवाब आयेगा।

तारांकित प्रश्न संख्या-634 (श्री बीरेन्द्र सिंह, क्षेत्र संख्या-234, वजीरगंज)

अध्यक्ष : आपको जवाब मिला है? जवाब मिल गया है?

श्री बीरेन्द्र सिंह : महोदय, जवाब नहीं मिला है।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, नगर विकास एवं आवास विभाग में ट्रांसफर हो गया है।

अध्यक्ष : नगर विकास एवं आवास विभाग में ट्रांसफर हो गया है। अगली तिथि में जवाब आयेगा।

श्री बीरेन्द्र सिंह : महोदय, बड़ी उपयोगी योजना है मेरे क्षेत्र का....

अध्यक्ष : नगर विकास एवं आवास विभाग में ट्रांसफर हुआ है, जब आ जायेगा तब जवाब पूछियेगा।

(व्यवधान)

श्री बीरेन्द्र सिंह : महोदय, बड़ी मुश्किल से क्वेश्चन चढ़ा है।

अध्यक्ष : जब जवाब आ जायेगा, तब न पूरक पूछियेगा। जवाब आ जायेगा।

तारांकित प्रश्न संख्या-635 (श्री संजय सरावगी, क्षेत्र संख्या-83, दरभंगा)

श्री सप्तराट चौधरी, उप मुख्यमंत्री (लिखित उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, 1-उत्तर स्वीकारामक है।

परियोजना निदेशक, नगर निगम, दरभंगा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दरभंगा शहर में दोनार गुमटी से टीनहीं पुल तक नाला निर्माण में 2280 मि० आर०सी०सी० नाला का निर्माण संपन्न हो चुका है। 1197.0 मि० कच्चा नाला का कार्य शेष है।

2- उत्तर स्वीकारात्मक है।

3- परियोजना निदेशक, नगर निगम, दरभंगा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्र के आगे से टीनहीं पुल तक 1197.0 मि० कच्चा नाला के निर्माण कार्य करने में आम जनों के विरोध के कारण कार्य नहीं कराया जा सका है, फिर भी प्रयास जारी है। तत्काल जल जमाव से निपटने हेतु 1197.0 मि० कच्चा नाला एवं 07 जगहों पर पाईप कलभर्ट बनाने हेतु मूल कार्य में वेरियेशन हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, जवाब मिला है। मेरा इतना ही पूरक प्रश्न है कि 24 करोड़ रुपये की लागत से नाला का निर्माण हुआ लेकिन अंतिम बिंदु तक नाला का निर्माण नहीं हुआ जिसके कारण हर वर्ष भारी जल-जमाव पूरे इलाके में होता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि जवाब में यह जो कलभर्ट का पैसा दिया हुआ है, यह डेढ़ साल पहले दिया हुआ है। इच्छाशक्ति के कारण वहाँ न कलभर्ट बन रहा है, कच्चा नाला के अंतिम बिंदु तक पानी नहीं जा रहा है। फिर जून के महीना में भयानक जल-जमाव होगा।

अध्यक्ष : क्या पूछ रहे हैं?

श्री संजय सरावगी : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि यह अंतिम बिंदु तक पानी की निकासी हो जायेगी। यह कब तक अंतिम बिंदु तक पानी की निकासी हो जायेगी? यह मैं आग्रह करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग।

श्री सप्तराट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब में स्पष्ट है कि नाला निर्माण के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं लेकिन वहाँ पर आम जन विरोध कर रहे हैं। माननीय विधायक जी से भी आग्रह करूँगा कि माननीय सदस्य भी उसकी चिंता करें। वहाँ कच्चा नाला है लेकिन माननीय सदस्य ने जब चिंता जाहिर की है तो मैं विशेष तौर पर जिलाधिकारी के नेतृत्व में एक कमेटी गठन कर वहाँ पर यथाशीघ्र इस काम को पूरा कराने का निर्देश दूँगा।

अध्यक्ष : ठीक है, हो गया।

श्री संजय सरावगी : माननीय मंत्री जी का बहुत सकारात्मक जवाब आया है।

अध्यक्ष : तो और क्या है?

श्री संजय सरावगी : महोदय, पदाधिकारियों की इच्छाशक्ति की कमी है क्योंकि मेरा क्षेत्र है और लगातार हम इसकी समीक्षा....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने आदेश कर दिया तो उसके बाद क्या है ? बैठिये ।

श्री संजय सरावगी : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ । यह शिलान्यास वर्ष 2015 में माननीय मंत्री जी ही किये थे ।

अध्यक्ष : आपने धन्यवाद दे दिया ।

तारांकित प्रश्न संख्या-636 (श्री दिलीप राय, क्षेत्र संख्या-26, सुरसंड)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री (लिखित उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, 1-उत्तर अस्वीकारात्मक है । सीतामढ़ी जिले के पुपरी में माप तौल निरीक्षक का कार्यालय ई-किसान भवन में स्थापित है । जहाँ निरीक्षक, माप एवं तौल दिनांक-10.07.2023 से ही पुपरी अनुमण्डल संबंधित कार्य का निष्पादन करते हैं ।

2-उत्तर अस्वीकारात्मक है । निरीक्षक, माप एवं तौल, सीतामढ़ी सदर अतिरिक्त प्रभार पुपरी/शिवहर प्रत्येक सप्ताह के गुरुवार को पुपरी अनुमण्डल के नियत कार्यालय ई-किसान भवन में व्यापारियों से संबंधित कार्यों का निष्पादन करते हैं ।

3-कंडिका (1) एवं (2) से स्पष्ट है ।

श्री दिलीप राय : अध्यक्ष महोदय, जवाब से मैं संतुष्ट हूँ । मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूँ।

अध्यक्ष : धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या-637 (श्री विद्या सागर केशरी, क्षेत्र संख्या-48, फारबिसगंज)

अध्यक्ष : विद्या सागर केशरी जी, उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिये ।

श्री विद्या सागर केशरी : महोदय, पूछता हूँ ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री विद्या सागर केशरी : महोदय, मुझे उसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग । विद्या सागर केशरी जी का उत्तर पढ़ दीजिये ।

श्री श्रवण कुमार, माननीय मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है । उल्लेखनीय है कि विभागीय वेबसाईट (<https://epds.bihar.gov.in>) के RC Online सेक्शन अथवा (<https://rconline.bihar.gov.in>) पर Online RCMS के द्वारा नये राशन कार्ड बनाने (प्रपत्र 'क') के अतिरिक्त वर्तमान राशन कार्ड में उपांतरण (प्रपत्र 'ख') हेतु आवेदन करने के विकल्प भी मौजूद हैं, जिसके माध्यम से राशन

कार्ड में नए सदस्यों का नाम जोड़ने अथवा हटाने की सुविधा माह मार्च, 2023 से उपलब्ध है।

Online RCMS के माध्यम से राशन कार्ड में उपांतरण (प्रपत्र 'ख') हेतु प्राप्त आवेदनों में से वर्तमान अवधि तक लगभग 1,41,796 आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है। आमजनों की सुविधा हेतु विभागीय वेबसाइट पर प्रपत्र 'क' एवं प्रपत्र 'ख' संबंधी उपयोगकर्ता पुस्तिका (User Manual) उपलब्ध है।

अध्यक्ष : ठीक है, हो गया।

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, राशन कार्ड से जुड़ा हुआ मामला है और इसमें गरीब लोगों को ज्यादातर परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम चाहेंगे कि और सरल हो, ये राशन कार्ड जो वेबसाइट पर लोड होता है, उसमें नये लोगों का नाम जोड़ना है और विलोपित करना है, उसमें कुछ सरलता लाया जाय चूंकि यह राशन कार्ड गाँव के गरीबों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम चाहेंगे कि इसमें पारदर्शिता के साथ इस काम को अंजाम दें।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ध्यान देंगे।

टर्न-7/संगीता/22.02.2024

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिए जाएं। अब कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक-22 फरवरी, 2024 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। श्री सुदामा प्रसाद, श्री अजीत शर्मा।

आज सदन में वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद, मतदान एवं सरकार के उत्तर का कार्यक्रम निर्धारित है।

अतः बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-172(3) एवं 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है।

अब शून्यकाल लिये जायेंगे।

(व्यवधान)

शून्यकाल की सूचनाएं

अध्यक्ष: श्री मो 0 अनजार नईमी।

(व्यवधान)

हो गया बैठिए । बोलिए नईमी साहब ।

श्री मो 0 अनजार नईमी : महोदय, किशनगंज जिलान्तर्गत बहादुरगंज प्रखंड में सर्वे अमीन द्वारा भूमि सर्वेक्षण का काम किया जा रहा है । सर्वे कर्मियों द्वारा सेवा शुल्क के नाम पर अनावश्यक धन उगाही की लगातार शिकायतें आ रही हैं ।

मैं माननीय मंत्री भूमि सुधार से अनुरोध करता हूं कि दोषी कर्मियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करें ।

श्री अखतरूल ईमान : माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिलान्तर्गत दिघलबैंक प्रखंड के बालूबाड़ी, तलवार बन्धा एवं गर्मन डांगा गांवों में हाथियों ने उत्पात मचा रखा है । नेपाली हाथियों के उत्पात के कारण किसानों के सैकड़ों एकड़ मक्का फसल एवं मकान तबाह हो गये हैं । बर्बाद फसलों, मकान के मुआवजे एवं हाथियों से सुरक्षा की मांग करता हूं ।

श्री महानंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, अरवल में बाईपास नहीं होने के कारण काफी जाम लगा रहता है । एनएच 139 पर ट्रकों व अन्य वाहनों का काफी दबाव रहने के कारण दुर्घटनाएं काफी होती हैं । पटना से औरंगाबाद तक फोर लेन व अरवल में बाईपास बनाने की मांग करता हूं ।

श्री गोपाल रविदास : अध्यक्ष महोदय, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक को पूर्णकालिक तथा नियत वेतन में संशोधन करते हुए वेतनमान एवं भत्ता नियोजित शिक्षकों के समान करने की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं ।

श्री अजीत कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य भर के ग्राम कचहरियों में पिछले 16 वर्षों से ग्राम कचहरी सचिव कार्य कर रहे हैं । सरकार के महत्वपूर्ण कार्य निर्वाचन, जनगणना, स्वच्छता इत्यादि में भी इनकी भूमिका अति महत्वपूर्ण है । ग्राम कचहरी सचिव के मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी तथा ईपीएफ देने की मांग करता हूं ।

श्रीमती ज्योति देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, गया जिला अन्तर्गत प्रखंड मुख्यालय बाराचट्टी से बुमुआर तथा बुमुआर से ग्राम लाडू (प्रखण्ड-मोहनपुर) तक की सड़क पूर्णतः गड्ढों में तब्दील हो चुकी है । वर्षों से आवागमन में घोर कठिनाई हो रही है । लोकहित में उक्त सड़क का निर्माण शीघ्र कराने की मांग सरकार से करती हूं ।

श्री रामचन्द्र प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के बहेड़ी प्रखंड अंतर्गत सुसारी तुर्की पंचायत के नंदापट्टी गांव से बलिगांव बघौल घाट तक कमला नदी के दोनों तरफ का सुरक्षा बांध पूर्णतया ध्वस्त हो चुका है ।

अतः मैं सरकार से कमला नदी के दोनों तरफ के सुरक्षा बांध का जीर्णोद्धार कराने की मांग करता हूं।

डॉ० निकी हेम्ब्रम : माननीय अध्यक्ष महोदय, कटोरिया विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत बौंसी प्रखण्ड के सिंचाई डैम रोड से गोकुला के गोकुला नदी पर पुल निर्माण होने से गोकुला, कैरी, सरुआ एवं असनाहा पंचायत के अनेकों गांव संपर्क पथ से जुड़ेगा।

अतः सरकार से उक्त नदी पर पुल निर्माण की मांग करती हूं।

श्री विजय सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिलान्तर्गत बरारी प्रखण्ड कुल 21 पंचायत एवं एक नगर पंचायत है। जिसकी आबादी अत्यधिक रहने के कारण लोगों का काम प्रखण्ड मुख्यालय में ससमय नहीं हो पाता है। मैं सदन के माध्यम से ग्यारह पंचायत मिलाकर सेमापुर को प्रखण्ड बनाने की सूचना देता हूं।

श्री इजहारुल हुसैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला सहित सीमांचल क्षेत्र में अधिकांश आबादी सुरजापुरी मुसलमानों की है, जिसे पिछड़ा वर्ग-2 में रखा गया है। जातीय गणना के आंकड़ों के मुताबिक सुरजापुरी मुसलमान सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से अत्यंत पिछड़ा है। सुरजापुरी मुसलमानों को अत्यंत पिछड़ा (OBC) वर्ग में सम्मिलित करने की मांग करता हूं।

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली-2023 की कंडिका 5 के तहत शिक्षकों की मृत्योपरांत आश्रितों को शिक्षक बनने की तमाम योग्यता एवं अहर्ता के बावजूद अनुकंपा के आधार पर शिक्षक पद पर बहाल नहीं किया जा रहा है। अनुकंपा आश्रितों को अविलम्ब शिक्षक पद पर बहाल करें सरकार।

श्रीमती गायत्री देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखण्ड अन्तर्गत कुम्मा-बेला पथ निर्माण विभाग की सड़क पर, परिहार एवं मानिकपुर मुशहरनियां ग्राम में सड़क पर पानी का जमाव रहता है।

अतः परिहार एवं मानिकपुर-मुशहरनियां ग्राम में सड़क किनारे नाला निर्माण कराने की मांग सरकार से करती हूं।

श्रीमती कविता देवी : अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिलान्तर्गत फलका प्रखण्ड के सोहता उतर पंचायत में सोहता नया टोला गांव कोलभारी धार में पुल नहीं रहने के कारण आम नागरिकों को आवागमन में काफी कठिनाई होती है। मैं सदन के माध्यम से शून्यकाल की सूचना देती हूं।

श्री कुंदन कुमार : अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय में स्थित गणेशत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को वर्ग कक्ष निर्माण का

प्राक्कलित विवरणी हेतु प्रेषित पत्रांक A/C-223/23 दिनांक 06.12.2023 के आलोक में यथाशीघ्र वर्ग कक्ष निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

श्री अनिल कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला अंतर्गत बथनाहा विधान सभा के दिघी पंचायत के हरिबेला ग्राम में अधवारा नदी में स्लूईस गेट नहीं होने से किसानों की जमीन (खेती) सिंचाई नहीं हो पा रहा है । मैं सरकार से स्लूईस गेट निर्माण की मांग करता हूं ।

सुश्री श्रेयसी सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जमुई नगर वासियों के लिए बोधवन तालाब के धार्मिक और भौगोलिक महत्व को देखते हुए मैं बोधवन तालाब के सफाई और सौंदर्योक्तरण की मांग करती हूं ।

श्रीमती विभा देवी : महोदय, जिला नवादा के सभी प्रखण्डों के बाजार में डिल्क्स महिला (पिन्क) शौचालय का निर्माण शीघ्र कराने की व्यवस्था की जाय ।

श्री राम रतन सिंह : अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिलान्तर्गत बरौनी प्रखण्ड के बीहट नगर परिषद के वार्ड नं0-22 में अवस्थित स्वास्थ्य उपकेंद्र का भवन जर्जर अवस्था में है ।

अतः मैं उपरोक्त वर्णित स्वास्थ्य उपकेंद्र के जर्जर भवन के स्थान पर नए भवन का निर्माण कराने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री जय प्रकाश यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत नगर पंचायत नरपतगंज के वार्ड नंबर तीन स्थित मेन केनाल के 88.5 RD पर पुल बनाने की मांग सदन के माध्यम से करता हूं ।

श्री ललन कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से भागलपुर के इण्टर स्तरीय उच्च विद्यालय ईशीपुर, पीरपेंती के क्रीड़ा मैदान की घेराबंदी सह स्टेडियम, इण्टर स्तरीय उच्च विद्यालय मथुरापुर, कहलगांव के क्रीड़ा मैदान में स्टेडियम एवं प्रगति मैदान पीरपेंती, शेरमारी में स्टेडियम निर्माण करवाने की मांग करता हूं ।

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग द्वारा BPSC TRE में Ineligible तथा Multiple results के कारण रिक्त पदों पर Supplimentary result देने की लिखित घोषणा के बावजूद हजारों रिक्त पदों पर पूरक परिणाम नहीं दिया गया ।

अतः TRE-1.0 तथा TRE-2.0 के सभी खाली पदों पर तत्काल Supplimentary result की मांग करता हूं ।

टर्न-8/सुरज/22.02.2024

श्री रामबली सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जहानाबाद जिलान्तर्गत घोसी प्रखण्ड के लखीसराय, कोरमा, गिरधरपुर महादलित टोला । मोदनगंज प्रखण्ड के झखाड़, नईमा । हुलासगंज

प्रखंड के किशनपुर, काको प्रखंड के छोटकी मुरारी महादलित टोला तथा नगर पंचायत काको के गुलामीचक गांव में नाला निर्माण ग्रामीणों की प्राथमिकता के बावजूद नहीं हो सका ।

अतः शीघ्र निर्माण करने की मांग करता हूँ ।

श्री अचमित ऋषिदेव : माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत भरगामा प्रखंड के खजूरी बाजार से टोनहा राईस मिल, बैजूपट्टी होते हरिपुरकला (हनुमान मंदिर) तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से सड़क निर्माण 8 (आठ) वर्ष पूर्व हुआ है, जो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया ।

उक्त जीर्ण-शीर्ण सड़क का जीर्णोद्धार करने की मांग मैं सरकार से करता हूँ ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिला के जयनगर में अवस्थित अनुमंडल का एक मात्र डिग्री कॉलेज डी०बी० कॉलेज है, जिसका भवन जर्जर हो गया है । भवन के अभाव में छात्रों का पठन-पाठन बाधित हो जाता है । शीघ्र भवन निर्माण करने की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्री विनय बिहारी : अध्यक्ष महोदय, योगापट्टी अंचल अंतर्गत पंचायत-सिसवां मंगलपुर वार्ड एक से सात, चौमुखा वार्ड-ग्यारह तथा जरलपुर में तेरह, पन्द्रह, सोलह और सतरह वार्ड गंग सिक्स्ट के अधीन किये जाने से विकास बाधित है ।

इन वार्डों को राजस्व विभाग गंग सिक्स्ट से मुक्त करें, सदन से इसकी मांग करता हूँ ।

श्री सूर्यकांत पासवान : अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिला के बखरी प्रखंड अंतर्गत ब्रह्मदेव नगर निराहरा के बीच चन्द्रभागा नदी में वर्षों से प्रस्तावित पुल निर्माण कार्य नहीं हो सका है ।

अतः अतिशीघ्र पुल बनाने की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्री सुनील मणि तिवारी : अध्यक्ष महोदय, राज्य में विकास मित्रों का नियोजन 2010 में किया गया है, जिनसे कर्मचारी दर्जे का कार्य भी लिया जा रहा है और वह जिम्मेवारी पूर्वक करते आ रहे हैं । विभाग में काफी रिक्तियां हैं ।

अतः सदन से विकास मित्रों को रिक्तियों पर समायोजन कर राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने की मांग करता हूँ ।

श्री मुरारी मोहन झा : माननीय अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के केवटी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत रजौरा पंचायत रही टोल से नयागांव पंचायत के वार्ड संख्या 02 मरने कमला नदी पर पुल निर्माण की मांग करता हूँ ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, पश्चिम चंपारण जिला अन्तर्गत मैनाटाड़ प्रखंड के रामपुर जिगना मार्ग में बिरहा नदी पर बना पुल विगत वर्ष 2023 में ध्वस्त हो गया। जंगल किनारे के उस गांव से संपर्क का दूसरा कोई रास्ता नहीं है।

अतः सरकार से बरसात के पहले जीगना पुल के निर्माण की मांग करता हूं।

श्री प्रणव कुमार : अध्यक्ष महोदय, मुंगेर जिला के सदर प्रखंड अंतर्गत सीताकुंड में सदियों पौराणिक माघी पूर्णिमा मेला को राजकीय मेला घोषित करने की सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं।

श्री रणविजय साहू : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैशाली जिला के लालगंज निवासी व्यवसायी मुकेश कुमार साहू की दिनांक-27.01.2024 को अपराधियों ने दिन-दहाड़े गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी, जिसका काण्ड संख्या 21/24 है।

अतः अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी एवं पीड़ित परिवार को 25 लाख मुआवजा तथा सुरक्षा की मांग करता हूं।

श्री विजय कुमार खेमका : माननीय अध्यक्ष महोदय, पत्रकारों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा सरकारी तंत्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अराजक तत्वों को उजागर करने पर धमकियां मारपीट एवं दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे पत्रकारों की सुरक्षा खतरे में रहती है।

अतः मैं सरकार से पत्रकारों के लिये सुरक्षा कानून बनाने एवं मूलभूत सुविधाएं देने की मांग करता हूं।

डॉ रामप्रीत पासवान : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला मधुबनी के प्रखंड राजनगर के रामपट्टी बाजार से राजनगर होते हुये ठाहर गुमटी खजौली तक 15 कि0मी0 ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क है। वह पथ निर्माण विभाग की सभी अर्हता पूरी करता है। मैं सरकार से उसे पथ निर्माण विभाग में सम्मिलित करवाने की मांग सरकार से करता हूं।

श्री राम सिंह : महोदय, पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत बगहा-1 प्रखंड में मसान नदी की पक्की बांध नहीं होने के कारण हर साल हजारों एकड़ फसल बर्बाद होती है तथा कई पंचायतों के गांवों में कटाव होता है। यदि पक्की बांध नहीं बनी तो एन0एच0-28 को भी कटाव का खतरा है।

अतः रायबरी महुआ से डुमरा तक पक्की बांध बनवाने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं।

श्री जिवेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला अन्तर्गत पथ प्रमंडल दरभंगा अन्तर्गत कमतौल-जोगियारा सड़क में बरसात के समय एवं अक्सर भी मुरैठा एवं बघौल ग्राम के बसावट पर जल-जमाव की स्थिति बनी रहती है।

अविलंब उक्त पथ पर मुरैठा एवं बघौल ग्राम के बसावट पर नाला निर्माण कराने की मांग करता हूं।

श्री बिरेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंधिया प्रखंड के वारी पंचायत स्थित कमला नदी के जमुआ घाट पर आरोसी०सी० पुल का निर्माण करवाने की मांग करता हूं।

श्री कुमार शैलेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, बिहापुर प्रखंड के मिल्की निवासी सागर कुमार की बेटी कंचन कुमारी को मो० सियाजिल नामक लड़के ने कॉलेज से लौटने के क्रम में जबरदस्ती लेकर भाग गया। घटना 08 फरवरी, 2024 को ही थाने में दर्ज की गयी है।

अतः कंचन कुमारी की बरामदगी के लिये सरकार से मांग करता हूं।

श्री सुदामा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिलान्तर्गत तरारी प्रखंड में जर्जर व जानलेवा हो चुकी तरारी से इंग्लिश टोला भाया सैदनपुर सड़क के तत्काल नवनिर्माण की मांग करता हूं।

श्रीमती रश्मि वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, बेतिया जिला अंतर्गत नरकटियागंज विधान सभा क्षेत्र में गृह कार्य करने हेतु मिट्टी खुदाई करने पर खनन विभाग एवं पुलिस द्वारा ट्रैक्टर मालिक एवं गृह स्वामी का आर्थिक दोहन किया जा रहा है।

मैं सदन के माध्यम से सरकार से इस प्रकार के कार्य करने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग करती हूं।

श्री पवन कुमार यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत सन्हौला प्रखंड कार्यालय भवन जर्जर एवं जीण-शीर्ण अवस्था में होने के कारण किसान भवन में संचालित हो रहा है।

अतः भवन की कमी को दूर करने हेतु सन्हौला में प्रखंड सह अंचल कार्यालय का नया मॉडल भवन निर्माण कराने की सरकार से मांग करता हूं।

अध्यक्ष : अरूण जी, आपकी सूचना श्री गोपाल रविदास जी की सूचना क्रमांक-04 के समरूप है इसलिये इसको अमान्य कर दिया गया है। वैसे आप पढ़ सकते हैं, पढ़ने की अनुमति देता हूं।

श्री अरूण सिंह : अध्यक्ष महोदय, राज्य के नियोजित शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक को सक्षमता परीक्षा में शामिल करते हुये अंशकालीन के स्थान पर पूर्णकालीन शब्द का प्रयोग कर मानदेय बढ़ोतरी करने संबंधी सदन के माध्यम से मांग करता हूं।

अध्यक्ष : अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं लिये जायेंगे ।

माननीय सदस्य श्री नीरज कुमार सिंह अपनी सूचना को पढ़ें ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

श्री नीरज कुमार सिंह, श्री बीरेन्द्र सिंह एवं अन्य दो सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (सहकारिता विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री नीरज कुमार सिंह : महोदय, “बिहार में खरीफ विपणन वित्तीय वर्ष 2023-24 में 15 नवम्बर से धान अधिप्राप्ति कार्य प्रारंभ है, जिसमें सहरसा जिला में 822933.00 किंवंल, सुपौल जिला में 1161350.00 किंवंल एवं मधेपुरा जिला में 1103870.00 किंवंल धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उक्त परिप्रेक्ष्य में सहरसा जिला में 533258.30 किंवंल (67.79%), सुपौल जिला में 1075347.30 किंवंल (92.59%), एवं मधेपुरा जिला में 831543.00 किंवंल (75.32%) धान अधिप्राप्ति पैक्स एवं व्यापार मंडल के माध्यम से कर ली गयी है। इन तीन जिलों में अभी तक मात्र 32% ही धान अधिप्राप्ति हो पायी है।

अतः खरीफ विपणन वित्तीय वर्ष 2023-24 में धान अधिप्राप्ति कार्य में सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा जिलों में धान अधिप्राप्ति की उच्च स्तरीय जांच कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं।

टर्न-9/राहुल/22.02.2024

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, धान अधिप्राप्ति योजना का उद्देश्य किसानों को उनके उपज की आपात बिक्री (Distress Sale) से बचाना तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ प्रदान करना है। खरीफ विपणन मौसम 2023-24 में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा कुल 45.00 लाख मे0 टन धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य के कोशी, पूर्णिया, तिरहुत, दरभंगा एवं सारण प्रमंडल में 1 नवंबर, 2023 से तथा राज्य के शेष जिलों में 15 नवंबर, 2023 से धान अधिप्राप्ति प्रारंभ होकर 15 फरवरी, 2024 तक संचालित हुआ है। निर्धारित अवधि में कुल लक्ष्य के आलोक में 3.73 लाख किसानों से 30.79 लाख मे0 टन धान की अधिप्राप्ति पैक्स/व्यापार मंडलों के माध्यम से किया गया है जो लक्ष्य का 68.44 प्रतिशत है। सुपौल जिले में 1,16,135 मे0 टन लक्ष्य के विरुद्ध निर्धारित अवधि तक 14,637 किसानों से 1,07,534.73 मे0 टन धान की अधिप्राप्ति हुई है जो लक्ष्य का 92.59 प्रतिशत है। सहरसा जिले में 82,293 मे0 टन के विरुद्ध निर्धारित

अवधि तक 7649 किसानों से 53283.23 में 0 टन धान की अधिप्राप्ति हुई है जो लक्ष्य का 64.75 प्रतिशत है एवं मधेपुरा जिला में 110387 में 0 टन लक्ष्य के विरुद्ध 11280 किसानों से 83153.50 में 0 टन धान की अधिप्राप्ति हुई है जो लक्ष्य का 75.33 प्रतिशत है। इन तीन जिलों में निर्धारित तिथि 15 फरवरी, 2024 तक कुल 75.33 प्रतिशत धान की अधिप्राप्ति हो गयी है। धान अधिप्राप्ति का कार्य ऑनलाइन व्यवस्था अन्तर्गत संचालित किया जाता है जिसके तहत किसानों से धान अधिप्राप्ति, किसानों को भुगतान एवं राज्य खाद्य निगम को चावल की आपूर्ति ऑनलाइन सम्पादित की जाती है जो पारदर्शी है तथा अधिप्राप्ति के सभी आंकड़े Public Domain पर उपलब्ध हैं। अधिप्राप्ति में प्राप्त शिकायतों के निवारण हेतु विभाग स्तर पर स्थापित IVRS Call Centre (सुगम) पर सहरसा जिला से 26 शिकायत प्राप्त हुई थी जिनका ससमय निवारण किया जा चुका है, मधेपुरा जिले में 8 शिकायत प्राप्त हुई थी जिनका ससमय निवारण हो चुका है तथा सुपौल जिले में 17 शिकायत प्राप्त हुई हैं जिनका ससमय निवारण हो चुका है।

श्री नीरज कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम किसानों की आय को दोगुनी करेंगे, दूसरी तरफ जो किसान की आय है उसको डी०सी०ओ०, पैक्स अध्यक्ष, एवं मिलर मिलकर के लूटने में लगे हुए हैं सहरसा जिले का जो अभी आंकड़ा दिया गया है 64.79 परसेंट। महोदय, अधिप्राप्ति का जो लक्ष्य था उसका आधा अभी तक प्राप्त किया गया है दूसरी तरफ इस रिपोर्ट में हम चैलेंज के रूप में कहना चाहते हैं कि जो 64 परसेंट का यह आंकड़ा दिया गया है इसके आधे की भी अभी अधिप्राप्ति नहीं की गयी है। सारा पेपर पर क्रय किया गया है यह फर्जी रिपोर्ट दी गयी है हम माननीय मंत्री जी से चाहेंगे कि सहरसा जिले की रिपोर्ट पर निश्चित रूप से जांच करायी जाय और किसान को बचाया जाय हमारा माननीय मंत्री जी से आग्रह है।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य का जो सुझाव आया है। हम समीक्षा किये थे, काफी कम क्यों हो रहा है पूरे राज्य में 45 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य था उसमें 30 लाख टन की खरीद हो पायी है तो निश्चित रूप से मैं चाहता हूं कि सारे मामले की जांच हो, उनकी बात से मैं सहमत हूं। सहरसा के कमिशनर से हम जांच करवा देते हैं।

श्री नीरज कुमार सिंह : महोदय,...

अध्यक्ष : हो गया अब।

श्री नीरज कुमार सिंह : महोदय, उच्च अधिकारी से जांच करवायी जाय। कमिशनर के माध्यम से जांच करवायी जाय। महोदय, उसमें एक-दो और मामले हैं कि जो तीनों जिलों

में अधिप्राप्ति का लक्ष्य दिया गया है वह लक्ष्य भी कम है तो हमारा आग्रह होगा कि इस लक्ष्य को बढ़ाया जाय पहले लक्ष्य को बढ़ाया भी जाय, लक्ष्य ही कम है उसको पूरा नहीं किया गया है उसको पूरा किया जाय। अगले वित्तीय वर्ष में लक्ष्य को बढ़ाया जाय उसके अलावा एक और डिमांड है कि जो यह 15 नवंबर से दिया जाता है जब किसान उससे पहले अपना धन तैयार कर लेते हैं मार्केट में बिकने लगता है, किसान परेशान होते हैं तब तक सरकार नहीं खरीदती है तो यह समय-सीमा को भी बिफोर किया जाय। स्टॉक नहीं किया जाय, अक्टूबर के बाद से किया जाय ताकि किसानों को उसका भरपूर लाभ मिल सके यही माननीय मंत्री जी से हमारा आग्रह है।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, जो सारे सुझाव आये हैं उनकी समीक्षा कर निश्चित तौर पर हम लोग कार्रवाई भी करेंगे और हमने कहा है कि जो शिकायतें आयी हैं हम 15 दिनों के अंदर में कमिशनर के स्तर पर जांच कराकर जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह अपनी सूचना को पढ़ें।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया...

अध्यक्ष : हो गया अब। नहीं-नहीं पूर्णिया का विषय नहीं है हो गया। आपके दस्तखत नहीं हैं इसमें, नहीं होगा। बैठिये।

श्री अजय कुमार सिंह, श्री विजय शंकर दूबे एवं पाँच सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (ऊर्जा विभाग) की ओर से वक्तव्य।

श्री अजय कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, पन बिजली योजना अंतर्गत पानी से बिजली का उत्पादन न सिर्फ सस्ता है बल्कि प्रदूषणमुक्त भी है। राज्य सरकार ने इसके लिए पहल भी की है लेकिन जितनी कारगर पहल होनी चाहिए, नहीं की गयी है। राज्य में नदियों का जाल बिछा है लेकिन मात्र 54 मेगावाट बिजली का उत्पादन पानी से हो रहा है। यदि किसी नदियों का आकलन किया जाय तो कई हजार मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है। सरकार ने 2023-24 में गंडक, बूढ़ी गंडक एवं महानंदा नदियों पर जल विद्युत क्षमता की संभावना का सर्वेक्षण कराया गया था लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बावजूद भी आज तक उस दिशा में पहल नहीं की गयी है।

अतः राज्य की नदियों पर अधिक से अधिक पनबिजली संयंत्र स्थापित कर उपभोक्ताओं को प्रदूषणमुक्त सस्ती बिजली दिये जाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : समय चाहिए, महोदय ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के तहत पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2021-22 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति ।

श्री अजीत शर्मा (सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के 211 के तहत सप्तदश बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति के वित्त विभाग से संबंधित षष्ठम प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सभापति, राजकीय आश्वासन समिति ।

श्री दामोदर रावत (सभापति, राजकीय आश्वासन समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के 211 के तहत राजकीय आश्वासन समिति का शिक्षा विभाग से संबंधित 336वां, ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित 337वां, 338वां, ऊर्जा विभाग से संबंधित 339वां, 341वां, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित 340वां, जल संसाधन विभाग से संबंधित 346वां प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : सभा सचिव ।

सभा सचिव : महोदय, माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश MP/MLA, Bhojpur, Ara द्वारा Seession Trial No. 123/2019 (Azimabad P.S. Case No. 51/2015) में पारित न्याय निर्णय के आलोक में सप्तदश बिहार विधान सभा के माननीय सदस्य श्री मनोज मंजिल, निर्वाचन क्षेत्र संख्या-195, अगियांव (अ0जा0) के विरुद्ध दोषसिद्धि एवं दंडादेश के परिणामस्वरूप जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 तथा संविधान के अनुच्छेद 191(1)(e) के प्रावधानों के तहत श्री मनोज मंजिल, सदस्य विधान सभा, दोषसिद्धि की तिथि दिनांक-13.02.2024 के प्रभाव से बिहार विधान सभा की सदस्यता से निरहित हो गये हैं ।

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 02.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-10/मुकुल/22.02.2024

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है।

वित्तीय कार्य

माननीय सदस्यगण, पथ निर्माण विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा। इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है। विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है, इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा :-

राष्ट्रीय जनता दल	-	59 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	-	58 मिनट
जनता दल यूनाइटेड	-	33 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	-	14 मिनट
सी.पी.आई. (एम.एल.)	-	08 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	-	03 मिनट
सी.पी.आई.(एम.)	-	02 मिनट
सी.पी.आई.	-	02 मिनट
ए.आई.एम.आई.एम.	-	01 मिनट
<hr/>		
कुल	-	180 मिनट
<hr/>		

माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग अपनी माँग प्रस्तुत करें।

श्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

“पथ निर्माण विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 5702,80,56,000/- (पांच हजार सात सौ दो करोड़ अस्सी लाख छप्पन हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।”

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण श्री राजेश कुमार, श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन, श्री अजीत शर्मा एवं श्री अजय कुमार सिंह से पथ निर्माण विभाग के संपूर्ण माँग पर प्रत्येक कटौती

प्रस्ताव एवं माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा से अनुदान माँग के मद को मितव्ययिता के आधार पर घटाने का कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ये सभी व्यापक हैं, जिन पर सभी माननीय सदस्य विचार-विमर्श कर सकते हैं। संपूर्ण माँग पर प्राप्त प्रत्येक कटौती प्रस्ताव में माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार का प्रस्ताव प्रथम है एवं अनुदान के मदों पर माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा का कटौती प्रस्ताव प्रथम है। बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-173(6) के प्रथम परंतुक के तहत मितव्ययिता के आधार पर दी गई कटौती प्रस्ताव को पूर्वता दी जाती है।

अतः माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
श्री अजीत शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

“इस शीर्षक के मुख्य शीर्ष-3054, उप मुख्य शीर्ष-80, लघु शीर्ष-001, उप शीर्ष-0001 के लिए 1 करोड़ 90 लाख 3 हजार रुपये की मांग 15 लाख रुपये से घटाई जाय, मितव्ययिता पर विमर्श के लिए।”

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए किया है कि आप देखेंगे कि इस मद में 2021-22 का वास्तविक खर्च 76 लाख 18 हजार 120 रुपये है। 2022-23 में इस मद में 1 करोड़ 26 लाख 51 हजार रुपये का बजट प्रावधान किया गया जिसके विरुद्ध बजट की पुस्तक में वास्तविक खर्च 1 करोड़ 89 लाख 15 हजार 229 रुपये अंकित है। वैसे भी यह समझ से परे है कि 1 करोड़ 26 लाख के बजट प्रावधान के विरुद्ध 1 करोड़ 89 लाख रुपये वास्तविक खर्च किस स्थिति में हुए। मेरे पास जो आंकड़े सरकार के हैं वही मैं बता रहा हूँ। वैसे यह तो सरकार बतायेगी कि कहीं चूक है या नहीं।

महोदय, इस मद में विधि में खर्च होने वाले प्रावधान को देखा जाय। 2021-22 में 8 लाख 17 हजार 300 रुपये वास्तविक खर्च हुए। 2022-23 में 20 लाख के बजट प्रावधान के विरुद्ध खर्च 7 लाख 82 हजार 942 रुपये हुए। 2023-24 में 20 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया और फिर उसे ही आगे बढ़ाते हुए 2024-25 में भी 20 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। होना तो यह चाहिए था कि विधि मद में कम से कम खर्च हो और यह आसानी से हो भी सकता है। साथ ही, बजट प्रावधान का 40 प्रतिशत से भी कम जब 2022-23 में वास्तविक खर्च हुआ तो इसे और घटाने की जरूरत थी न कि पूर्व की भाँति 20 लाख बजट प्रावधान को यथावत् छोड़ दिया जाय।

महोदय, बजट प्रावधान कर दिये जाने के बाद उस राशि को अन्यत्र खर्च नहीं किया जा सकता है। वह राशि तब तक के लिये लॉक हो जाती है जब तक

कि उसे सरेंडर नहीं किया जाय। बजट मैनुअल में प्रावधान है कि किस प्रकार से फरवरी के प्रथम सप्ताह से ही खर्च और बचत का आकलन कर अवशेष राशि को सरेंडर किया जाय परंतु यह किया नहीं जाता है।

महोदय, इसी तरह से इस मद में ही दूरभाष में आप देखेंगे कि 2021-22 में वास्तविक खर्च 1 लाख 12 हजार 590 रुपये हुआ है। 2022-23 में बजट प्रावधान 7 लाख के विरुद्ध वास्तविक खर्च 1 लाख 94 हजार 805 रुपये खर्च हुआ है। 2023-24 में उसे 7 लाख यथावत् छोड़ दिया गया। इसमें से कितनी राशि खर्च हुई इसका आंकड़ा कहीं बजट में नहीं है, वह अगले साल आयेगा लेकिन इसे अचानक 2024-25 में बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है जबकि दिनों दिन दूरभाष की दरों में कटौती हो रही है।

महोदय, इसीलिए मैंने मितव्ययिता के इन दोनों बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इस मद में 15 लाख रुपये की कटौती का प्रस्ताव किया है। पथ निर्माण विभाग के जिम्मे इस राज्य के लोगों को सुगम आवागमन उपलब्ध कराने का दायित्व है लेकिन इस तरह से अनावश्यक और अधिक आकलन कर खर्चों का यदि प्रावधान कर दिया जायेगा तो पथ निर्माण के विभिन्न मदों के लिए भी खर्च में कटौती करनी होगी।

अध्यक्ष महोदय, वैसे भी पथ निर्माण विभाग के बजट में कटौती इस बार हुई है। वर्ष 2023-24 में जहां स्कीम मद में 4 हजार 4 सौ 20 करोड़ 99 लाख का प्रावधान था वहीं 2024-25 में स्कीम मद में 4 हजार 1 सौ 94 करोड़ 16 लाख रुपये की यानी 2 सौ 26 करोड़ 83 लाख रुपये की कटौती की गयी है। ऐसे खर्चों को बचाइये और योजना मद में लगाइये।

मैं उदाहरण के तौर पर बताना भी चाहता हूं और मांग भी करना चाहता हूं महोदय, कि भागलपुर जिलांतर्गत साहू परबता चौक से तेतरी दुर्गा मंदिर तक सड़क का चौड़ीकरण नहीं हो पा रहा है। इसके बारे में मेरे प्रश्न करने पर सरकार द्वारा कहा गया कि संसाधन की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।

महोदय, भागलपुर में ही जाम से निजात दिलाने के लिए घंटाघर से स्टेशन होते हुए मुस्लिम हाई स्कूल तक तथा जवाहर टॉकीज, भागलपुर से लेकर चम्पा नाला पुल के उस पार तक फ्लाई ओवर निर्माण हेतु कई बार प्रश्न एवं अन्य माध्यमों से मेरे द्वारा अनुरोध किया गया परंतु इसमें भी धन की अड़चन कारण है।

महोदय, आखिर संसाधन आयेगा कैसे और कहां से? हमें पहल कर सूक्ष्मता से देखना होगा और बजट के शीर्षों में जहां-जहां भी अतिरिक्त खर्च

दिखता हो, उसको बंद कर विकास में खर्च करें ताकि राज्य आगे बढ़ सके । मेरा उद्देश्य इस कटौती को लाने का यही है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपनी बातों को अब कन्कलूड कीजिए ।

श्री अजीत शर्मा : महोदय, मुझे आपने समय दिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं । शेष समय में हमारे दल के माननीय अपनी बात रखेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री केदार प्रसाद गुप्ता जी । आपके पास 10 मिनट का समय है ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज यहां पथ निर्माण विभाग, कृषि विभाग सहित कई विभागों के सरकार की उपलब्धि पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं और इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं, मैं आभार प्रकट करता हूं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व एवं राज्य नेतृत्व को जिन्होंने मुझपर विश्वास करके कुदृग्नी विधान सभा से टिकट दिया और मैं आभार प्रकट करता हूं अपनी कुदृग्नी विधान सभा की महान जनता का जिन्होंने उसपर मुहर लगाकर इस सदन में भेजने का काम किया है । महोदय, पथ निर्माण विभाग राज्य की सड़क आधारभूत संरचना को राष्ट्रीय मानक के अनुरूप विकसित करने के साथ-साथ राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान तक सड़क आवागमन में लगने वाले समय को न्यूनतम करने के लिए चरणबद्ध तरीके से पथों एवं पुलों का निर्माण विभाग द्वारा लगातार कराया जा रहा है । महोदय, जिसका प्रमाण है कि आज बिहार के किसी भी कौने से 5 से 6 घंटे में लोग पटना पहुंच रहे हैं । यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा दिये गये पैकेज से एवं राज्य सरकार की कुशलता से कई महत्वपूर्ण योजनाओं/परियोजनाओं को आमजन के लिए लोकार्पित किया गया है । महोदय, उनमें से प्रमुख हैं जे०पी० गंगा पथ परियोजना, पी०ए०सी०ए० से गाय घाट तक सड़क बनाने से पटना नहीं उत्तर बिहार के लोगों को पी०ए०सी०ए० में इलाज कराने आने में काफी सुविधा हो रही है । महोदय, लोहिया पथ चक्र के द्वितीय चरण अंतर्गत हड़ताली चौक पर विशिष्ट संरचनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण कर बोरिंग कैनाल रोड, दरोगा राय पथ, अटल पथ एवं नेहरू पथ जंक्शन पर सिनगल रहित यातायात का परिचालन सुनिश्चित किया गया है । महोदय, हमलोग उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से आते हैं, पहले विधान सभा और अस्पताल या कोर्ट कचहरी के लिए आने में काफी दिक्कत हुआ करती थी ।

क्रमशः

टर्न-11/यानपति/22.02.2024

श्री केदार प्रसाद गुप्ता (क्रमशः) : महोदय, लेकिन आज अटल पथ बन जाने के कारण जेपी सेतु पार करते हुए हमलोग 5-7 मिनट में विधान सभा पहुंच जाते हैं, यह सरकार की उपलब्धि है। महोदय, हमारे विधान सभा अंतर्गत कुढ़नी प्रखंड में भी बलिया से केसोपुर और रामचंद्रा से बागी तक सड़क बनवाया गया है इससे काफी लोगों को सुविधा मिल रही है। अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी और पथ निर्माण जिनके अधीन है मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जो सड़क बनवाया गया है वह आर0डब्लू0डी0 की चौड़ाई 12 फीट 3 इंच का ही बना है, उसी को मोटा किया गया है, मजबूत किया गया है। उसे 5 मीटर चौड़ाई कराने एवं बलिया से कुढ़नी गुदरीबाजार तक नाला एवं कच्ची-पक्की चौक से आगे पंडितबर तक नाला का निर्माण कराया गया है लेकिन उसके आगे नाला निर्माण करा कर के हम अनुरोध करेंगे कि सुस्ता नहर में जो साइफन है वहां तक नाला बनवाने की कृपा करेंगे। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं कच्ची दरगाह बिदुपुर के बीच गंगा नदी पर भी 6 लेन पुल के निर्माण कार्य में प्रगति लाई गई है। गंगा नदी पर बखियारपुर-ताजपुर के बीच फोरलेन पुल के निर्माण कार्य को पुनः प्रारंभ किया गया है तथा वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। मीठापुर से रामगोविंद सिंह महुली हाल्ट एलिविटेड पथ का निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं कृषि विभाग में भी महात्मा गांधी कहते थे भारत गांवों का देश है और कृषि उसकी आत्मा है। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और राज्य के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहनेवाले माननीय मुख्यमंत्री जी, दोनों उप मुख्यमंत्री जी श्री सप्तरात चौधरी एवं श्री विजय कुमार सिन्हा जी हमेशा चाहते हैं कि किसानों की लागत की दुगुनी कीमत कैसे उन्हें मिल सके। महोदय, और इसके लिए लगातार उसपर काम कर रहे हैं। कृषि रोड मैप के माध्यम से कृषि का सर्वांगीण विकास हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, किसान सरकार की प्राथमिकता में हैं, बिहार में किसानों को खेती के लिए बेहतर माहौल एवं आधुनिक तकनीकों से बेहतर बाजार सुनिश्चित कराने का हरसंभव काम कर रही है। किसानों को खेती के लिए सभी संभव उपादान जैसे गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक, कीटनाशी, कृषि यंत्र उपलब्ध कराये जा रहे हैं। हर खेत तक पानी पहुंचाने की दिशा में गंभीर प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में जहां कोई विशिष्ट उत्पाद अधिक मात्रा में उत्पादित होते हैं वहां उत्पाद पर आधारित फूड प्रोसेसिंग उद्योग स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। जैसे मखाना है, शहद है हमलोगों के मुजफ्फरपुर में लीची का बहुत बड़ा, किसानों की वहां खेती होती है। उसके लिए भी अपने देश

में ही नहीं, प्रोसेसिंग विदेशों में भी भेजने के लिए राज्य सरकार और हमारी केंद्र सरकार जो है योजना बनाकर किसानों को आगे बढ़ाने में रुचि ले रही है। आम है, प्याज है, सब्जी है, पान है इनसबों के मुख्य मूल्य संवर्द्धन कर कृषि आधारित उद्योगों के माध्यम से किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में काम हो रहा है। महोदय, 2005 के बाद लगातार कृषि रोड मैप बनाकर के प्रथम रोड मैप, दूसरा रोड मैप, तीसरा रोड मैप अब चतुर्थ रोड मैप के माध्यम से बिहार के लाखों किसानों को लाभ पहुंचाने का काम हो रहा है। आज कृषि रोड मैप के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप मोटे अनाज मक्का, गेहूं के उत्पादन में उल्लेखनीय उपलब्धियां मिली हैं। महोदय, यही नहीं बिहार के कृषि धरोहरों में कतरनी चावल, जर्दालू आम, शाही लीची, मगही पान, मिथिला मखाना की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी मिली है। महोदय, आज बिहार के किसानों की खुशहाली एवं लागत की दुगुनी कीमत कैसे मिले इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत सभी किसानों को 6 हजार रुपया प्रतिवर्ष दे रहे हैं। इसके लिए हमलोगों को प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहिए। महोदय, पहले की सरकार किसानों को ठगने का काम किया करती थी। जब चुनाव आता था तो कुछ अनुदान देकर के कुछ ऋण माफ कर दिया जाता था और इससे किसान को कोई लाभ नहीं होता था। लेकिन सचमुच में आज अगर किसानों के प्रति कोई सरकार सजग है तो केंद्र की नरेंद्र भाई मोदी और बिहार के माननीय नीतीश कुमार जी हैं। हम इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को भी और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को भी इसके लिए धन्यवाद, साधुवाद देते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ योजनाएं हैं जैसे सोनबरसा-महुआ मुख्य पथ है सोनबरसा-महुआ मुख्य पथ से केरमा मुख्य पथ तक जो है सड़क जर्जर है और काफी लोगों को दिक्कत हो रही है। हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि सड़क को बनाया जाय। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा फुलवरिया से आगे सड़क जो है और कदाने नदी पर पुल है उससे काफी लोगों को दिक्कत हो रही है उसको भी सरकार दिखाने का काम करे, मेरी सरकार से यही मांग है। मैं मांग करता हूं, अंत में महोदय कि कुढ़नी विधान सभा बिहार का सबसे बड़ा खंड का विधान सभा है। पहले तो 39 पंचायत था लेकिन दो नगर पंचायत में चला गया है। 37 पंचायत का एक प्रखंड है जिसके कारण जनकल्याणकारी योजनाएं जन-जन तक नहीं पहुंच पाती हैं। महोदय, हम अनुरोध करेंगे कुढ़नी को मनियारी साइड 14 पंचायत जो पूर्वी पंचायत है, पूर्वी पंचायत के 14 पंचायत को अलग कर मनिहारी को प्रखंड का दर्जा दिया जाय। हम अनुरोध करेंगे.....

अध्यक्ष : अब आप कंकलूड कीजिए ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : महोदय, बस हम अपनी बातों को करते हुए मैं एक बार पुनः मैं नरेंद्र भाई मोदी जी को और अपने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों को धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि आज जिस तरह पथ निर्माण का कार्य हो रहा है कृषि के क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य हो रहा है, सभी क्षेत्र में कार्य हो रहा है व इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और माननीय सभी सदस्यों से अनुरोध करेंगे कि सबलोग उनको धन्यवाद दें, आभार प्रकट करें, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री फते बहादुर सिंह, आपके पास 30 मिनट है ।

श्री फते बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद । मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी का जो मुझे इस सदन में पहुंचने के लिए टिकट देने का काम किए, मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने क्षेत्र की जनता का जिन्होंने हमें सदन में भेजने का काम किया । मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने सचेतक महोदय का जिन्होंने अपनी बात रखने का मौका दिया । अध्यक्ष महोदय, आज मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं । जो विभाग है पथ निर्माण विभाग, कृषि विभाग, गन्ना उद्योग विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, श्रम संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, पर्यटन विभाग ।

(क्रमशः)

टर्न-12/अंजली/22.02.2024

श्री फते बहादुर सिंह (क्रमशः) : महोदय, जो स्थिति है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का, वह बद से बदतर स्थिति है । महोदय, उस विभाग में पूरे राज्य की स्थिति है कोई भी अगर जमीन को खरीदने वाला मोटेशन करवाने जाता है तो उससे पांच से दस हजार रुपया लिया जाता है । इस विभाग में पूरे शुरू से अंत तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है । इतना ही नहीं महोदय, जो इस विभाग में गरीबों के कल्याण के लिए, भूमिहीनों के लिए जो तीन डिसमिल जमीन का प्रावधान किया गया है, उन लोगों के आवास का पैसा भी आ गया है लेकिन जमीन के अभाव में उनका पैसा लौट जा रहा है और गरीबों का मकान नहीं बन पा रहा है, महोदय, यह विचार करने का है । अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इस पर मैं चाहूंगा कि बिहार के सभी भूमिहीनों को सरकार ने तीन डिसमिल जमीन आवंटन करने की जो घोषणा

की है उसको जल्द से जल्द आवंटन किया जाय । महोदय, मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग पर । महोदय, मैं इस पर कहना चाहता हूं, पूरे सदन के माननीय लोगों से भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि-

“जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका भी है,
आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका भी है,
उसके कल्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया,
और मेरे कल्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है ।”

महोदय, जो भी पिछड़े, अति पिछड़े के लोग हैं, जहां लोग अपना कार्य करते हैं, जैसे रसोइया हो गए, आशा के लोग हो गए, आंगनबाड़ी की सेविका-सहायिका हो गई इसमें 99 परसेंट लोग पिछड़े, अति पिछड़े और दलित समाज के लोग हैं । आप इनकी स्थिति देख लीजिए, जो सरकार है, बिहार सरकार ने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए कितना मानदेय देने का काम किया है । महोदय, इस पर भी मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं सरकार से कि रसोइया, आशा, सेविका-सहायिका के मानदेय में भी बढ़ोतरी किया जाय । महोदय, कल मैं सदन में बैठा था, इसी जगह भाजपा के माननीय विधायक जी का दलितों के सम्मान में झलक रहा था उनकी आंख में...

अध्यक्ष : कल का विषय समाप्त हो गया, यह क्या विषय है, विषय पर बोलिये न ।

श्री फते बहादुर सिंह : महोदय, विषय पर ही आ रहा हूं ।

अध्यक्ष : सिर्फ बजट पर बोलिये । वह विषय तो कल का समाप्त हो गया । बात समाप्त हो गई ।

श्री फते बहादुर सिंह : कल कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है दलितों के सम्मान में रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाने का काम किया । मैं धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री जी को जो एक दलित को राष्ट्रपति बनाने का काम किया । कहा गया कि वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी को भी राष्ट्रपति बनाने का काम किया गया, मैं इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं । महोदय, लेकिन जो इस देश की व्यवस्था है आपने राष्ट्रपति तो बना दिया लेकिन आपके दिल से, आपकी अंतरात्मा से दलितों का जो आपके अंदर बैठा हुआ है, वह आपके बाहर नहीं निकला । आपने देखा पुरी के मंदिर में राष्ट्रपति अपने परिवार सहित गए थे ।

अध्यक्ष : कहां यहां राम मंदिर और पुरी का मंदिर हो रहा है ? पथ निर्माण पर बोलिए । बिहार के बजट पर बोलिए । यहां आइए न । बजट पर बोलिए न ।

श्री फते बहादुर सिंह : वहां गए थे, उनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही अपमानित करने का काम किया है और आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दलित का सम्मान करता है।

अध्यक्ष : बजट पर बोलिए।

श्री फते बहादुर सिंह : महोदय, द्रौपदी मुर्मू जी भी मंदिर में गई थी जिनको गर्भ गृह में नहीं घुसने दिया गया, आप कहते हैं कि मैं दलितों का सम्मान करता हूँ, ये कैसा सम्मान है महोदय, यह कैसा सम्मान है दलितों के लिए...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बजट पर बोलिए। फते बहादुर जी। विषय पर आइए।

श्री फते बहादुर सिंह : महोदय, यह सम्मान कैसा है और कल भी जो है, कल भी भाजपा के लोगों के द्वारा जो बात कही गई...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : देख लेंगे, जो विषय है उसको देख लेंगे।

श्री फते बहादुर सिंह : मैं उसी पर बोल रहा हूँ और यह कैसा दलित सम्मान है भाई, यहां से दलित के सम्मान की बात निकले और जहां सम्मान देना हो वहां अपमानित करने का काम करे यह कैसा दलित सम्मान है? इसके अलावा हमारे राज्य में पिछड़े दलित और ओ०बी०सी० लोगों का, अति पिछड़े लोगों की जो स्थिति है मुख्यमंत्री जी ने जातीय जनगणना करवाया, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने बिहार में जातीय जनगणना करवाने का काम किया लेकिन जातीय जनगणना का जो आंकड़ा है वह सावर्जनिक करने के बाद भी महोदय, जो आंकड़ा पिछड़े, अतिपिछड़े और दलित का आया है उनके आंकड़े के अनुसार मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जिसकी जितनी भागीदारी है उसको उतनी ही हिस्सेदारी देने का काम किया जाएगा। महोदय, लेकिन मैं देखता हूँ पूरे शासन-प्रशासन में, पूरे सचिवालय में जो दलित, पिछड़े, अति पिछड़े की जो हिस्सेदारी है लगभग 35.4 परसेंट है यानी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आंकड़ा जारी किया है उसमें हमारी आबादी ओ०बी०सी०, एस०सी०/एस०टी० की आबादी 85 परसेंट है और 85 परसेंट वालों को जो हिस्सेदारी मिला है 35.4 परसेंट मिला है महोदय और जिनकी आबादी 15 परसेंट है, 15 परसेंट वालों को 64.6 परसेंट की हिस्सेदारी शासन-प्रशासन और सचिवालय में, हर जिला में मिला है। महोदय, अब आप समझिए, जब तक ओ०बी०सी०, एस०सी०/एस०टी० के लोग शासन-प्रशासन में नहीं बैठेंगे, तब तक उन लोगों को हक-हिस्सा का अधिकार कहां मिलेगा? महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगर-निकाय का जो चुनाव

करवाया उसमें आरक्षण तो दिये लेकिन नगर निकाय के चुनाव में जो आरक्षण मिला, आरक्षण के तहत जो चुनाव हुआ उस आरक्षण को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाले कौन हैं, महोदय और आज कहते हैं कि मैं सबको हिस्सेदारी देता हूं, एक आरक्षण बर्दाशत नहीं हो पाया महोदय ।

टर्न-13/आजाद/22.02.2024

अध्यक्ष : फते बहादुर जी, एक मिनट । आपको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले आरक्षण नहीं था एकल पद पर, यह आपको ध्यान में है न ।

श्री फते बहादुर सिंह : महोदय, आरक्षण तो मिला, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं लेकिन उस आरक्षण को रोकने वाले जो लोग हैं, वो लोग कौन हैं, जिनके गोद में आज जाकर के मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं ।

अध्यक्ष : कहां रुका है ?

श्री फते बहादुर सिंह : उनके आरक्षण को रोकने वाले जो लोग थे, वे लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गये । महोदय, आपने नगर निकाय में मुख्यमंत्री जी ने आरक्षण तो दिया नगर निकाय में, पंचायती राज में पिछड़े, अतिपिछड़े, दलित के लोग जीत कर भी आये, मुखिया बने, प्रमुख बनें, जिला पार्षद अध्यक्ष बने, नगर निकाय का चेयरमैन बने, मेयर बने लेकिन जो भी आरक्षण से जीतकर लोग आये हैं महोदय, वो उन वर्ग के लोगों को जो प्रावधान किया गया है, वो अधिकार न दे पायें, उसके लिए ऊपर से एक वैसे पदाधिकारी को बैठा दिया गया है उनके सिर के ऊपर, जिस प्रकार विधान सभा में मंत्री तो बनाते हैं दलित समाज का, पिछड़े समाज का, अति पिछड़े समाज का, लेकिन उनके ऊपर जो है, ऊपर से एक ढक्कन लगा देते हैं कि आप कोई काम नहीं कर सकें । ऐसा ही स्थिति पूरे राज्य में है, पूरे राज्य के हर प्रखंड में, हर जिलों में वैसे ही पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया है । इतना ही नहीं महोदय, कोई काम नहीं करने दिया जा रहा है । नगर परिषद् में या नगर निकाय में महोदय, आप जॉच करवा लीजिए, वहां पर पूरी तरह भ्रष्टाचार है, आपके पदाधिकारियों के द्वारा संवेदकों से 25 प्रतिशत कमीशन लिया जा रहा है । इसका जॉच करवाईए महोदय, आखिर 25 प्रतिशत कमीशन कहां जा रहा है ? पदाधिकारियों से बात करने पर वे कहते हैं कि हमलोग माननीय क्या कर सकते हैं, ऊपर तक देना पड़ता है, ये कौन लोग हैं महोदय, ये कौन लोग है ऊपर वाले ?

सभी माननीय सदस्य इससे अवगत हैं महोदय, ऊपर तक देना पड़ता है, वाह रे ऊपर वाले, ऊपर वाले कौन हैं ?

अध्यक्ष : कब बात किये थे अधिकारी से, 20 दिन पहले या एक महीना पहले ?

श्री फते बहादुर सिंह : मैंने अभी बात किया था महोदय, दो दिन पहले बात किया था ।

अध्यक्ष : जारी रखिए अपनी बात । जारी रखिए फते बहादुर जी, अपनी बात कहिए ।

श्री फते बहादुर सिंह : अभी जो है, पूरे देश की स्थिति है । पूरे देश में यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि ०००००००००० का प्रधानमंत्री हैं और बिहार में ०००००००००० का मुख्यमंत्री हैं....

अध्यक्ष : यह विषय नहीं है, आप विषय पर आईए । बजट पर बोलिए न, आपको पार्टी ने आधा घंटा समय दिया ।

श्री फते बहादुर सिंह : महोदय, ०००००००००० तो कहा जा रहा है लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ जो **XXX**

अध्यक्ष : जो सदन के सदस्य नहीं हैं, उनपर कोई टिप्पणी नहीं जायेगी प्रोसिडिंग में। बिल्कुल नहीं, विषय पर आईए । बजट पर बोलिए ।

(व्यवधान)

श्री फते बहादुर सिंह : कल बी०जी०पी० के लोग प्रधानमंत्री पर बोल रहे थे तो हमलोग चुपचाप सुन रहे थे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: बजट पर बोलिये।

श्री फते बहादुर सिंह: महोदय, मैं ०००००००००० के अधिकार की बात कर रहा हूँ ।

अध्यक्ष : यह विषय नहीं है ।

श्री फते बहादुर सिंह : **XXX**

अध्यक्ष : विषय पर आईए न, प्रधानमंत्री जी के बारे में कोई टिप्पणी प्रोसिडिंग्स में नहीं जायेगी, चूंकि वे इस सदन के सदस्य नहीं हैं ।

श्री फते बहादुर सिंह : महोदय, उस आरक्षण के विरोध में **XXX**

अध्यक्ष : कोई बात आपकी प्रोसिडिंग्स में नहीं जायेगी, जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उनके बारे में कोई भी बात प्रोसिडिंग्स में नहीं जायेगी ।

श्री फते बहादुर सिंह : जब आरक्षण के विरोध में कमंडल लेकर चलते हैं और ००००००००० के आरक्षण का विरोध करते हैं तो देश के लोग कैसे मान लें कि ००००००००० हैं ।

अध्यक्ष : जनता को तय करने दीजिए कि कौन किसको मानता है । आप मानिए या नहीं मानिए, इसको जनता तय करेगी न, न कि आप तय करेंगे ? आप बजट पर बोलिए।

श्री फते बहादुर सिंह : आपने लेटरल इन्ट्री लाया है महोदय, लेटरल इन्ट्री में आपने जितने भी संयुक्त सचिव बनाने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि उसमें ओ०बी०सी०, एस०सी०, एस०टी० की कितनी हिस्सेदारी है, जो लेटरल इन्ट्री के द्वारा संयुक्त सचिव बनाने का काम किया गया है, एक भी नहीं। महोदय, आप कैसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं

(व्यवधान)

मैं अधिकार पर ही बात कर रहा हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ, जो ओ०बी०सी०, एस०सी०, एस०टी० के साथ पूरे देश में या पूरे राज्य में यह खेल चल रहा है आरक्षण समाप्त करने का, संविधान मिटाने का और महोदय, जो

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था पर हूँ।

अध्यक्ष : क्या व्यवस्था है आपका ? एक मिनट रुक जाईए फते बहादुर जी ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, आज बजट का पथ निर्माण विभाग पर डिबेट हो रहा है और माननीय सदस्य क्या बोल रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी इस सदन के सदस्य नहीं हैं और इनको चारा घोटाला पर भी बोलना चाहिए

अध्यक्ष : मैंने उन बातों को प्रोसिडिंग्स से निकाल दिया है। एक बात ध्यान रखें, कोई आदमी बाबा साहेब अम्बेदकर के संविधान को नहीं बदल सकता है देश में, इसका भरोसा सबको रखना चाहिए। बोलिए फते बहादुर जी ।

श्री फते बहादुर सिंह : महोदय, मैं बाबा साहेब अम्बेदकर के संविधान का ही बात कर रहा हूँ, बाबा साहेब ने क्या कहा था

अध्यक्ष : पार्टी ने आपको बजट पर बोलने के लिए आधा घंटा का समय दिया लेकिन आप बजट पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं।

श्री फते बहादुर सिंह : बाबा अम्बेदकर साहेब ने क्या कहा था कि जिस दिन मंदिर का भीड़ विद्यालय की तरफ मुड़ेगा, उस दिन भारत को कोई महान बनने से रोक नहीं सकता है। यह बाबा अम्बेदकर साहेब का शब्द है महोदय। महोदय, आज जो सत्ता में बैठे लोग हैं, वे शिक्षा को चौपट कर रहे हैं और बाबा अम्बेदकर साहेब ने एक बात और कहा था कि हमें नहीं चाहिए कुछ अनुदान, आप शिक्षा और स्वास्थ्य को मुफ्त कर दीजिए, हमारे लोग अपना रोजी-रोटी की व्यवस्था खुद कर लेंगे महोदय। एक तरफ आप कहते हैं, आप कल ही बोल रहे थे कि भारत जो है, भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। एक तरफ आप ही बोलते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है और दूसरी तरफ आप ही बोलते हैं कि मैं 80 करोड़ भारतीय को मुफ्त में राशन देता हूँ। आप देश को कहां ले जा रहे हैं, आप 80 करोड़ भारतीय को देश में कटोरा थमा दिये और आप कह रहे हैं

अध्यक्ष : आप भारत सरकार के बजट पर बोल रहे हैं या बिहार के बजट पर ।

श्री फते बहादुर सिंह : देश जो है, वह विश्व गुरु बनने जा रहा है । आप जो है, आप अमेरिका में जाते हैं तो वहाँ क्या बोलते हैं कि मैं बुद्ध देश से आया हूँ और आप भारत में आते ही बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़ देते हैं । एक बात और महोदय, किसी भी धर्म का अगर सिख का मंदिर है

(व्यवधान)

बजट से ही जुड़ा हुआ है । महोदय, एक बात मैं और रखना चाहता हूँ, गया में जो महाबोधि मंदिर है, किसी भी धर्म का जो मंदिर है, उसी धर्म के लोग उसके सदस्य हैं । लेकिन बोधगया में पहला मंदिर है, जिसमें बुद्धिस्टों के अलावा अलग धर्म के मेम्बर्स हैं । मैं मांग करता हूँ आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अगर बोधगया में बुद्ध का मंदिर है तो उस बुद्ध के मंदिरों में सभी सदस्य बौद्धिस्ट होना चाहिए

अध्यक्ष : फते बहादुर जी, एक मिनट बैठ जाईए । फते बहादुर जी, बोधगया में जो बौद्धिस्ट मंदिर है, उसके मेम्बर्स कौन-कौन होंगे, यह वर्तमान एन०डी०ए० सरकार ने नहीं तय किया है । महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था, आप याद कीजिए, कांग्रेस के अधिवेशन में क्या प्रस्ताव पास हुआ था उस समय, वह ध्यान रखिए । श्रीबाबू जब बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, उस समय क्या निर्णय हुआ था, एक बार ऊलट कर देख लीजिए, मैंने खुद इस विषय पर अपनी बात रखी है कि एक जमाने में जब मैं इधर बैठा करता था, इसलिए यह इस सरकार का देन नहीं है, हमारे पूर्वज इस सदन के अन्दर बैठ करके कानून बनाते थे, उन लोगों ने यह तय किया था, उसी का पालन आज भी किया जा रहा है । अब बोलिए ।

मैंने आपको जानकारी दिया है, बोलिये ।

XXX- आसन के आदेशानुसार अंश को विलोपित किया गया ।

टर्न-14/शंभु/22.02.24

श्री फते बहादुर सिंह : महोदय, जब कानून में संशोधन करके 370 धारा हटाया जा सकता है तो क्या कानून में संशोधन करके इस महाबोधि के मंदिर को बुद्धिस्टों के हाथों में नहीं सौंपा जा सकता है क्या ?

अध्यक्ष : जानकारी केवल दिया मैं आपको कुछ कह नहीं रहा हूँ। अपनी बात कहिये, आगे बोलिये।

श्री फते बहादुर सिंह : महोदय, हम कहते हैं हम आपसे मांग करते हैं कि अगर मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम अति पिछड़ा के हितैषी हैं, हम पिछड़ों के हितैषी हैं, हम दलितों के हितैषी हैं तो बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है बिहार की शिक्षा व्यवस्था में मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ कि शिक्षा और स्वास्थ्य को मुफ्त करवा दीजिए। आप जो फी में राशन देने की बात कर रहे हैं बंद कर दीजिए राशन और जो पिछड़े दलित लोग हैं, अगर आपने शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त कर दिया तो हम अपनी रोजी रोटी राशन की व्यवस्था खुद कर लेंगे हमें कटोरा लेकर भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महोदय, जो हमारी हिस्सेदारी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब जातीय जनगणना करा दिया है तो जातीय जनगणना के अनुसार अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है उस मंत्रिमंडल के विस्तार में भी दलितों की अगर जनगणना में संख्या भागीदारी 20 परसेंट है तो उस मंत्रालय में भी दलितों की हिस्सेदारी 20 परसेंट होनी चाहिए और अगर अति पिछड़ा 36 परसेंट है तो अति पिछड़ा को 36 परसेंट मंत्रिमंडल में भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, अगर पिछड़ा 27 परसेंट है तो मंत्रिमंडल में भी पिछड़ों को 27 परसेंट की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जीतन राम माझी जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं बैठे हुए हैं, अगर उनके हाथ में जब तक दलितों को मजबूत करने का पावर नहीं मिलेगा तो कैसे मजबूत करेंगे। इसके अलावा अगर अति पिछड़ा का मंत्रालय है तो वहां प्रधान सचिव भी अति पिछड़ा का होना चाहिए, अगर मंत्रालय दलित के पास है तो उसका प्रधान सचिव भी दलित का होना चाहिए तब दलितों के पास उस मंत्रालय का पूरा-पूरा लाभ पहुंचेगा। आप दलित मंत्री बनाते हैं लेकिन उपर से ढक्कन लगा देते हैं कि ये दलितों को कोई लाभ नहीं पहुंचा सके।

अध्यक्ष : अब कन्कलुड कीजिए। फते बहादुर जी, अब कन्कलुड कीजिए।

श्री फते बहादुर सिंह : महोदय, मैं चाहता हूँ कि अगर मुख्यमंत्री जी जातीय जनगणना में जो आंकड़ा आया है उस आंकड़े के अनुसार जिला में प्रखंड में अनुमंडल में प्रशासन को बहाल करें। जातीय जनगणना के आंकड़े के अनुसार जब तक शासन प्रशासन में हमारी हिस्सेदारी नहीं होगी तब तक हमारे लोगों तक सही रूप से उनका हक नहीं पहुंच पायेगा।

अध्यक्ष : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री फते बहादुर सिंह : महोदय, मैं गारंटी देता हूँ जैसे मोदी जी गारंटी देते हैं मैं गारंटी देता हूँ कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम जिसकी जितनी भागीदारी है उसका उतना हिस्सेदारी देने का काम करेंगे । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : धन्यवाद हो गया । अब श्रीमती शालिनी मिश्रा, आपका समय 10 मिनट है । माननीय सदस्य, बात नहीं करें आपस में कृपया शांति बनाये रखें ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के विरोध में और सरकार के द्वारा पेश किये गये पथ निर्माण एवं अन्य विभागों के बजट के समर्थन में खड़ी हुई हूँ । महोदय, मैं कहना चाहूँगी कि हमारे विपक्ष के सदस्यगण आदरणीय माननीय अजीत शर्मा जी अभी कह रहे थे कटौती प्रस्ताव उन्होंने पेश किया मैं बस यह कहना चाहती हूँ कि एक तरफ वे कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं उनकी बात में ही कंट्राडिक्शन है और दूसरी तरफ खुद ही कह रहे हैं कि पथ निर्माण के बजट में इस बार कटौती की गयी है उसको बढ़ाना चाहिए । मैं आपकी विवशता समझती हूँ माननीय अजीत शर्मा जी, आप विपक्ष में हैं जो कभी नहीं आना चाहते थे इसलिए कुछ न कुछ तो बोलना ही था तो विपक्ष के तरफ से बोला, विवशता अच्छी तरह से मैं समझती हूँ, लेकिन किसी भी बजट में कटौती का प्रस्ताव मुझे समझ में नहीं आता है कि माननीय विपक्ष के सदस्यों को देना चाहिए क्या ? बिहार एक विकासशील राज्य है जहां विकास हो रहा है इसको विकसित बनाने की जरूरत है तो हमेशा ज्यादा से ज्यादा बजट की जरूरत है और यही हमारी बिहार की सरकार ने साल दर साल किया है और हर साल हमारी बिहार की सरकार ने बजट को बढ़ाया है । जहां 2005 में काफी सारे माननीय सदस्यों ने आंकड़े कहे हैं मैं फिर से नहीं जाउंगी- बजट का क्या आकार था और 2024 में जो बजट पेश हुआ है उसका क्या आकार है उसको कहने की जरूरत नहीं है सबों को जानकारी है । मैं कल माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का भाषण सुन रही थी हमारे जिले मोतिहारी में और वे कह रहे थे कि हमें पता नहीं है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने गठबंधन को क्यों तोड़ा- मैं बस एक शेर से शुरू करना चाहती हूँ माननीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी का सोचना है कि -

“सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो, जिन्हें छत पर जाना है,
हमारी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है ।”

इसी रास्ते को बनाने के लिए महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी ने गठबंधन को बदला है और इसी रास्ते को बनाने के लिए बिहार को विकास की ओर अग्रसर करने के लिए गठबंधन बदला गया है, ये फस्ट्रेशन तो आपका रहेगा ही । मैं आती हूँ कुछ

सदस्यगण कह रहे हैं बजट पर बोलिये, बजट पर ही बोल रही हूँ बजट के आकार पर ही बात हुई है, आगे मैं बोलना चाहती हूँ पथ निर्माण की बात है मैं अपना कल का अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। कल 5 बजे जब सत्र खत्म हुआ है मेरा क्षेत्र में कुछ कमिटमेंट्स था, कार्यक्रम थे मैं गयी यहां से लगभग साढ़े 5 बजे निकली हूँ और दो कार्यक्रम में शामिल होकर मोतिहारी से और अपने गांव से साढ़े 5 बजे निकल कर साढ़े 11 बजे मैं पटना में थी। यह एक अतुलनीय काम है जो बिहार सरकार ने किया है पथ निर्माण के क्षेत्र में।

क्रमशः

टर्न-15/पुलकित/22.02.2024

(क्रमशः)

श्रीमती शालिनी मिश्रा : मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि पहले के जमाने में, अभी से लगभग 15-20 साल पहले, लगभग 20 साल हुए होंगे सड़क किधर है, गढ़ा किधर है यह नहीं पता होता था। मेरा खुद का अनुभव है, मैं अपने ही अनुभव को साझा करूँगी शाम की 7 बजे की ट्रेन अगर आपको राजधानी दिल्ली के लिए लेनी है तो मोतिहारी से हमलोग सुबह 7 बजे निकलते थे फिर भी महोदय ट्रेन छूट जाती थी, फ्लाईट छूट जाती थी। अब हमलोग गिनकर तीन घंटे पहले निकलते हैं और पहुंच जाते हैं। मैं अपना खुद का पिछले तीन साल का उदाहरण देती हूँ मेरे क्षेत्र केसरिया से पटना आने में साढ़े तीन घंटे लगते थे, तीन सालों में जो काम बिहार सरकार ने किया है, पथ निर्माण विभाग ने काम किया है। आज हम दो घंटे में पटना पहुंच जाते हैं और विधान सभा में आ जाते हैं।

मैं माननीय विपक्ष के सदस्यों से आग्रह करूँगी कि जो अच्छे काम हुए हैं आपलोग उसकी चर्चा कभी-कभी करें तो यह बिहार के विकास के लिए अच्छा होगा। महोदय, पथ निर्माण विभाग ने, बिहार सरकार ने जो पिछले 2023-24 में लगभग 96.42 किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च पथ, 67.13 किलोमीटर राज्य उच्च पथ और 20218.42 किलोमीटर वृहद जिलों में पथों का निर्माण करवाया है, रिस्टोरेशन भी करवाया है, जो अपने-आप में काबिल-ए-तारीफ काम है। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग कम से कम बिहार सरकार को और पथ निर्माण विभाग को धन्यवाद दें।

महोदय, पिछले साल 26 पुलों का प्रोजेक्ट लिया गया है। महोदय, 115 योजनाएं पिछले साल स्वीकृत की गयी हैं, जिसकी राशि 6429.94 करोड़ है।

जिसमें 28 पुल, 12 आरओबी० और 75 उच्च पथों के निर्माण की स्वीकृति दी गयी है, जो निर्माणाधीन है, यह भी एक काबिल-ए-तारीफ काम है।

महोदय, मैं अब कृषि के विषय पर आना चाहूँगी, पथ निर्माण विभाग पर जितनी भी हमलोग चर्चा करेंगे उतनी कम है। कृषि के मामले में मैं सबसे पहले अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगी जिनके नेतृत्व में वर्ष 2008 में पहला कृषि रोड मैप बिहार सरकार ने पेश किया और बिहार देश का पहला राज्य है जिसने कृषि रोड मैप पेश किया। महोदय, वर्ष 2023 के अक्टूबर में आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा चौथा कृषि रोड मैप का लोकार्पण हुआ और जिसकी राशि लगभग 1,162.208 करोड़ रुपये है। महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनकी दूरदर्शिता, किसानों के प्रति उनकी जो सोच है, उनकी जो संवेदनशीलता है जिसकी वजह से ही आज बिहार के किसानों के चेहरे पर लाली आई है, बिहार के किसान समृद्ध हुए हैं, बिहार के किसान दिन-ब-दिन आगे की ओर, प्रगति की ओर अग्रसर कर रहे हैं। महोदय, जहां तक बात है कुछ और चीजों को करने की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रूके नहीं हैं। चौथे कृषि रोड मैप में जो भी चीजें छूटी हुई थीं उनको शामिल किया गया है। महोदय, आपको जानकारी होगी सिर्फ कृषि नहीं, कृषि से संबंधित लगभग 12 विभागों को कृषि रोड मैप में शामिल किया गया है। महोदय, कृषि रोड मैप में कृषि विभाग को ही नहीं बल्कि जल संसाधन विभाग, मत्स्य विभाग, ऊर्जा विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग सभी को शामिल किया गया है।

महोदय, जब बिहार झारखण्ड से अलग हुआ था तब जो जल-जमाव की स्थिति थी 99 लाख हेक्टेयर जमीन में से 68.8 लाख हेक्टेयर बाढ़ प्रभावित हुआ करती थी, जल जमाव प्रभावित हुआ करती थी। आज मैं गर्व से कहती हूँ कि हमारी बिहार सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें से 70 प्रतिशत जल-जमाव के क्षेत्र को मुक्त करके कृषि योग्य बना दिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और बिहार सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहती हूँ।

अध्यक्ष : आपके पास केवल एक मिनट है, कंकलूड कीजिए।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : जी, कंकलूड करती हूँ। महोदय, कई क्षेत्रों में काम हुआ है लेकिन मेरे पास बोलने के लिए समय अब कम है इसलिए मैं यह कहना चाहती हूँ कि वर्ष 2005 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सत्ता संभाली तो उन्हें यह लगा, उसे मैं एक शेर से कहना चाहती हूँ :-

“डर मुझे भी लगा, फासला देखकर,
पर मैं बढ़ गया, रास्ता देखकर ।
खुद-ब-खुद मेरे नजदीक आती गयी,
मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर ॥”

महोदय, यह हौसला था बिहार सरकार, यह हौसला था माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिसकी वजह से वर्ष 2005 की जो बुरी स्थिति थी, जो बदतर स्थिति थी, उसमें सुधार हुआ है और वर्ष 2024 का जो आलम है हम और आप, हम सभी का जमीर यह जानता है । हम सब यह जानते हैं, बछूबी जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं कि बिहार किस तरह से प्रगति की ओर अग्रसर हुआ है । महोदय, मैं यह वादा करती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज जो काम हो रहा है और आने वाले समय में जब विकास होगा तो वह अतुलनीय और अविस्मरणीय होगा । महोदय, मैं अंतिम कोट कहकर अपनी बात को समाप्त करती हूँ :-
महोदय, जब हौसला बना लिया है, ऊँची उड़ान का, यह मैं पूरे बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब बिहारवासियों के लिए को कहना चाहती हूँ :-

“जब हौसला बना लिया है ऊँची उड़ान का,
फिर देखना फिजूल है कद आसमान का ॥”

महोदय, मैं माननीय श्रवण कुमार जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ, मैं आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।
बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मोहम्मद अंजार नईमी जी, अपना पक्ष रखें । आपका समय 20 मिनट है ।

श्री मोहम्मद अंजार नईमी : महोदय, मुझे कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का अवसर मिला है, मैं सदन का आभार व्यक्त करता हूँ । महोदय, सड़कों, यातायात, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर बिहार में सराहनीय कार्य हुआ है । हर तरफ सड़कें तथा बिजली पहुंची है । महोदय, विशेष रूप से विगत 17 महीनों का जो कार्यकाल रहा, वह वास्तव में सबसे बेहतर रहा । रोजगार, नौकरी के क्षेत्र में बिहार में लाखों की संख्या में शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि विभागों में पदों को भरने का काम हुआ । महोदय, रोजगार के कारण बेरोजगारों में आस दिखी, मगर इस आस को बनाये रखने की जरूरत है । मैं आशा और उम्मीद के साथ इस वर्तमान सरकार से उम्मीद करता हूँ कि वह इस परम्परा को भी आगे बढ़ाने का काम करेगी ।

महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वह बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है । आजादी मिले 75 वर्ष हो गये, परंतु आज भी ऐसी जगहें हैं जहां दोनों ओर सड़कें हैं लेकिन पुल

नहीं रहने के कारण आज भी लोगों को बुरी स्थिति से गुजरना पड़ता है। आजादी के 75 वर्ष बाद भी लोगों को चचरी पुल से नदी-नाला पार करना पड़ता है या फिर आम नागरिकों को ऐसी स्थिति से दो-चार होना पड़ता है कि कई-कई किलोमीटर चलकर जाना पड़ता है। जो काम चार किलोमीटर जाकर के हो सकता था लेकिन उस काम के लिए लोगों को 40 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है, जिससे समय के साथ-साथ आर्थिक क्षति भी होती है। मैं सदन के माध्यम से पथ निर्माण विभाग से अनुरोध करता हूँ कि इस मामले को संज्ञान में लें ताकि जनमत का विश्वास शासन पर बना रहे। महोदय, हमारे यहां कई पुल-पुलिया ऐसी हैं जिनको बनाना अति आवश्यक है। जिस कारण लोगों को बरसात के समय में एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफी मुश्किल हो जाती है। मेरे क्षेत्र में बहुत ही मशहूर घाट है निशंतरा घाट जहां पर पुल का बनना अति आवश्यक है। मटिहारी घाट का पुल हो गया, चाहे चुन्हीमारी कुम्हार टोली घाट का पुल हो, चाहे घाट अल्ताबारी का पुल हो, चाहे माली टोला टंगटंगी गांव का पुल हो, चाहे बगुला हैगीहवाकोल का पुल हो इस तरह के बहुत सारे पुल-पुलिया ऐसी हैं, जहां वर्षों से अबतक नहीं बन पाये हैं। शायद यही वजह है कि सीमांचल के साथ हमेशा सौतेलापन का व्यवहार रहा है।

महोदय, मैं इसी तरह बताना चाहूँगा कि किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के बायसी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत बायसी डगरूआ प्रखण्ड के विभिन्न स्थानों पर आजादी के बाद से पुल नहीं बनने से आज भी यहां के लोगों को मुख्य मार्ग से एन०एच० एवं प्रखण्ड अनुमण्डल में बाढ़ के समय में सम्पर्क नहीं हो पाता है। महोदय, जनहित के दृष्टिकोण से विभिन्न जगहों पर पुलिया अति आवश्यक है। जैसे टड़िया घाट पर, जैसे रविड़ा घाट पर, गड़िया घाट पर, बेमनपुरा घाट पर, जैसे रकिट्या घाट है, जैसे गोरखपुर घाट है इस तरह के घाटों पर पुल बनना अति आवश्यक है। महोदय, पिछले कई दशकों से भारत की जनसंख्या के साथ-साथ बिहार की जनसंख्या में भी वृद्धि हुई है। वैसे तो सड़कों की स्थिति में भी अप्रत्याशित सुधार हुआ है, खासकर आपके नेतृत्व में जब-जब महागठबंधन की सरकार बनी है, पथ निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार के क्षेत्र में सराहनीय कार्य हुआ है।

अध्यक्ष : दोनों बातें कैसे होंगी नईमी साहब । नईमी साहब, एक तरफ आज कह रहे हैं कि 75 साल में नहीं बना दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बहुत काम हुआ तो...

श्री मोहम्मद अंजार नईमी : बहुत जगहों पर नहीं बना है महोदय, लेकिन बहुत जगहों पर काम हुआ है जैसे..

अध्यक्ष : दोनों कैसे हो सकता है ? जारी रखिए ।

श्री मोहम्मद अंजार नईमी : महोदय, हमारे क्षेत्र के साथ हमेशा सौतेलापन का व्यवहार रहा है ।

मैं वर्तमान सरकार से भी यह आशा व उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी बिहार की उन्नति हो । जैसे बहुत सारी सड़कों को, आर०डब्ल०डी० की सड़कें जिसको आर०सी०डी० में परिवर्तित करने की आवश्यकता है । महोदय, हमारे यहां एक सड़क है जो बहादुरगंज से टेराघाट को जाती है, जो आर०सी०डी० में आता है । महोदय, बार-बार टेंडर होता है लेकिन फिर टेंडर कौसिल हो जाता है । लोगों को नारकीय जीवन से गुजरना पड़ता है, डेली दुर्घटनाएं होती हैं लेकिन अबतक उसको संज्ञान में नहीं लिया गया है । महोदय, मैं सीमांचल के उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जहां शिक्षा, स्वास्थ्य एवं यातायात की स्थिति दयनीय है । मैं जिस विधान सभा का प्रतिनिधित्व करता हूं वह पिछले कई दशकों से अपनी बदहाली, गरीबी, नाउम्मीदी के जाल में अपने बुनियादी सुविधाओं की सिसकियां ले रहा है और सरकारी योजनाओं की तरफ टकटकी बांधे देखता है, फिर अपने आपको अकेला और मायुस पाता है । पटना से चलने वाली स्कीमें दरभंगा तक जाते-जाते अपना दम तोड़ देती हैं । सीमांचल तक पहुंचते-पहुंचते अपने आखिरी पड़ाव में होती है । महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वह क्षेत्र कई मानकों से पिछड़ा है । आज भी लोगों की आय देश की दूसरी आबादी की तुलना में बहुत ही कम है । महोदय, केवल कृषि ही एक माध्यम है जिस पर हमें निर्भर रहना पड़ता है परंतु आपदा के समय में हमारी आखिरी उम्मीद पर भी पानी फिर जाता है । महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री से यह आशा व उम्मीद करता हूं कि आपदा आने की सूरत में किसानों को न्यूनतम सहायता राशि का प्रावधान किया जाय । महोदय, बिहार एक ऐसा राज्य है जो श्रम पलायन में सबसे अग्रणी है । दिल्ली, पंजाब एवं गुजरात में अत्यधिक जनसंख्या में लोग अपने बाल-बच्चों के पालन-पोषण हेतु अपना खून-पसीना एक कर अपना पैसा भेजता है जिससे यहां की अर्थव्यवस्था चलती है । खासकर हमारे सीमांचल की बात की जाय तो 70-75 परसेंट लोग अलग-अलग राज्यों में काम कर रहे हैं । जब यहां श्रमवर्ग किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो इनको इनकी हालत पर छोड़ दिया जाता है । महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग से निवेदन करना चाहूंगा कि आकस्मिक दुर्घटना

की हालत में इन पर विशेष ध्यान दिया जाय। यदि शब्द लाने की आवश्यकता हो तो इन्हें सहायता राशि प्रदान की जाय। अगर कोई मजदूर दिल्ली, पंजाब में काम करते हुए मर जाता है तो चंदा करना पड़ता है। चंदा करके तब उसको लाया जाता है। महोदय, यह स्थिति है, जो हमारी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करता है, अगर कमाने जाता है वहाँ तो कमाकर हमारे राज्य की स्थिति को फायदा पहुंचाता है लेकिन जब वह काम करते-करते मर जाता है तो चंदा करके उसको वहाँ से लाना पड़ता है। महोदय, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पिछले कई महीनों से भूमि सर्वे का काम हमारे क्षेत्र में चल रहा है। भूमिदाता सर्वे कर्मियों की दिशा-निर्देश का पालन भी कर रहे हैं परंतु पिछले कई दिनों से मुझे लगातार शिकायत मिल रही है कि कुछ सर्वे कर्मियों द्वारा अनावश्यक धन प्राप्ति की जा रही है जिससे आमजनों में आक्रोश और मायुसी है। महोदय, वैसे नगर पंचायतों की भी बात मैं करता हूं, नगर पंचायतों को बहुत कम ही धन राशि मिलती है जिससे न सड़कें बन पाती हैं, न नाला बन पा रहा है, नगर पंचायत नारकीय स्थिति में रहता है। मैं चाहूंगा कि आरोसी0डी0 के द्वारा वहाँ सड़कें बनायी जायं, वहाँ सड़कों की योजनाएं ली जायं। नाला का हो, चाहे पुल का हो, चाहे रोड का हो तभी जाकर नगर की स्थिति बेहतर हो सकती है। महोदय, विशेष रूप से सीमांचल में सड़कों, पुल-पुलिया तथा कटाव और कटाव से विस्थापित परिवारों को लेकर अब तक नाउम्मीदी ही हाथ लगी है। विशेष रूप से, विशेष ध्यान देकर इस क्षेत्र को सजाने एवं संवारने की जरूरत है। महोदय, इस क्षेत्र में लगभग 24 लाख सूर्यापुरी मुस्लिम समुदाय के लोग बसते हैं जिनकी आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति जो महादलित से भी बदतर है, जीवन-यापन करने पर मजबूर हो जाते हैं, विशेष रूची लेकर इन्हें मुख्यधारा से जोड़ने की जरूरी है। खासकर 2017 के विनाशकारी बाढ़ का असर 6 वर्षों के बाद भी देखा जा सकता है जिससे आम जनता में आक्रोश व्याप्त है। पुल-पुलिया जो बाढ़ में कट गये थे अबतक नहीं बन पाये हैं। महोदय, आज भी यहाँ की सड़कें जर्जर अवस्था में हैं, हालांकि तत्कालीन पथ निर्माण मंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कार्यकाल में इस समस्या से निजात पाने की कोशिश हुई है और यह उम्मीद करता हूं कि वर्तमान पथ निर्माण मंत्री भी इस कार्य को और गति देंगे। मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे शिक्षण संस्थान हैं, मदरसा बहुतायत में हैं लेकिन वहाँ मदरसों की स्थिति बहाली नहीं होने के कारण, आज पठन-पाठन का कार्य बाधित है। ताला लग गया है बहुत सारे मदरसों में महोदय, मैं चाहता हूं कि इसको सुगम

बनाकर बहाल करने की प्रक्रिया चालू की जाय। महोदय, बस इन्हीं लफजों के साथ एक शेर कहकर अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा-

“यूं तो हर शख्स बड़े एहतराम से मिला,
मगर जो भी मिला, अपने काम से ही मिला ।”
शुक्रिया महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री संजय कुमार सिंह । संजय जी, बोलिए ।

श्री संजय कुमार सिंह : आदरणीय..

(व्यवधान)

देखिए हुजूर, मेरे खड़े होते ही इनलोगों को तिलमिलाहट होने लगी । मैं क्या करूँ ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपकी आवाज ही इतनी तेज है कि वे कितना भी बोलेंगे आपकी आवाज सुनाई पड़ेगी । बोलिए ।

श्री संजय कुमार सिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले लोकतंत्र की जननी इस राज्य के वैशाली जिले की ओर से बिहार के लोकतंत्र के इस सर्वोपरि मंदिर के सर्वोपरि स्थान पर आपको विराजने के लिए हार्दिक धन्यवाद और बधाई देता हूँ। महोदय, लालगंज की महान जनता और मेरी ओर से भी आपको शुभकामनाएं हैं कि कम-से-कम उस, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उस कुर्सी पर जिस प्रकार से इसके पहले हम सबलोगों के साथ किया गया वह हम सबलोगों के साथ दुहराया नहीं जायेगा। 10 मिनटों का समय देकर साढ़े 6 मिनटों में भाषण बंद करा देने की परंपरा हमारे पूर्व के अध्यक्ष ने शुरू की, वह नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय..

(व्यवधान)

उस पर भी आयेंगे। अध्यक्ष महोदय, यह सबलोग, अब हम कहां से प्रारंभ करें, यह हमको समझ में नहीं आ रहा है..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बजट से प्रारंभ करिए।

श्री संजय कुमार सिंह : महोदय, 2005 की जो सड़कें, नसरूद्दीन साह के गाल की तरह बिहार की सड़कें थीं वहां से मैं प्रारंभ करूँ या रामलला के विग्रह में विराजमान होते इस बिहार की धरती पर जो परिवर्तन हुआ वहां से प्रारंभ करूँ या फते बहादुर जी जो बोलकर चले गये कहीं ओर उनकी बातों से प्रारंभ करूँ। अध्यक्ष महोदय..

(व्यवधान)

बेचैन मत होइये, वहां से भी शुरू करेंगे। किसानों के लिए क्या-क्या बिहार की सरकार ने की है, हमारे केंद्र की सरकार ने की है उन सब विषयों पर आयेंगे, दो मिनट धैर्य रखिए। अध्यक्ष महोदय, 2005 में इस बिहार के अंदर 23

हजार 800 करोड़ का बजट पूरे बिहार की सरकार का होता था । बिहार के अंदर 91 प्रतिशत सड़कें सिंगल लेन की हुआ करती थी । आज हमने उन सड़कों को 50 प्रतिशत से भी कम की स्थिति में लाया है जहाँ सिंगल सड़कें बिहार के अंदर हैं । यह बिहार की सरकार ने किया है । बिहार की सरकार के इस बजट प्रस्ताव पर इसलिए ये कटौती प्रस्ताव लाना चाहते हैं क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि पांच घंटे में सुदूर ग्रामीण इलाके से कोई व्यक्ति चलकर इस पटना की धरती पर आये । ये वही दिन दिखाना चाहते हैं कि 13 घंटे और 14 घंटे में कटिहार से, मुंगेर से, चंपारण की धरती से कोई व्यक्ति पटना की धरती पर पहुंचे, वह 14 घंटे तक बिहार की सड़कों को लाना चाहते हैं इसलिए कटौती प्रस्ताव लेकर आये हैं । जी हुजूर..

(व्यवधान)

उधर देखिए..

अध्यक्ष : संजय जी, आप इधर देखिए ।

श्री संजय कुमार सिंह : 17 महीनों में क्या हुआ है, अभी फते बहादुर जी आरक्षण की बात कर रहे थे । किस आरक्षण की बात कर रहे हैं आप ? और प्रभु राम की बात कर रहे थे । जिस डॉ० भीम राव अम्बेदकर जी ने संविधान की रचना की उस संविधान के मूल प्रति को आप उठाकर देखिए पहले पन्ने पर प्रभु राम पूरे राम दरबार के साथ विराजित हैं । यह प्रभु राम का नेतृत्व है और यह प्रभु राम की आभा है । बिहार के अंदर क्या हुआ ? राम जी का विग्रह में स्थापना हुआ..

(व्यवधान)

जी हुजूर, आपको यही समझ में नहीं आयेगा । यह समझते-समझते आप कहां चले गये, यह आप समझिए । प्रभु राम विग्रह में विराजे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई । विग्रह में विराजे तो एक परिवर्तन बिहार के अंदर हुआ, बिहार के अंदर एक परिवर्तन हुआ...

(व्यवधान)

सुनिए तो, सुनिए तो..

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिए । संजय जी बोलिए ।

श्री संजय कुमार सिंह : राम जी अपने विग्रह में विराजे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई । राम जी जैसे ही अपने विग्रह में विराजे बिहार में एक परिवर्तन हुआ ।

..क्रमशः...

टर्न-17/हेमन्त/22.02.2024

श्री संजय कुमार सिंह(क्रमशः) : जो डॉ० चन्द्रशेखर राम जी के खिलाफ बोलते थे, वह ताड़ पर से गिरा दिये गये, शिक्षा विभाग उनका छिन गया और उनको एक छोटा-सा झुनझुना वाला विभाग थमा दिया गया, यह राम जी की कृपा हुई । डॉ० चन्द्रशेखर का विभाग छीन लिया गया, यह राम जी ने किया । उसके आगे सुनिये, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा जब 22 तारीख को हुई, उसके बाद क्या हुआ । 22 जनवरी को जब राम जी प्राण प्रतिष्ठित हुए अयोध्या जी धाम में, तो बिहार के अंदर लुटेरी सरकार को ध्वस्त किया गया, लुटेरी सरकार बाहर गयी और एनडीए की गठबंधन वाली सरकार फिर से लौटकर आयी । मैंने तेजस्वी जी का उस दिन का भाषण भी सुना है । वह मुख्यमंत्री जी से पूछ रहे थे कि मुझको समझ नहीं आया, चाचा जी आप उधर क्यों चले गये । उनको समझ में कैसे आयेगा ? चाचा जी ने इसलिए उनको रोका, इसलिए उनको पलटा कि पांच-पांच विभाग लेकर 17 महीनों तक अकेले लूट का तांडव मचाने के लिए रोकने का काम नीतीश कुमार जी ने किया । इसलिए उनको सत्ता से बाहर किया गया । यही स्थिति 17 महीनों की आपकी लूट को रोकने के लिए यह एनडीए की सरकार फिर से बहाल हुई है और आदरणीय विजय बाबू बैठे हैं, उन्होंने कहा है कि एक-एक विभाग की जांच होगी । हमारे मंत्री आदरणीय विजय सम्राट जी ने कहा है कि एक-एक विभाग की जांच करायी जायेगी । चिंता मत करिये, सारी चीजें सदन के पटल पर भी आयेंगी ।

(व्यवधान)

चिंता मत करिये, चिंता मत करिये, सब विभागों का होगा । अध्यक्ष महोदय, बिहार के अंदर कृषि के क्षेत्र में जितने विकास हुए हैं, पूछिये, अभी भूदेव बाबू कल बोल रहे थे, हम सुन रहे थे, बड़ा लच्छेदार भाषण था, उनका होता भी है । उन्होंने कहा कि इस देश का किसान गरीब, असहाय, लाचार, बेचारा, मैं मानता हूँ, लेकिन यह बेचारगी, यह असहायपन, ये जो उनका लचीलापन था, वह कांग्रेस की सरकार तक था, वह बेसहारा और असम्मानित कांग्रेस की सरकार तक थे । जब इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री की गद्दी संभाली, तो इस देश के असहाय और लाचार किसानों को अगर किसी व्यक्ति ने सम्मानित करके उनके खाते में सम्मान निधि की राशि भेजी, वह व्यक्ति नरेन्द्र मोदी हैं ।

(व्यवधान)

भूदेव बाबू, जब आप कल बोल रहे थे उस समय मैंने आपको टोका नहीं था और ये कांग्रेस के साथी तो बोलने के हकदार नहीं हैं । इस बिहार के अंदर पूरा सदन

जानता है, पूरा बिहार जानता है कि एक बोरी यूरिया के लिए हमारे किसानों को रात-रात भर पंक्तियों में, लाइनों में खड़ा होना पड़ता था और तब भी यूरिया की बोरी नहीं मिलती थी और किसानों के सीने पर, पीठ पर लाठियां बरसायी जाती थी उस कांग्रेस के जमाने में। आज एक भी पन्ना उठाइये, आज अखबार की एक भी कतरन दिखाइये, जहां किसानों को यूरिया के लिए लाईन में खड़ा होना पड़ता है, लाठियां खानी पड़ती हैं। हुजूर, और यह यूरिया जाता कहां था ? पता है, कांग्रेस के ये जो बड़े-बड़े लोग हैं, जिनके कल-कारखाने इस देश के अंदर थे, ये सब्सिडाइज यूरिया जो किसानों के खेतों तक पहुंचना चाहिए था उस सब्सिडी का लाभ लेकर अपने कारखानों को भेजते थे और लूट मचाते थे। इस देश के प्रधानमंत्री जी ने उसको रोका। इस देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस यूरिया पर इस देश के किसानों का हक है और उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर जो भी यूरिया आयातित हो रहा है या उत्पादित हो रहा है उन सब यूरिया के ऊपर नीम कोटेड किया जाय और नीम कोटेड करके इस देश के किसानों के खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ायी जाय और इन बेर्इमान कांग्रेस के कारखाने वाले लोगों को रोका जाय, उनके भ्रष्टाचार को रोका जाय, यह काम आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। आप कहते हैं कि बिहार के लिए क्या हुआ ? आपकी सरकार थी, आपको बोलने का हक नहीं है। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय इस बिहार के अंदर नहीं आया। आज बिहार के अंदर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अगर किसी व्यक्ति ने स्थापित किया, तो आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने स्थापित किया, हमारी एनडीए की सरकार ने स्थापित किया और बिहार के किसानों की खुशहाली के लिए काम करने का प्रस्ताव दिया है।

(व्यवधान)

विशेष पैकेज तो कांग्रेस के लोगों से पूछिये।

अध्यक्ष : इधर देखकर बात कीजिए संजय जी। आप इधर देखकर बात करिये।

श्री संजय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, ये लोग विशेष दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा, इनसे पूछिये जरा कांग्रेस के पी० चिदंबरम साहब ने भारत की संसद में क्या बयान दिया था। भारत की संसद में कांग्रेस के चिदंबरम साहब कहने वाले हैं कि इस देश के किसी भी राज्य को अब विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। यह इनकी देन है, यह इनके कारण नहीं हो रहा है और दूसरा, विशेष राज्य के दर्जा से ज्यादा बड़ा विशेष पैकेज बिहार की सरकार को मिला है और क्या समझते हैं ? इसी गांधी सेतु पर आप भी चलते हैं, इस जे०पी० सेतु पर आप भी चलते हैं। गांधी सेतु तीन-तीन दिन जाम रहा करता था। उस गांधी सेतु के दोनों लेनों को सुदृढ़

किया और इतना ही नहीं, उसकी पश्चिमी लेन पर चार लेन का पुल बनाने का काम हो रहा है, आवागमन में सुधार हो रहा है। धन्य मानिये। आपको दिखायी नहीं पड़ेगा, इसलिए दिखायी नहीं पड़ेगा कि आपने चश्मा लगा लिया है। अध्यक्ष महोदय, ये माई वाले लोग हैं और आज क्या हो रहा है, ये माई वाले लोग हैं और आज बाप-बाप कर रहे हैं ? कहां कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

मैं गलत नहीं कह रहा हूं। शकील साहब, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। ये माई वाले लोग आज मोतिहारी की धरती पर बाप-बाप कर रहे हैं और आप तय मानिये, इस धरती पर मोदी जी की गारंटी खोज रहे थे तेजस्वी बाबू उस दिन। तेजस्वी बाबू, मोदी जी की गारंटी, इस बिहार की जनता ने गारंटी कर दी कि आप लौटकर नहीं आयेंगे, आपको सड़कों पर जाकर बाप-बाप चिल्लाना ही पड़ेगा। माई से काम नहीं चला, तो आप बाप-बाप चिल्लाइये, लेकिन बिहार की जनता आपको लौटने नहीं देगी।

अध्यक्ष : अब कन्कलूड करिये।

श्री संजय कुमार सिंह : यह काम हो रहा है।

(व्यवधान)

उस पर भी आयेंगे, उस पर भी आयेंगे, चिंता मत करिये। आपके लोगों ने कितना आतंक मचाया है, वह भी हमको पता है। बंगाल की धरती पर बचपन में हम लोग जाते थे, तो ये कम्यूनिस्ट पार्टी के लोग लाठी और गुंडों के बल पर अपना शासन चलाते थे। उस बंगाल की धरती से कम्यूनिस्टों को अरब सागर में डुबाने का काम बंगाल की जनता ने कर दिया है, आप तय मानिये।

अध्यक्ष : कन्कलूड करिये। अब समाप्त करिये।

श्री संजय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत आभार है कि आपने हमको बोलने का अवसर दिया और हमारे जनक बाबू का भी बहुत-बहुत आभार है कि एकाएक मुझे बोलने के लिए खड़ा कर दिया। धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता।

श्री शकील अहमद खां : अध्यक्ष महोदय, हम आपसे आग्रह के साथ कहना चाहते हैं। आप बिल्कुल सही बात कहते हैं, जब तारीफ होती है, तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब पॉलिसीज की मुखालफत होती है माननीय प्रधानमंत्री जी की, तब आप कहते हैं कि नाम मत लीजिए, यह दोहरी पॉलिसी तो नहीं चलेगी।

अध्यक्ष : कोई दोहरी पॉलिसी नहीं है। आक्षेप मत करिये।

(व्यवधान)

आप बैठिये जनक जी ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : गुप्ता जी, एक मिनट आप बैठ जाइये । आप भी बैठिये ।

एक बात ध्यान रखिये माननीय सदस्य, आसन निरपेक्ष है, लेकिन आप कितनी भी गंभीर बात करिये, कितनी भी आलोचना करिये, कोई आपत्ति नहीं है । भाषा का संयम रखना पड़ता है । भाषा की मर्यादा का भी ध्यान रखिये । अगर प्रधानमंत्री हैं, तो उसी भाषा में बात करेंगे न । तो भाषा की मर्यादा रखकर, यहां तो सब लोग अपनी-अपनी विचारधारा के साथ आये हैं और स्वाभाविक है कि विरोधी पार्टी के लोग सत्तारूढ़ दल के कार्यकलाप की आलोचना करेंगे, इसमें क्या आपत्ति की बात है ? इसमें कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन जब राम-राम जी की बात करते हैं, तो राम-राम जी के तो कई रूप हैं, राम तो सब जगह हैं । कोई कहता है राम-राम जी, कोई कहता है राम-राम, कोई कहता है राम नाम सत्य है । राम के अनेक रूप हैं न, तो किसी रूप पर कोई आपत्ति मत करिये । सब रूप को स्वीकार करिये, यह मेरा आग्रह है ।

बोलिये, वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता जी ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, हम कटौती प्रस्ताव के पक्ष में भूमि सुधार और राजस्व विभाग से संबंधित आज के प्रस्ताव पर बात रखना चाहते हैं ।

(क्रमशः)

टर्न-18/धिरेन्द्र/22.02.2024

(क्रमशः)

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, हम सबसे पहले जो बहुत तेज रफ्तार से विकास बिहार का हो रहा है, जो यह कहा जा रहा है कि बिहार का बजट जो है 10-11 गुना बढ़ गया, 10 प्रतिशत से ज्यादा बिहार की विकास दर है.....

(इस अवसर पर माननीय सभापति श्री भूदेव चौधरी ने आसन ग्रहण किया)

तो यह झुनझुना जो बजाया जा रहा है सरकार के द्वारा, हम इन झुनझुना बजाने वाले तमाम मित्रों से यह जानना चाहते हैं कि इस दौर में बिहार के गरीबों को आपने कहाँ रखा है । बिहार में जो गरीब हैं आज भी आवासीय भूमि की संकट से जूझ रहे हैं और उनके घरों पर बुलडोजर चल रहा है । हम भी सरकार से यह ऑकड़ की माँग करते हैं कि वे यह भी बतायें कि वर्ष 1948 में जो बिहार सरकार के द्वारा जो अधिनियम पारित हुआ, बी.पी.पी.एस.टी. एक्ट जो पारित हुआ जिसमें

गरीब जहाँ जो बसा हुआ है, उनको कागज देना था, उनको कानूनी मान्यता देनी थी, वह मान्यता आज गरीबों की कहाँ है ? कितने प्रतिशत गरीबों को आपने जो जहाँ बसा हुआ है, उसको आपने कागज दिया, उसको कानूनी मान्यता दी और आज आप 19 सालों में इसका कोई हिसाब नहीं दे रहे हैं और हर गाँव में जो गरीब हैं उनका पी०एम० आवास भी अगर स्वीकृत है तो वह बन नहीं पा रहा है । आप ही के आँकड़े से हम कहना चाहेंगे कि बिहार में ही वर्ष 2022-23 में 20 हजार 700 से अधिक मकान इसलिए नहीं बन सकें कि गरीबों के पास उनकी आवासीय भूमि नहीं थी । इसका इस सरकार को जवाब देना चाहिए और आपने जो कहा, हम उसमें से पाँच प्रतिशत लोगों को आवासीय भूमि उपलब्ध कराये हैं । हम यह दावे के साथ कहना चाहेंगे कि वह पाँच प्रतिशत क्या है ? वह पाँच प्रतिशत यही है कि जो जहाँ बसा हुआ है, उसको आपने कागज दे दिया, अलग से आपने कोई व्यवस्था नहीं की तो यह पूरे तौर पर बिहार के गरीब जो हैं, ये झुनझुना अभी हमारे संजय जी बजा रहे थे कि बहुत तेज गति से बिहार विकास कर रहा है तो उस झुनझुने में, उस झुनझुने की आवाज में गरीब कहाँ है, वह भी बता दें और ये दलित, अतिपिछड़े लोग हैं, जिनका आवासीय भूमि का संकट है, वे कहाँ हैं ? वह बतायें । महोदय, हम यह कहना चाहेंगे कि जो शहरों का विकास आपने दिखाया कि वर्ष 2022 में बहुत सारे शहर के बगल के गाँव जो थे उसको आपने समाहित कर लिया कि वे शहर में बदल गये हैं, उनकी क्या स्थिति है ? उन गाँवों से अब गरीबों को भू-माफिया जो है वह बुलडोजर चला कर उनको विस्थापित कर रहे हैं । आपका वहाँ बी०पी०पी०एस०टी० एक्ट जो है लागू नहीं हुआ, गरीबों को जमीन की मान्यता नहीं मिली और इसलिए आज से उनके पास कोई कागज नहीं है । महोदय, हम इस सरकार से आपके माध्यम से यह कहना चाहेंगे कि क्या शहरी जिन इलाकों का विस्तार हुआ है, जो गाँव आये हैं, उन गरीबों के लिए कोई आपका, सरकार का कोई ऐसा नियम, प्रावधान का जिक्र इस बजट में है कि जिन गरीबों का कागज नहीं मिल सका है, जो कानूनी मान्यता नहीं हासिल कर सके हैं, उनको कानूनी मान्यता दे दी जाय । वह बेतिया हो, मोतिहारी हो, बगहा हो, दरभंगा हो, बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ शहरी क्षेत्र का विकास हुआ है और गरीबों का जो आवासीय भूमि है उसके कोई प्रबंधन की बात की गयी है कि उस पर उनको कागज दिया जायेगा । महोदय, हम आपसे यह कहना चाहेंगे, आपके माध्यम से यह कहना चाहेंगे कि बिहार में जो सीलिंगवाद चले, वह सीलिंगवाद चलने का जो समय है, वह समय वर्ष 1970 से शुरू होता है और आज 50 साल से ज्यादा आपके गुजर गए हैं । हम आपसे, इस सरकार से यह

जानना चाहेंगे कि 19 सालों में आपने कितने सीलिंगवाद का निपटारा किया ? आज भी एस०डी०ओ० के कोर्ट में, आज भी ए०डी०एम० के कोर्ट में, डी०एम० के कोर्ट में, कमिशनर के कोर्ट में, बोर्ड रेवेन्यू में, हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में 1148 मुकदमें लंबित हैं, जिनमें एक लाख एकड़ जमीन के करीब, 99 हजार से थोड़ा-सा ज्यादा, एक लाख एकड़ जमीन जो है वह 50 सालों से इस अपील में, उस वाद में, इस कोर्ट में, उस कोर्ट में, यह आपका चल रहा है । आप गरीबों के साथ क्या कर रहे हैं ? महोदय, हम इस सदन के माध्यम से यह कहना चाहेंगे कि यह जो है 50 सालों में गरीबों को सीलिंग वाली जमीन नहीं मिली, यह गरीबों के साथ अन्याय है या नहीं है ? आपने जो साहब की सरकार नहीं बनाये एक समय में, भूमि सुधार आयोग और उस भूमि सुधार आयोग में जो 21 लाख एकड़ जमीन चिन्हित किया गया, वे गरीबों के बाँटने योग्य हैं, यहाँ के भू-माफिया हैं, यहाँ के सामंत लोग हैं, यहाँ की चीनी मील हैं, उस जमीन को कब्जा किये हुए हैं लेकिन आप उसको, उस भूमि सुधार आयोग की रिपोर्ट को, जिससे 21 लाख, कम-से-कम गरीब परिवारों का कल्याण हो जाता, उसका रास्ता निकल जाता, उसका घर बन जाता, आपने कोई पहल कभी नहीं की । आपने 19 साल में गरीबों के साथ यह मजाक किया, आपके पास गरीबों के साथ अन्याय करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है । हम कहना चाहेंगे कि अभी जो हमारे साथी थे बिहार विधान सभा में मनोज मंजिल, उनको क्यों फंसाया गया ? पूरे पदाधिकारी जानते हैं कि जब वे थे तो वे डी०एस०पी० के पास थे, जब घटना की बात आ रही है लेकिन उनको मुकदमे में फंसाया गया क्योंकि वे गरीबों का सवाल उठा रहे थे, वे आवास का सवाल उठा रहे थे, सीलिंग का सवाल उठा रहे थे, दलित, पिछड़ों का सवाल उठा रहे थे

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : अब आप कंक्लूड करें । अब आप संक्षिप्त करें ।

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : हाँ, हम संक्षिप्त कर रहे हैं महोदय । हम यह कहना चाहेंगे कि भूमि सुधार के लिए आपने कोई फास्ट ट्रैक नहीं बनाया, आपने कोई ऐसी अदालत नहीं बनायी लेकिन जो ईमानदार विधायक हैं, नेता हैं, कोई कार्यकर्ता हैं, उसको आप तुरंत जेल में डालते हैं क्योंकि वे गरीबों का सवाल उठाते हैं और यह पूरे तौर पर जो लगातार 19 सालों से सरकार चली आ रही है, यह सरकार में हो रहा है । महोदय, हम यह कहना चाहेंगे कि यह जो स्थिति है कि वर्ष 2016 में बिहार सरकार ने, आपकी सरकार ने भूमिहीन सुधार, आपको भूमि हृदबंदी अधिनियम में संशोधन किया और उस अधिनियम में यह किया गया कि कोई भी अपील में कोई सीलिंगवाद जायेगा तो उसका छः महीना अंतिम समय होगा.....

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : अब आप समाप्त करें ।

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : महोदय, लोकिन छः महीना में आपने किसी वाद का निपटारा नहीं किया । आज भी वह कोर्ट में पैंडिंग है और इस लिहाज से, हम इस सरकार से जानना चाहते हैं कि उसने पदाधिकारियों पर कितनी कार्रवाई की ? छः महीना में कोई ए.डी.एम., एस.डी.ओ., कमिशनर.....

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : अब आप समाप्त करें ।

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : महोदय, रेवेन्यू बोर्ड ने क्यों नहीं फैसला किया । आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं.....

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : माननीय सदस्य श्री मिथिलेश कुमार अपना पक्ष रखेंगे ।

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : महोदय, ये सरकार जो है गरीबों के साथ मजाक कर रही है और पूरे तौर पर गरीबों को, ये जो झुनझुना बजाया जा रहा है....

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : माननीय सदस्य श्री मिथिलेश कुमार, आपका समय मात्र 10 मिनट है ।

श्री मिथिलेश कुमार : माननीय सभापति जी, आज मुझे पथ निर्माण विभाग, कृषि विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, श्रम संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, पर्यटन विभाग के संदर्भ में बजट के पक्ष में बोलने का अवसर आसन के द्वारा और हमारे मुख्य सचेतक और हमारे नेतृत्व के द्वारा जो अवसर मिला, उसके लिए मैं ब्रह्मांड की विशिष्टतम धरती सीताप्रकट स्थली सीतामढ़ी के संपूर्ण सीतामढ़ी वासी की ओर से सदन को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ । महोदय, मुझे यह पता नहीं चलता है कि सदन जो माध्यम है जनता के कल्याण का, उस सदन में विकास के संदर्भ में कटौती का प्रस्ताव लाते हैं विपक्ष के लोग । क्या आप बिहार की जनता के पर्यावरण को नहीं सुधारना चाहते ? क्या आप बिहार के सड़कों का डेवलपमेंट नहीं चाहते ? क्या आप बिहार के एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट नहीं चाहते ? कटौती का क्या आपका मुआयना है ? इस नवाचार में, इस कर्तव्य काल में भारत जो विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है और अपना कदम उठा रहा है, उसमें बिहार का भी सदन, आप सभी विपक्ष के लोग और हम सभी पक्ष के लोग मिलकर उस कदम में एक-एक कदम आगे बढ़ाकर भारत को गैरवान्वित करेंगे । यह वह पल है जब कटौती की बात नहीं कीजिये, सब मिल-जुलकर कर्तव्य पथ पर चलने का निर्धारण कीजिये । यह वह काल है जब युवा काल है, जब भारत संपूर्ण विश्व में अपना इतिहास स्वर्ण अक्षरों में अंकित

करने वाला है। पथ निर्माण की बात करते हैं, आपको मालूम है कि वर्ष 1982 में गांधी सेतु का उद्घाटन हुआ था।

(क्रमशः)

टर्न-19/संगीता/22.02.2024

श्री मिथिलेश कुमार (क्रमशः) : महोदय, 1982 के बाद प्रथम बार श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1996 में प्रधानमंत्री पद का शपथ लिया, फिर 1998 में लिया। 1998 में एन0डी0ए0 की सरकार के पहले बिहार का जो सेतु है गांधी सेतु, उसके जीर्णोद्धार का किसी ने सपना देखा था, विजुएलिटी देखा था और उस समय अटल जी की सरकार से लेकर और आज जब एन0डी0ए0 की सरकार है, लगातार गांधी सेतु के डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं उत्तर बिहार के लोग हमलोग सीतामढ़ी से पटना आते थे 8 घंटे में, 12 घंटे में, आज बागमती में पुल का निर्माण हुआ, आप बिहार के तमाम जगहों पर देखें, इस 2023-24 के बजट में बिहार में 32 पुलों का निर्माण हुआ है...

(व्यवधान)

बातों से नहीं, एन0डी0ए0 सरकार, भाजपा का कार्यकर्ता संकल्प से सिद्धि का प्रयास करता है और अपनी बातों को धरातल पर उतारकर दम लेता है। यह हमारी संकल्पना है, यह हमारा अभिजात्य वर्ग है, यह हमारे पूर्वजों के त्याग, तपस्या, बलिदान का यह...

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : माननीय सदस्य कृपया आसन की तरफ मुखातिब होकर अपनी बात रखें।

श्री मिथिलेश कुमार : महोदय, कृषि की बात कर रहे हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि का घोषणा किया और ये विपक्ष के लोग, इनकी विजुएलिटी है, इनका कोई मैकेनिज्म है, आप सोच सकते हैं कि हमलोग दीदीयों को ड्रोन दीदी बनाने का सपना देखकर आज बिहार के धरातल पर उसको साकार करने का काम कर रहे हैं। हमारी ड्रोन दीदीयां एक तरफ रोजगार पायेंगी और दूसरी तरफ किसानों के फसलों पर दवा का छिड़काव होगा, किसान खुशहाल होगा, बिहार फिर से भारत में कृषि के क्षेत्र में अपना नाम स्थापित करेगा और स्वर्णक्षरों में अंकित होगा। श्रम संसाधन की बात करते हैं, जब बिहार में एन0डी0ए0 की सरकार बनी तो आप देखिए श्रम संसाधन विभाग के तत्कालीन मंत्री माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय सिन्हा जी थे, उनके कार्यकाल में बेरोजगारों के लिए क्या काम हुआ, कितना उनका

रजिस्ट्रेशन हुआ, यह अभिलेख पर उपस्थित है। एन0डी0ए0 का कार्यकर्ता, भाजपा का कार्यकर्ता बात नहीं करता है साक्ष्य के साथ धरातल पर उसको प्रामाणिकता के साथ बात रखता है और धरती पर काम नजर आती है। जे0पी0 गंगा पथ परियोजना पी0एम0सी0एच0 से गायघाट तक का लोकार्पण भी हो गया। संयोग से मेरे दुर्घटना से पहले भी मुझे अवसर मिला था पथ निर्माण पर ही बोलने का, उस समय मैंने कहा था कि जब उत्तर बिहार से आता हूँ पटना की ओर और जब बागमती का पुल देखता हूँ, बिना नाव के आना पड़ता है तो लगता है कि काश ये एन0डी0ए0 की सरकार आजादी के बक्त ही बन गई होती तो बिहार आज यहां नहीं होता कहीं और ही होता...

(व्यवधान)

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : कृपया शांति बनाए रखें।

श्री मिथिलेश कुमार : हम अपनी मर्यादाओं में रहते हैं। मर्यादा हमारी शोभा है...

(व्यवधान)

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : शांति बनाए रखें।

श्री मिथिलेश कुमार : आप अमर्यादित हैं...

(व्यवधान)

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : वे बैठे-बैठे बोल रहे हैं न।

श्री मिथिलेश कुमार : बिहार की जनता देख रही है, बिहार की जनता जवाब देगी और आप उसके भुक्तभोगी होंगे...

(व्यवधान)

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : बैठिए, बैठिए, प्लीज बैठिए। संज्ञान में है, बैठिए।

श्री मिथिलेश कुमार : बिदुपुर का गंगा नदी पुल...

(व्यवधान)

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : बैठिए, बैठिए।

(व्यवधान)

आप अपनी बात आरंभ रखिए।

श्री मिथिलेश कुमार : एन0डी0ए0 की सरकार विकास के साथ सुरक्षा का ध्येय अद्भुत उदाहरण पेश करती है। इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने के साथ लोग कैसे दुर्घटना से बचेंगे उसका भी ब्लूप्रिंट तैयार करती है और फिर उसको इंप्लीमेंट करती है। पथ निर्माण विभाग द्वारा रोड सेफ्टी ऑफिट किया गया है और उसमें जंकशन इम्प्रूवमेंट, ट्रैफिक टाइमिंग मेजर्स एट वल्नरेबुल प्वाईट्स, रोड साइंस, रोड मार्किंग, जेब्रा क्रॉसिंग, स्पीड लिमिट, रंबल स्ट्रिप्स, इन सारी चीजों को पथ निर्माण विभाग

ट्रैफिक की सुरक्षा के लिए इनकी व्यवस्था कर रही है। महोदय, वर्ष 2023-24 में 96.42 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण हुआ। महोदय, यह कल्पना कर सकते हैं विपक्ष के लोग कि हमारे राष्ट्रीय पथ निर्माण मंत्री सभी राज्यों को खुला आग्रह करते हैं कि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है और जो यहां बैठे विपक्ष में लोग बोल रहे हैं उनको ध्यान होना चाहिए कि माननीय नितिन गडकरी जी जब आए थे तो आपके नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने मुक्त कंठ से उनकी सराहना की थी माननीय गडकरी जी का। यह आपको याद नहीं है, यह याद करिए, जो काम करेगा, वह धरातल पर दिखेगा...

(व्यवधान)

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : शार्ति, शार्ति।

श्री मिथिलेश कुमार : आप बोलते रहेंगे लेकिन इससे जनता नहीं सुनेगी, जनता काम देखना चाहती है। आपकी बोली को जनता वर्षों वर्ष तक सुनकर के भुगत ली...

(व्यवधान)

सुलभ संपर्कता के अधीन राज्य के सभी शहरों एवं सघन बसावटों से होकर गुजरने वाले मार्गों में आवश्यकतानुसार कुल 556.10 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृति प्रदान की गई है, जो क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन है...

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : अब संक्षिप्त करें।

(व्यवधान)

कृपया शार्ति बनाए रखें।

श्री मिथिलेश कुमार : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की बात कर रहे हैं। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में आप कटौती का प्रस्ताव देते हैं, क्या आप नहीं चाहते कि बिहार के गरीबों के घर तक नल का जल पहुंचे, क्या आप नहीं चाहते कि बिहार के गरीब स्वच्छ पानी पी सकें, आप बिहार की जनता को क्या देना चाहते हैं, आप क्या रिफ्लेक्शन देना चाहते हैं कटौती करके। लघु संसाधन विभाग में कटौती, कृषि में कटौती, पथ निर्माण में कटौती, यहां बैठा एक-एक सदस्य कोई ऐसा सदस्य नहीं होगा जो अटल जी के सपने ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर से रिलेटेड अपने फोर-लेन पर नहीं चढ़ता होगा, अपने क्षेत्र से निकलने के बाद। पथ निर्माण में और बाकी सभी विषयों में एन0डी0ए0 सरकार की अब चर्चा करेंगे, बात करेंगे...

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : कृपया समाप्त करें।

श्री मिथिलेश कुमार : महोदय, मैं यह कहकर समाप्त करना चाहता हूं कि यह पथ निर्माण और हमारे मनीषी, हमारे संगठन के कार्यकर्ता, हमारे तपस्वी ने मार्ग देखा है, पथ

वही बता सकते हैं, पथ वही दिखला सकते हैं और मैं कहूँगा कि भगवान् विष्णु के पांचवें अवतार वामन महाराज को याद करूँगा आज...

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : अब आप समाप्त करें।

श्री मिथिलेश कमार : इस अवसर पर “गमने वामनं चयवा सर्व कार्येषु माधवम्” जय हिन्द, जय भारत, भारत माता की जय।

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : माननीय सदस्य, श्री राकेश कुमार रौशन जी के बदले श्री चन्द्रहास चौपाल जी अपनी बात रखेंगे।

श्री चन्द्रहास चौपाल : धन्यवाद, माननीय सभापति जी। सर्वप्रथम मैं सदन के प्रति और आसन के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे...

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : आपका समय मात्र 9 मिनट है।

श्री चन्द्रहास चौपाल : आज कटौती प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीबों के मसीहा बेजुवानों की आवाज आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को मैं नमन करता हूँ, जिनके आशीर्वाद से मैंने आज बिहार विधान सभा में सिंहेश्वर विधान सभा की आवाज बनकर खड़ा हूँ। आज कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूँ और अभी माननीय सदस्य मिथिलेश जी ने कई बार कहा कि आजादी के बाद यदि एन0डी0ए0 की सरकार होती तो काश हिन्दुस्तान की कायाकल्प हो जाता। आजादी से पहले तो आप अंग्रेज के साथ थे तो आप हिन्दुस्तान के साथ क्या होते, आप किनके साथ थे, XXX जिस बापू ने देश को आजाद कराने का काम किया...

(व्यवधान)

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : विषय पर बोलिए।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रहास चौपाल : आपने खुद छेड़ा है...

(व्यवधान)

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : माननीय सदस्य चन्द्रहास जी, विषय पर बोलिए।

(व्यवधान)

अब बैठिए न, बात हो गई न।

श्री चन्द्रहास चौपाल : माननीय सभापति महोदय, पथ निर्माण विभाग में मैंने 2008 के प्रलयकारी बाढ़ में कोसी और सिंहेश्वर विधान सभा के कई महत्वपूर्ण रोड और पुल-पुलिया क्षतिग्रस्त हुआ और एन0डी0ए0 की सरकार थी लगातार...

(व्यवधान)

सभापति(श्री भूदेव चौधरी) : माननीय सदस्य जी, जो भी असंसदीय भाषा होगी, वह प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं होगी । बैठिये ।

XXX - अंश को आसन के आदेशानुसार विलोपित किया गया ।

टर्न-20/सुरज/22.02.2024

श्री चन्द्रहास चौपाल : लगातार कई बार मैंने जो क्षतिग्रस्त पुल था विधान सभा के माध्यम से पुल का पुनः निर्माण करने की मांग की । कई पुल हैं जैसे सिंहेश्वर डोभी घाट, पटोरी का पुल है, कुमारखण्ड प्रखण्ड के तेघड़ा परिहारी का पुल है और आज जो पथ निर्माण विभाग में करोड़ों रुपया का महिषी में...

सभापति(श्री भूदेव चौधरी) : जरा सर्क्षिप्त करें, सर्क्षिप्त करें ।

श्री चन्द्रहास चौपाल : बलुआहा घाट पर पुल बना है लेकिन लगातार 18 वर्षों से सरकार रहने के बावजूद भी पुल के उद्घाटन का भी लगभग 10 साल हो चुका है लेकिन महिषी से समस्तीपुर और समस्तीपुर से पटना तक फोरलेन यदि हो जाता तो हमलोगों को आने में 8 घंटा का समय लगता है, बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है । मैं सदन के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि पिछले 18 वर्षों से एन0डी0ए0 की सरकार है और लगातार 70 से 80 आर0ओ0बी (रेल ओवर ब्रिज) का प्रस्ताव पास किया गया है लेकिन कोई ऐसा रेल ओवर ब्रिज नहीं बनने के कारण सैकड़ों आमजनों की रेल से कटकर हत्याएं हुई हैं जैसे दरभंगा दोनार गुमटी है, समस्तीपुर भोला टॉकीज के पास, सहरसा बंगाली बाजार में । कई बार विधान सभा के माध्यम से भी कई माननीय सदस्यों ने मांग किया है तो आपके माध्यम से मैं मांग करूंगा कि जो भी 70-80 रेलवे ओवर ब्रिज पास है उसे सरकार से मैं मांग करता हूं कि अविलंब बनाने का प्रस्ताव पारित करें । मैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज जो म्यूटेशन में जो परेशानी हो रही है । गरीब आदमी, मजदूर किसान जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा कमाकर एक कट्ठा, डेढ़ कट्ठा जमीन लेने का काम कर रहा है लगातार दौड़ते-दौड़ते थक जाता है लेकिन उसका म्यूटेशन नहीं हो पाता है, उनसे एक मोटी रकम लिया जा रहा है । राजस्व कर्मचारी के द्वारा, सी0ओ0 के द्वारा कोई न कोई वहां पर स्टाफ रखा जाता है, बिचौलिया रखा जाता है और गरीब आदमी को कहा जाता है कि आपका दस्तावेज गलत है और वे लोग लगातार

हमलोगों को फोन भी किया करते हैं और जब वह दस हजार, बीस हजार मोटी रकम देने का काम करता है तब जाकर वर्षों के बाद उनका म्यूटेशन होता है। मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि इस तरह से जो दलाल रखा जाता है राजस्व कर्मचारी के द्वारा और सी0ओ0 के द्वारा उस पर रोक लगायी जाय। हम सदन के माध्यम से पी0एच0ई0डी0 के द्वारा मांग करते हैं कि हर विधान सभा में जो जल मीनार लगाया गया है, वह हर जगह काम नहीं करता है और गरीब, किसान, मजदूर, दलित, अल्पसंख्यक जो मजदूर क्लास के लोग हैं उनको शुद्ध पानी नहीं मिल पाता है तो पुनः हर गरीब को चापाकल की व्यवस्था जो बंद की गयी वह चापाकल दिया जाय। मेरे सिंहेश्वर विधान सभा जहां कि अति प्राचीन शिव-पार्वती मंदिर है। मैंने कई बार मांग किया है कि वहां नगर पंचायत में जर्जर स्थिति है, न कहीं नाला है, न कहीं रोड है तो मैं नगर विकास एवं आवास विभाग के माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि मास्टर प्लान के तहत इस तरह से वहां भगवान राम के जन्म से जुड़ा हुआ सिंहेश्वर स्थान है, मास्टर प्लान के तहत वहां सिंहेश्वर का भी विकास किया जाय। यह मैं आपके माध्यम से माननीय सभापति जी मांग करता हूं...

(व्यवधान)

भगवान आपका खरीदा हुआ थोड़े है, भगवान तो सुप्रीम कोर्ट है...

(व्यवधान)

हमलोग भगवान को मानने वाले हैं। हमलोग भगवान के नाम पर वोट नहीं मांगते हैं। हम गन्ना उद्योग के माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि बनमनखी में अति प्राचीनकाल का चीनी मिल था और हमारे यहां के किसान उसमें गन्ना दिया करते थे। हमलोग जब बच्चे थे 7-8 साल के, तब से मिल जो बंद हुआ अभी तक वह मिल चालू नहीं हुआ है। तो गन्ना उद्योग के माननीय मंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि पूर्णिया जिला के बनमनखी चीनी मिल को चालू किया जाय।

(व्यवधान)

सभापति(श्री भूदेव चौधरी) : आसन को देखकर बोलिये न चन्द्रहास जी। आप तो अच्छी बात बोल रहे हैं।

श्री चन्द्रहास चौपाल : सिंहेश्वर विधान सभा के मध्य में मंदिर के बगल में एक पर्यटन होटल है और उसकी स्थिति जीर्ण-शीर्ण है। मैं पर्यटन विभाग से मांग करता हूं कि उस होटल का जीर्णोद्धार किया जाय और पर्यटन के दृष्टिकोण से सिंहेश्वर में वहां से दस-बारह जिला और नेपाल तक के श्रद्धालु महाशिवरात्रि में आते हैं, उनके रहने

का भी पर्यटन विभाग से व्यवस्था और आमजन को रहने का पर्यटन विभाग से और बड़ा से बड़ा भवन का निर्माण हो। बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति(श्री भूदेव चौधरी) : धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रामविलास कामत जी अपना पक्ष रखेंगे। आपको मात्र 10 मिनट प्राप्त है।

श्री रामविलास कामत : माननीय सभापति महोदय, आज मैं पथ निर्माण विभाग के बजट की मांग पर अपना पक्ष रखने के लिये खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे समय दिया इसके लिये मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री, बिजेन्द्र प्रसाद यादव जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जो हमारे अभिभावक भी हैं और उनका हमेशा मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। आज मैं श्रवण जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने यह महत्वपूर्ण समय हमें दिया है।

माननीय सभापति महोदय, आज पथ निर्माण विभाग के मांग की चर्चा यहां चल रही है। काफी देर से हमलोग इसमें सहभागी हैं और बातों को सुन रहे हैं। हमारे जो विपक्ष के साथीगण अपनी बात रखने के लिये खड़े होते हैं तो हमें लगता है कि वह पथ निर्माण विभाग के बारे में अधिक बात करने से कतराते हैं।

महोदय, मुझे एहसास हुआ कि यह जो पथ निर्माण विभाग है, इन्होंने पूरे राज्य में जिस तरह से लंबी-लंबी लकीरें खींची हैं, जिस तरह के कार्य इस पथ निर्माण विभाग के माध्यम से पूरे बिहार में हुआ है, चाहे वह पुल के मामले में हो, चाहे बड़े-बड़े लंबी सड़कों के मामले में हो। चकचकाती सड़कें, बड़ी-बड़ी पुलें जो पथ निर्माण विभाग के माध्यम से बनाया गया है वह आज बिहार की शक्ल और सूरत को बदलने में काफी प्रभावी साबित हुआ है। हमलोग महसूस करते हैं कि आज बिहार के जिस इलाके में हम जाते हैं, जिधर से भी गुजरते हैं चकचकाती सड़कें, छोटी-बड़ी पुलें हमें दिखाई पड़ती हैं और आवागमन को सुलभ करने में, समय की बचत करने में इन कार्यक्रमों का काफी भागीदारी रहा है पथ निर्माण विभाग का। पथ निर्माण विभाग जो पूरे बिहार में सड़कों का काम देखता है। बड़ी-बड़ी सड़कें एन०एच० हो, एस०एच० हो, पथ निर्माण विभाग की सड़कें हों, जिला के मुख्यालय को जोड़ने की बात हो। अनेक प्रकार के कार्यक्रम से आज सुलभ संपर्कता का जो हमारे आदरणीय नेता नीतीश जी का संकल्प है कि सभी जगहों पर हम सुलभ संपर्कता उपलब्ध करायेंगे। राजधानी पहुंचने के लिये जो उन्होंने एक मानक तय किया था कि 6 घंटा में किसी भी इलाके से राज्य के पथ निर्माण के माध्यम से, सड़क के माध्यम से हमलोग पटना पहुंचे।

(क्रमशः)

टर्न-21/राहुल/22.02.2024

श्री रामविलास कामत (क्रमशः) : अगर इस कार्यक्रम को हू-ब-हू लागू किया है तो इसमें पथ निर्माण विभाग की भागीदारी है। आज हम आपको बता सकते हैं कि हम सुपौल जिले से आते हैं। इससे पहले भी अगर वहां से हम लोग सड़क मार्ग से पटना आना चाहते थे तो 15 घंटे से कम समय नहीं लगता था लेकिन आज पथ निर्माण विभाग के कार्यक्रमों के माध्यम से, मुख्यमंत्री जी के निश्चय के माध्यम से हम लोगों का जो समय था आज हम चार से साढ़े चार घंटे में पटना पहुंच पाते हैं। यह बहुत बड़ी बात है और यह दर्शाता है कि बिहार में अभी जो काम हो रहा है, सुलभ संपर्कता का जो कार्यक्रम हमारी सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है वह सरजमीं पर दिखायी पड़ता है। चकाचक सड़क और चकाचक बिजली। अगर हम रोड से गुजरते हैं तो पटना आने में और अन्य भागों में भी जाने के लिए अगर हम लोग सड़क से गुजरते हैं तो हम लोगों को लगता है कि कहीं हम दूसरी जगह तो नहीं आ गये हैं। सभापति महोदय, यह जो कार्यक्रम हमारी सरकार का है, माननीय मुख्यमंत्री जी का है कि राज्य के किसी भी इलाके से हम लोग कम से कम समय में राजधानी पहुंचें इस पर जो काम किया जा रहा है उसकी कुछ बातें मैं यहां पर रखना चाहता हूं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में सरकार ने अभी जो काम शुरू किया है जो आगे चलना है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि 96.42 किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च पथ का निर्माण अभी प्रगति पर है। हम कहना चाहते हैं कि 67.13 किलोमीटर राज्य उच्च पथ का अभी निर्माण कार्य चल रहा है। इसी तरह अगर हम देखें तो 2218.42 किलोमीटर वृहद जिला पथों का निर्माण एवं नवीनीकरण का कार्य अभी शुरू किया गया है। सभापति महोदय, हम बताना चाहते हैं कि पथ निर्माण विभाग के माध्यम से पूरे राज्य में जिस तरह से पुलों का निर्माण किया जा रहा है, जिस तरह से दूरियों को कम किया जा रहा है, सुलभ संपर्कता प्रदान की जा रही है उसी कड़ी में अगर हम देखेंगे तो आज 26 पुल की योजनों का निर्माण पूर्ण कराया गया है। विगत वर्षों में पथ निर्माण विभाग के द्वारा कुल 115 योजनाओं जिसकी लागत राशि 6429 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है जो आगे काम किया जा रहा है। सभापति महोदय, कुल 28 पुल, 12 आरोड़ों तथा 75 लंबी दूरी की सड़कों का निर्माण कार्य आज पथ निर्माण विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। सभापति महोदय, हम कहना चाहते हैं कि पथ निर्माण विभाग अभी जो अपना काम पूरे बिहार में चालू किया हुआ है उससे बिहार के लोगों को कई फायदे हो रहे हैं। जाम से निजात मिलने और जो हमारा जिला मुख्यालय है उसमें भीड़भाड़ से बचने के लिए, कई जगहों पर जो भीड़ की

समस्या होती है उससे निजात पाने के लिए हम कह सकते हैं कि आरओओबीओ का निर्माण और बाईपास सड़कों का निर्माण भी कराया जा रहा है। महोदय, सुलभ संपर्कता के तहत आज 20 शहरों में बाईपास सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है जो बहुत बड़ी बात है। हम जिला मुख्यालय में जाते हैं प्रखंड से पहुंचते हैं वहाँ भीड़भाड़ की समस्या होती है किसी दूसरी जगह जाने में कठिनाई होती है ऐसे में बाईपास सड़कों का निर्माण कराया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे आम जनता को भीड़भाड़ से बचने में सुविधा होती है, उसके समय की बचत होती है। इसी तरह अगर आज हम चर्चा करें कि एसओएचओ-95 जो मानसी से सिमरी बखितयारपुर तक अभी निर्माणाधीन है, एसओएचओ-98 जो कटिहार से बलरामपुर तक है वह भी अभी निर्माणाधीन है, एसओएचओ-99 बायसी-बहादुरगंज दीघलबैंक, एसओएचओ-105 बेतिया-नरकटियागंज पथ, एसओएचओ-101 अम्बा-देव-मदनपुरा पथ, एसओएचओ-103 मझवे-गोविंदपुर पथ, मधुबनी से उच्चैर भगवती स्थान से महिषी एनओएचओ पथ तथा कोसी नदी पर देश के लंबे पुलों का निर्माण आज पथ निर्माण विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। इन सारे कार्यों के पूर्ण होने के बाद जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सपना है, जो उनका उद्देश्य है कि राज्य के किसी कौनse से 5 घंटे में राजधानी तक पहुंचना है वह कार्यक्रम सफल हो सकेगा। इसमें किसी तरह के शक की गुंजाई हमें नहीं दिखायी पड़ती है। सभापति महोदय, आज सरकार के द्वारा जो एनओएचओ से लेकर के एसओएचओ तक नई-नई सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है उस संदर्भ में हम बताना चाहते हैं कि आज सुपौल जिले के परसरमा गांव से लेकर के अररिया और अररिया से लेकर गलगलिया तक एनओएचओ का निर्माण कार्य प्रगति पर है और तेजी से इसका काम हो रहा है...

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : अब थोड़ा संक्षिप्त करें। कंक्लूड करिये।

श्री रामविलास कामत : सभापति महोदय, कुछ ऐसी बातें हैं जो आज हम आपके माध्यम से मंत्री महोदय के समक्ष रखना चाहते हैं जो हमारे क्षेत्र से संबंधित हैं, हमारे जिले से संबंधित हैं। हम कहना चाहते हैं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र पिपरा में दो महत्वपूर्ण सड़कें हैं जो पथ निर्माण विभाग की हैं। एक है थरबिटिया स्टेशन से किशनपुर होते हुए कमलपुर तक, जिसका चौड़ीकरण करने की आवश्यकता है। क्योंकि उसी सड़क पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी होनी है और उसमें काफी भीड़ रहती है, दूसरी सड़क है पिपरा प्रखंड के किशनपुर से हरदी दुर्गा स्थान तक। इन दोनों सड़कों के चौड़ीकरण की मांग सदन के माध्यम से मैं सरकार से करना चाहता हूं। और एक मांग...

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : अब आप समाप्त करें। माननीय सदस्य, श्री इजहारूल हुसैन साहब अपनी बात रखें।

श्री रामविलास कामत : एक मांग जो पर्यटन विभाग से संबंधित है। हम कैलाशपुरी मेला स्थल जो हमारे पिपरा प्रखंड में, को राज्यस्तरीय मेला घोषित करने की मांग हम सदन के माध्यम से करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री इजहारूल हुसैन : सभापति महोदय, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने मुझे कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का मौका दिया। मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष...

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : आपका समय मात्र 9 मिनट है।

श्री इजहारूल हुसैन : जी सर, मालूम है सर। हमारे सचेतक महोदय जी का, हमारे सी0एल0पी0 जी का और सबसे ज्यादा आभार हमारे क्षेत्र की जनता का व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे उनकी आवाज बनकर सदन में खड़ा होकर बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक शेर पढ़ना चाहता हूं :

“यह और बात है कि आंधियां हमारे वश में नहीं,
मगर चिराग जलाना तो हमारे अग्नियार में है।”

सभापति महोदय, मैंने बजट देखा, बजट काफी लंबा-चौड़ा है कोई शक नहीं है लेकिन मैं सरकार से मांग करता हूं कि बजट का लंबा-चौड़ा होना मक्सद नहीं होना चाहिए बल्कि बजट का इंप्लीमेंट करना, धरातल पर उतारना ही मक्सद होना चाहिए। मैंने वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट देखा तो उसमें देखा गया कि पथ निर्माण विभाग के द्वारा प्रस्तुत कुल बजट 7780.9900 करोड़ रुपये का प्रावधान था परंतु केवल 5285.3941 करोड़ ही खर्च हुआ। हमारे किसी साथी ने कहा कि कटौती प्रस्ताव क्यों रखा जाता है मैं कहता हूं कि कटौती प्रस्ताव इसलिए रखा जाता है कि आपने पिछले बजट के पैसे का क्या किया? जब आपके पास पैसा बच गया तो आपको बजट में जाने की क्या जरूरत थी? किसी माननीय ने पहले ही कहा था कि फलाने जगह बहुत बड़ा काम होने वाला था कितने हजार, कितने सौ करोड़ रुपये का बजट था लेकिन उसको धरातल पर नहीं उतारा गया। यही नतीजा है हमारी मांग रहती है, विपक्ष की कि कटौती प्रस्ताव को लाया जाय। सभापति महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वह क्षेत्र काफी पीछे है और वहां की सड़कें, पुल काफी जर्जर अवस्था में हैं। जब बजट में पैसा बच जाता है तो हमारे क्षेत्र में, हमारे विधान सभा क्षेत्र में यह जर्जर पुल, सैकड़ों सड़कें क्यों बाकी रह जाती हैं? मैं सरकार से मांग करता हूं कि हमारे यहां ऐसी सैकड़ों सड़कें हैं,

सैकड़ों पुल हैं। मिसाल के तौर पर हमारे यहां खरखड़ी घाट में डोम नदी पर पुल के निर्माण और हमारे यहां मशिया में पुल निर्माण के लिए और झिंझिली रोड के लिए मैं लगातार तीन साल से आवाज उठा रहा हूं।

क्रमशः

टर्न-22/मुकुल/22.02.2024

(क्रमशः)

श्री इजहारूल हुसैन : इससे पहले हमारे सामने ग्रामीण विकास विभाग के माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार जी बैठे हुए हैं। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि इतना पुल न देखें, कम से कम केवल एक पुल देखें उसको हम जरूर करवा देंगे लेकिन सभापति महोदय, बहुत ही अफसोस की बात है कि अब तक वह पुल नहीं बना है। हमलोगों को अपनी जनता से गालियां सुननी पड़ती हैं और वे कहते कि आपने तीन साल इस संबंध में आवाज उठाकर क्या किया। सभापति महोदय, वहां की यह हालत है कि वहां जब नाव से लोग जाते हैं तो आये दिन कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं। हाल में नाव पलटने से कई लोग डूबकर मर गये। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द इसको किया जाय नहीं तो हमलोगों को गालियां ही सुननी पड़ेंगी। सभापति महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उसे सीमांचल किशनगंज कहा जाता है, वहां के लोग काफी पिछड़ा और गरीब हैं। वहां पर ज्यादातर लोग खेती से अपना गुजर-बसर करते हैं और वहां के लोगों की आय का मुख्य स्रोत खेती ही है, वहां पर धान की खेती होती है, मक्के की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, चाय की खेती होती है और अनानास की खेती होती है। लेकिन उसको उपजाने में उनको काफी लागत लगती है। लेकिन जब बेचने की बारी आती है तो सभापति महोदय उनको लागत से कम पैसे में अपनी फसलों को बेचना पड़ता है। यही नतीजा है कि हमें मजबूर होकर बैंक से कर्ज लेना पड़ता है और जब कर्ज की अदायगी नहीं होती है तो बैंक इतनी चढ़ाई करती है कि किसान को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ता है। सभापति महोदय, यही वजह है कि वहां के किसान और बेरोजगार नौजवान लोग दूसरे राज्य में जाने पर मजबूर हो जाते हैं क्योंकि वहां पर आमदनी का कोई और स्रोत नहीं है। सभापति महोदय, मैं यहां पर आग्रह करना चाहता हूं कि उस क्षेत्र पर जरूर ध्यान दिया जाय, उसके साथ सौतेलापन व्यवहार न करें, टैक्स हम भी देते हैं। मैं तो सोचता हूं कि हमारा क्षेत्र बंगाल से सटा हुआ है और वहां पर मुझे लगता है कि हम खासकर टैक्स ज्यादा देते होंगे। सभापति महोदय, पश्चिम बंगाल भी वहां से काफी नजदीक है। इसलिए वहां पर आपदा की स्थिति हमेशा बनी हुई रहती है, वहां पर प्राकृतिक

आपदा, बाढ़, ओलावृष्टि, आंधी-तूफानें बराबर हुआ करती हैं, जिसकी वजह से किसान जो मेहनत से खेती करते हैं वह बर्बाद हो जाता है। लेकिन सरकार का जो प्रावधान है, बीमा योजना होने के बाद भी पदाधिकारियों की कोताही और लापरवाही की वजह से किसानों को मुआवजा नहीं मिलता है। मैं आग्रह करता हूं कि वहां पर लगभग दो साल पहले इतनी आंधी-तूफान आई कि किसान की जितनी भी खेती थी वह सब बर्बाद हो गयी, सारा मक्का बर्बाद हो गया। मैंने इस संबंध में आवेदन भी दिया, वहां से लेटर भी आया, इस संबंध में मैं माननीय कृषि मंत्री जी से मिला भी और उन्होंने मुझे एस्योर किया कि मैं जरूर भिजवाऊंगा लेकिन अब तक पैसा नहीं मिला है। हमलोग कैसे खाते हैं वह हम समझते हैं, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जरा उस पर ध्यान दिया जाय। सभापति महोदय, यह किसान विरोधी सरकार है, यह कभी भी किसान के बारे में सोचा नहीं करती है....

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : अब आपका मात्र 1 मिनट का समय बचा हुआ है।

श्री इजहारूल हुसैन : सभापति महोदय, अभी 7 मिनट नहीं हुआ है, केवल 5 मिनट ही हुआ है। मैं अपनी बातों को 2 मिनट में कन्कलूड कर देता हूं।

महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनको किसानों का कर्जा माफ करने की फिक्र नहीं होती है, इनको उसमें कठिनाई होती है। लेकिन इनको अपने मित्रों के करोड़ रुपये माफ करने में जरा सी भी कोताही नहीं होती है, बहुत आसानी कर देते हैं। सभापति महोदय, आपने देखा होगा कि जब य०पी०ए० की सरकार थी तो सरकार ने किसानों का 70 हजार करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया था और मौजूदा सरकार ने अपने मित्रों के 73 लाख करोड़ रुपये माफ कर दिया, इसका क्या औचित्य बनता है। इससे साफ जाहिर होता है कि आप किसान विरोधी हैं। किसान जब आंदोलन करता है तो आप हजारों किसानों को मरवा देते हैं, उनकी शहादत हो जाती है। आपको पता होना चाहिए कि स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के समय जय जवान-जय किसान का नारा लगाया गया था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है वहां पर सूरजापुरी मुसलमानों की काफी आबादी है। लेकिन मैं गठबंधन सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने वहां पर पूरे प्रदेश में जातीय गणना कर इतिहास रचने का काम किया, लेकिन सभापति महोदय, हमारे यहां जातीय गणना के आंकड़े के मुताबिक सूरजापुरी मुसलमान अत्यंत पिछड़ा हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग-2 में रखा गया है, जबकि उनकी स्थिति शेरशाहबादी और कोलहिया के जाति के लोगों से भी दयनीय है, मैं सरकार से मांग करता हूं कि आप सूरजापुरी मुसलमान को अत्यंत

पिछड़ा वर्ग में देने की कृपा करें। सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि...

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : अब आप अपनी बात को समाप्त करें।

श्री इजहारूल हुसैन : सभापति महोदय, मैं आपसे एक मिनट का समय चाहता हूं। महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हमारे जो नियोजित शिक्षक हैं वे काफी परेशान हैं।

इनलोगों की दक्षता परीक्षा न लेकर डायरेक्ट राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाय।

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : माननीय सदस्य, श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी जी। अपना पक्ष रखेंगे।

श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी : सभापति महोदय, हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं अपने नेता श्री जीतन राम मांझी जी को और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं अपने क्षेत्र सिकंदरा विधान सभा की उस महान जनता को जिन्होंने मुझे चुनकर भेजने का काम किया है। बिहार सरकार का जो बजट आया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। बिहार सरकार की जो भी स्थिति है, उसमें उन्होंने जितने काम किया है वह सभी काम काबिले-तारीफ है।

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : माननीय सदस्य, आपका समय मात्र 3 मिनट है।

श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी : सभापति महोदय, चाहे वह पथ निर्माण के संबंध में हो, कृषि का मामला हो, भू राजस्व एवं भूमि सुधार के संबंध में हो, पर्यटन का मामला हो या लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण के साथ कई विभागों का जो बजट है, हम उसका तहेदिल से स्वागत करते हैं। महोदय, बिहार सरकार ने भूमि के संबंध में जो काम किया है, दाखिल-खारिज या अन्य जो भी बातें हैं उन्हें ऑनलाइन करके पारदर्शिता लाने का काम किया है वह भी बहुत अच्छा हुआ है। सरकार ने रैन-बसेरा के तहत जितने परिवारों का सर्वेक्षण किया है वह लगभग 1 लाख 8 हजार 338 भूमिहीन, जिनका आवास बनाने के लिए घर नहीं है, उसका सर्वेक्षण कर लगभग 5 हजार 435 बास भूमिहीन लोगों को आवास देने का काम किया है, हम उसके लिए उनका खैर मकदम करते हैं और सरकार से यह कहते हैं कि अगर उन लोगों को जमीन दी गई है तो उस जमीन पर कब्जा भी सरकार दिलाने का काम करे। मेरा सुझाव है कि इसके लिए एक कोषांग गठित कर....

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : अब आप अपनी बात को थोड़ा संक्षिप्त में कन्कलूड करें।

श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी : महोदय, प्रत्येक अंचल और अनुमंडल में कार्यकलापों की मासिक रूप से विस्तृत रूप से समीक्षा की जाय। हम कहना चाहेंगे कि हम उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र से आते हैं हमें आपकी संरक्षण की आवश्यकता है। हम कहेंगे, जब हम उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र से आते हैं वह क्षेत्र अति पिछड़ा है, पहाड़ों से घिरा हुआ

है, बगैर सिंचाई के भूमि बंजर है, आज कृषि विभाग का बजट है उसमें हम अपने क्षेत्र के संबंध में मांग करेंगे कि अगर कदहर नहर को निश्चित रूप से सुचारू कर दिया जाय तो निश्चित रूप से वहाँ पर उग्रवाद कम होगा और हम मांग करेंगे अपर क्यूल परियोजना की, जो मुख्य नहर उसका है जो गलत तरीके से बनाया गया है, अगर उसे सुधार कर पूरा बनाया जाय ।

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : माननीय सदस्य, अब आप अपनी बात को समाप्त करें ।

श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी : सभापति महोदय, हम एक मिनट आपसे और चाहेंगे, एक योजना का और नाम लेंगे और कहेंगे कि गढ़ी डैम है, गढ़ी डैम के जीरो चैन से अगर एक नहर निकाल दिया जाय तो आठ पंचायत के गरीब....

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : माननीय सदस्य, श्री सूर्यकांत पासवान जी ।

श्री सूर्यकान्त पासवान : सभापति महोदय, मैं पथ निर्माण विभाग और जल संसाधन विभाग के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, संयोग है कि आज दोनों विभाग एक साथ है । महोदय, बेगूसराय जिला के बखरी विधान सभा क्षेत्र के डंडारी प्रखंड जो परिहारा बलिया पथ से....

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : माननीय सदस्य, आपका समय मात्र 2 मिनट है ।

श्री सूर्यकान्त पासवान : महोदय, नामकरण है और कई बार सदन में भी सवाल उठाया गया, माननीय मंत्री महोदय से भी मिलने का काम किया लेकिन महोदय, वह रोड आज भी जर्जर है, पैदल चलने लायक नहीं है ।

क्रमशः:

टर्न-23/यानपति/22.02.2024

श्री सूर्यकान्त पासवान (क्रमशः) : महोदय, मैंने वीडियो भी माननीय मंत्री महोदय को दिखाया लेकिन वह रोड आजतक नहीं बना है । महोदय, आज सितरी से लेकर के पसराहा, महेश्वरा, कमलपुर, सिसौनी, समसा होते हुए फवारा तक जो बूढ़ी गंडक बांध है उसपर हम सरकार से मांग करते हैं, पिछले बजट में भी आया था कि इसका पक्कीकरण हो जिससे बांध भी मजबूत होगा और रोड भी होगा और उसी तरह महोदय डंडारी प्रखंड से लेकर के तेतरी चक्की सिवान होते हुए हल्दिया तक खगड़िया सिवान तक वह बांध पर ही रोड बने इसकी मांग हम सरकार से करते हैं । महोदय, चर्चा तो जोरों से हो रही है । माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का लेकिन इन्हीं के शासनकाल में खगड़िया का जो फोरलेन पुल बन रहा था वह गंगा में समाहित हो गया, इसकी भी चर्चा उनको करनी चाहिए । महोदय, खगड़िया जिला के आहोघाट में पुल बन रहा था वह पुल भी गंडक नदी

में समाहित हो गया । इन्हीं लोगों के शासनकाल में, उसकी जांच हुई लेकिन उसकी कोई रिपोर्ट अभीतक नहीं हुआ । महोदय, जल-नल की बात कीजिएगा.....

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री सूर्यकान्त पासवान : महोदय, एक मिनट संरक्षण चाहिए महोदय, जल-नल आज पूरे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी की एक प्रमुख योजना थी लेकिन तमाम माननीय सदस्यों से हम आग्रह करना चाहते हैं कि क्या सच है कि जल-नल जो हमारी योजना है वह बिहार के धरातल पर आज चालू है या नहीं है । आज पूरे पंचायत के अंदर रोड को तोड़ दिया गया जल-नल को बिछाने के लिए आज उसको भरा नहीं जा रहा है.....

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : अब आप समाप्त करें ।

श्री सूर्यकान्त पासवान : आज टंकी गंदा है, महोदय, उसकी सफाई नहीं हो रही है, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान साहब अपनी बात रखेंगे । आपका मात्र एक मिनट है ।

श्री अखतरूल ईमान : मान्यवर, मेरे पास समय कम है । महोदय, आपकी विशेष कृपा भी मेरे, मैं आपके सामने में हूँ । आर०सी०डी० की सड़क हमारे यहां नहीं के बराबर है, मात्र 41 कि०मी० और एम०डी०आर० में एक भी रोड नहीं है । मेरा मुतालबा है कि खारी से अनगर और टियरपारा से गिरिया को पी०डब्ल०डी० में, आर०सी०डी० में लिया जाय । सर, लेबर के मुतल्लिक एक बात कहूँगा कि बेरोजगारी की वजह से जो माइग्रेट लेबर्स हैं वह सिर्फ अपनी बूढ़ी मां, अपने बच्चे के लिए कमाने नहीं जाते हैं बल्कि वह बिहार के लिए कमाने जाते हैं । मैं पिछले मंत्री महोदय को साधुवाद दूँ, लेबर मिनिस्टर को कि उन्होंने विदेश से मजदूरों को लाने का उपाय तो कर दिया लेकिन बिहार के दूसरे, मुंबई में मरता है, बैंगलोर में मरता है मजदूर उस वक्त बिलखते हैं उनके परिवार के बच्चे और उसकी लाश भी घर नहीं आ पाती है तो जिनके लिए कमाने गए वह तो रो रहे हैं लेकिन बिहार सरकार के लिए वह कमाने गया और बिहार सरकार उसकी लाश को न ला दे । महोदय, मेरा इलाका है, मैं क्या बताऊँ आपको 15 दिन की दुल्हन मेहंदी का रंग फीका नहीं हुआ है रोजगार के खातिर, बूढ़े बाप को बिस्तर में छोड़कर दिल्ली और पंजाब जाता है वह मजदूर वहां मर जाता है और संवेदनहीनता हमारी इस कदर है कि हम चंदा लेकर उसको वहीं जला दें, वहीं दफना दें और घर में उनकी बीवी उनके अंतिम रूप को न देख पाये, उनके बच्चे न देख पायें, सरकार को जरा इस तरफ ध्यान देना चाहिए और उनके वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए । लेबर की हालत ग्राम कचहरी

सचिव की और बिजली के मानव बल की और दफेदार, चौकोदारों का मसला पिछले दिनों से है। लेबर एक्ट के मुताबिक जो लेबर को मजदूरी मिलती है वह भी इनको नहीं मिल पा रही है वह उनको दिलवाया जाय। भूमि सुधार एक बड़ा मसला है, बिहार में खाना जंगी है, अमीन नहीं है जमीन की मापी होनी है, जमीन खरीदा है मोटेशन होना है। मोटेशन अगर आप सही समय पर खबर नहीं दिये एल0आर0टी0सी0 के यहां जाना है इससे काफी उगाही हो रही है। माननीय पिछले मंत्री जो हमारे रूरल मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि एल0आर0टी0सी0 के यहां चला जायेगा मामला साफ हो जायेगा। वहां वकील करना पड़ता है, आवेदन देना पड़ता है, 25 कि0मी0 दूर जाना पड़ता है और वहां 10 से 20 हजार रुपये खर्च हो जाते हैं। तब एक आदमी वह तय कर लेता है कि 10 हजार देकर कर्मचारी को.....

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : अब आप समाप्त करें।

श्री अखतरुल ईमान : महोदय, मैं दर्द की बात, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं दो बात रख लेने दीजिए, इसपर जरा तवज्जो दिया जाय फर्टिलाइजर किसानों को सही वक्त पर नहीं मिल पाता, डी0ए0पी0 और यूरिया की काइसिस हमारे इलाके में रहती है और उनको जो रेट प्वाइंट है वहां से उठाकर लाना पड़ता है। 20 रुपये ज्यादा लेता है तो उसकी इंक्वायरी होती है, सर, इस तरफ तवज्जो दिलवाया जाय। क्रेडिट कार्ड हमारे यहां लोगों को नहीं के बराबर मिला हुआ है, माइनोरिटी की एक ऑफिसर हैं मिसेज कहकसा जो सरकार का अभी जो लेटर निकला है 201428892889, 16.02.24 को वह पहले कार्यपालक पदाधिकारी थीं और अभी वरीय उपसमाहर्ता थीं वैशाली में उनको कार्यपालक पदाधिकारी बनाया गया अजीमाबाद अंचल नगर निगम में उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, कई लोग मेरे पास आए थे सबेरे जरा उसकी तरफ सरकार का तवज्जो दिलवा दिया जाय.....

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री अखतरुल ईमान : मेरी इसमें अंतिम गुजारिश होगी कि जब अमीर के बच्चे मिठाई खाते हैं, गरीब का भूखा बच्चा तरसते हुए देखता है। जब लोग यहां कहते हैं कि 6 घंटे में पटना पहुंचते हैं तो मैं रोता हूं कि आज भी मैं अपने विधान सभा क्षेत्र में तीन घंटे में जिला मुख्यालय नहीं पहुंच पाता हूं। 5 कि0मी0 की दूरी 50 कि0मी0 में तय करनी पड़ती है, हमारे यहां पूरे सीमांचल में, अभी हमारे साथी कह रहे थे...

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : अब आप समाप्त करें।

श्री अखतरुल ईमान : महोदय, कनकई में, महानंदा में, मेहसी में पांच-पांच कि0मी0 पर पुल बनाया जाय, यह अंतिम हमारी गुजारिश थी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : माननीय सदस्य श्री अनिल कुमार अपना पक्ष रखेंगे । आपका समय 10 मिनट ।

श्री अनिल कुमार : माननीय सभापति महोदय, आज सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है । महोदय, मैं सीतामढ़ी जिला के बाथनाहा विधान सभा का प्रतिनिधित्व करता हूं । मैं उस बाथनाहा विधान सभा की जनता का भी बहुत-बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे विधान सभा भेजने का काम किया । मैं अपने शीर्ष नेतृत्व और अपने प्रदेश नेतृत्व का भी बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं, अपने माननीय जनक सिंह जी का जो सचेतक हैं उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूं । इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों, पिछड़ों, दलितों की आवाज रहे गुदरी के लाल श्रद्धेय कपूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम किया मैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूं और उनके लिए मैं चंद पंक्ति के माध्यम से अपनी बातों की शुरुआत करूंगा महोदय कि

“उबलते हुए खून की रबानी है मोदी,
इस देश के युवा की जवानी है मोदी,
जो सोए हुए थे अबतक हिंदुस्तानी,
उनके जाग उठने की कहानी है मोदी ।”

महोदय, ये लोग बात कर रहे थे दलितों की अभी दो तीन दिन पहले यहां भाई रत्नेश सदा बैठे हुए हैं और आज भी इन्होंने हमारे फते बहादुर सिंह जी भी यहां पर थे । उन्होंने दलितों की बात करने का ये लोग काम कर रहे थे.....

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

ये देशविरोधी ताकतें यह भ्रम फैलाने का काम करती हैं कि संविधान खतरे में है, शायद उनको पता नहीं है कि वे स्वयं खतरे में हैं, उनकी पार्टी खतरे में है और एक बात मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि जब इनकी सरकार थी तब शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हुआ करते थे, डॉ० चंद्रशेखर जी, उन्होंने शिक्षा पर कम काम किया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम उन्होंने ज्यादा किया । आपको अगर दलित की चिंता उतनी ही थी तो शिक्षा में आप सुधार करके दलितों का कल्याण कर सकते थे । महोदय, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि देश जो है विकास की बात कर रहा है, समाज आगे बढ़ रहा है और इनकी तुष्टीकरण की राजनीति जो है वह खतरे में है और यह कहते हैं कि संविधान खतरे में है । महोदय,

दलितों की बात करते हैं ये, हम जानना चाहते हैं, बिहार का दलित समाज जानना चाहता है कि आजतक के इतिहास में ये लोग कितने दलितों को राज्यसभा और विधान परिषद् में भेजने का काम किये, यह जरा ये बताने का काम करें महोदय । आज पथ निर्माण पर सरकार के पक्ष में हम बोलने के लिए खड़े हुए हैं महोदय । आज जिस तरीके से 90 के दशक को हम सभी ने देखा है उस समय सड़क में गड्ढे थे और गड्ढे में सड़क हुआ करती थी और उस समय का जो शासनकाल था उस समय में सड़कों का कोई विकास नहीं हुआ करता था । मैं सीतामढ़ी जिला मां जानकी की धरती से आता हूं । सीतामढ़ी से पटना आने में पूरा दिन बीत जाता था, उस दिन हम लौट नहीं पाते थे और अगले दिन का इंतजार करना पड़ता था लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का चहुमुखी विकास संभव हो पाया है, एक-एक सड़कों का निर्माण हो पाया है, एन0एच0 का निर्माण हो पाया है और आज हम जिस दिन पटना के लिए आते हैं इस प्रदेश के किसी भी क्षेत्र से हम आते हैं उसी दिन हम वापस लौट जाते हैं अपने काम को कराकर के, यह विकास बिहार का हुआ है महोदय । यह हम आपसे कहना चाहते हैं महोदय । उसके बाद महोदय, दो दिन पहले अभी विपक्ष के माननीय सदस्य रत्नेश सदा जी भी यह कह रहे थे हम उस 90 के दशक को याद करना चाहते हैं कि अनुसूचित जाति के लोगों को प्रताड़ित करने का काम उस समय किया जाता था ।

(क्रमशः)

टर्न-24/अंजली/22.02.2024

श्री अनिल कुमार (क्रमशः) : जंगलराज की विभीषिका ने समाज के पिछडे, दलितों को पीछे की ओर धकेलने का काम किया । एन0डी0ए0 की सरकार जब 2005 में बनी तब से लेकर माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में दलितों के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दलितों, पिछड़ों के लिए विश्वकर्मा योजना से स्वावलंबित किया जा रहा है । आज यह दलितों की बात करते हैं, महोदय, टोला सेवक और विकास मित्र को नौकरी देकर के अभी 25 हजार रुपये उनका वेतन करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस दलित समाज के कल्याण की बात की है हम उनको धन्यवाद प्रकट करते हैं । महोदय, दलित और महादलित समाज में जो करीब 8405 पंचायतों में जितने भी दलित और महादलित समाज के लोग हैं उनको यह मौका मिला है और उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग रविदास समाज से आते हैं, हमारे लिए यह गौरव की बात है कि हम भी रविदास समाज से आते हैं । महोदय, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में और इस

प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एस0सी0/एस0टी0 को 20 प्रतिशत आरक्षण देकर एन0डी0ए0 ने इतिहास रचने का काम किया है। महोदय, वर्ष 2005 में...

(व्यवधान)

अभी और सुना रहे हैं, सुनिये। महोदय, 2005 में बिहार का कुल बजट 23,800 करोड़ ही था परंतु आज 2024 में सिर्फ शिक्षा का ही बजट 52639 करोड़ से ऊपर हो गया है। हमारे देश की, हमारे इस प्रदेश की 2 लाख, 3 लाख के करीब टोटल बजट हो गया है, एक आमूलचूल परिवर्तन 2005 के बाद हुआ और जब से एन0डी0ए0 की सरकार आई, तब से बिहार के विकास के लिए चाहे वह किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी विकास का हो बिहार का विकास संभव हो पाया है। महोदय, भारत रत्न डॉ बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर, श्रद्धेय पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी, श्रद्धेय डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का एक ही सपना था, समाज के अंतिम पंक्ति में शामिल लोगों को एकांत मानववाद के उस संकल्प को साकार करने का जिसको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने आगे बढ़ाने का काम किया और उस अंतिम पंक्ति में दबे-कुचले लोगों को, पिछड़ों को, दलितों को आगे बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। महोदय, उस समय की स्थिति क्या थी, जब यू0पी0ए0 की सरकार थी उस समय में चरवाहा विद्यालय हुआ करता था, उस समय में इनको क्यों याद नहीं आया, दलितों की स्थिति की याद उनको क्यों नहीं आई, आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से गांव-गांव में प्राथमिक विद्यालय खुल चुका है, स्कूलों की स्थिति बेहतर हुई है, आज वही गरीब परिवार के बच्चे, दलित परिवार के बच्चे उस स्कूल में जाकर के डॉक्टर, इंजीनियर और आई0ए0एस0 बनकर इस देश का नाम रौशन कर रहे हैं, इस बिहार का नाम रौशन कर रहे हैं, यह हम आपसे कहना चाहते हैं। महोदय, कोरोना काल के समय में उस विभीषिका को हमलोगों ने देखा है जब पूरा विश्व धराशायी हो गया था। यू0पी0ए0 की सरकार भी हुआ करती थी, एक छोटा सा टीका लगाने के लिए भी पैसे देने पड़ते थे लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने हिम्मत नहीं हारी और सिर्फ अपने ही देश में नहीं पूरे विश्व के कई देशों में फ्री में वैक्सिनेट कराने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

अध्यक्ष : अब कंक्लूड कीजिए।

श्री अनिल कुमार : महोदय, पूरे भारत को बचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री...

अध्यक्ष : अब कंक्लूड कीजिए। सरकार का उत्तर होगा, कंक्लूड कीजिए।

श्री अनिल कुमार : महोदय, आपका संरक्षण, बस एक मिनट में हम अपनी बात को खत्म करेंगे। महोदय, उस समय में 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब-गुरुबा का कल्याण किया है। महोदय, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन आपने समय का लिमिटेशन बांध दिया है तो अपनी बातों को हम खत्म करना चाहते हैं। महोदय, दलितों, गरीबों, वंचितों में अगर किसी ने काम किया तो एन0डी0ए0 की सरकार ने किया है। महोदय, आज डॉ० बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर छात्रावास बनकर हर जिले में तैयार हो गया है। ये लोग दलितों की बात करते हैं, बार-बार जो है तुष्टिकरण की राजनीति को बढ़ावा देने का काम करते हैं, आज प्रत्येक जिले में बड़े से बड़ा भवन जो है अम्बेदकर छात्रावास बनकर तैयार है, जहां से अनुसूचित जाति के बच्चे पढ़कर के आज आई०ए०एस० की नौकरी क्वालिफाई करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर और दरोगा बनने का काम करते हैं यह परिवर्तन आया है एन0डी0ए0 की सरकार में। महोदय, इस प्रदेश में, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को भी आगे बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने...

अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए अनिल जी।

श्री अनिल कुमार : महोदय, एक मिनट में हम अपनी बात को, महोदय, बाबा साहब अम्बेदकर जी के सम्मान में जब यू०पी०ए० की सरकार थी, जब बाबा साहब अम्बेदकर चुनाव लड़ना चाह रहे थे तो इन लोगों ने घड़यंत्र करके बाबा साहब को भी लोकसभा में भेजने से वंचित कर दिया था, यह शर्म की बात है, ये लोग आज बाबा साहब की बात करते हैं। बाबा साहब अम्बेदकर के सम्मान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंचतीर्थ का निर्माण किया। अभी कुछ दिन पहले ही संत शिरोमणि भगवान रविदास जी का भी अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्यप्रदेश में लाखों-करोड़ों की लागत से, सैकड़ों-करोड़ों की लागत से उनका मंदिर बनवाया है। महोदय, चंद शब्दों में मैं एक पंक्ति के माध्यम से अपनी बात को खत्म करूँगा।

अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, अनिल जी।

श्री अनिल कुमार : महोदय, एक पंक्ति के माध्यम से मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। महोदय, कुछ अपने क्षेत्र की भी बात हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं। महोदय, अपने क्षेत्र में हमारे मेजरगंज प्रखंड के बसबिट्टा पंचायत के रसलपुर में बागमती नदी है उस पर बांध बनवाया जाय। रीगा चीनी मिल जल्द से जल्द चालू हो और सीतामढ़ी से मेजरगंज जाने वाली जो सड़क है उसका चौड़ीकरण कराया जाय।

एक छोटी सी पंक्ति के माध्यम से हम अपनी बात को समाप्त करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में हम यह कहना चाहते हैं कि -

“बड़ी-बड़ी ताकतें लगी हैं तुम्हें हराने के लिए,

तुम लगे हो देश को सजाने के लिए,

विकास के बाजार में नफरत के बीज कोई कितना भी बो ले,

हम तेरे साथ हैं संपूर्ण भारतवर्ष तेरे साथ है देश बढ़ाने के लिए ।”

बहुत-बहुत धन्यवाद महोदय । बहुत-बहुत आभार महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर होगा । माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

(व्यवधान)

सरकार का उत्तर

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र के, इस राज्य के सबसे बड़े मंदिर में आज पथ निर्माण विभाग के बजट चर्चा में भाग लेने वाले माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा जी, श्री केदार प्रसाद गुप्ता जी, श्री फते बहादुर सिंह जी, श्रीमती शालिनी मिश्रा जी, श्री मो० अनजार नईमी, श्री संजय कुमार सिंह जी, श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता जी, श्री मिथिलेश कुमार, श्री चंद्रहास चौपाल, श्री राम विलास कामत, मोहम्मद इजहारूल हुसैन, श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी जी, श्री सुर्यकांत पासवान और श्री अखतरूल ईमान जी, मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं सरकार उनके सुझावों को ध्यान में रखकर नीति निर्धारण में इसका उपयोग भी करेगी और जो आपने सुझाव दिया है उस पर विचार भी करेगी । माननीय महोदय, सर्वप्रथम मैं अपने शीर्षस्थ नेतृत्व देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जे०पी० नड़ा साहब और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी मिलकर के एन०डी०ए० सरकार के जनादेश का सम्मान करते हुए, एन०डी०ए० की फिर से सरकार बिहार में लाकर अराजकता के वातावरण को दूर किये हैं, मैं इनके प्रति हृदय से आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं । महोदय, मैं तो अपेक्षा रखता था कि कल तक हम वहां बैठे थे नेता प्रतिपक्ष के रूप में, आज नेता प्रतिपक्ष रहते, वे पथ निर्माण मंत्री पहले भी रहे हैं और उनका अनुभव भी शेयर होता तो सदन में उसका लाभ मिलता । महोदय, चलते सदन में, सदन से बाहर रहना कहीं न कहीं संवैधानिक पद की गरिमा के प्रति अपनी जिम्मेवारी को समझने की जरूरत है । महोदय, मैं तो हर संवैधानिक पद का सम्मान करता हूं और सभी माननीय सदस्यों का पक्ष हो या विपक्ष एक-एक सदस्य जनता के विश्वास को जीतकर आते हैं और

जनता के विश्वास पर ये खरा उतरें यह भी हमारी चाहत रहती है और महोदय, इज्जत पर कोई डिस्काउंट नहीं होता है, जब मिलती है तो पूरी मिलती है और जब जाती है तो पूरी जाती है क्योंकि-

“तूफान में कश्तियां और अभिमान में हस्तियां ढूब जाती हैं।”

इस स्थिति से बचना चाहिए सभी माननीय सदस्यों को । मैं कहना चाहूँगा कि समय बदलते रहता है-

“अंत का भी अंत होता है,
कुछ भी कहां अनंत होता है,
पतझड़ भी एक घटना है,
बारह महीने कहां बसंत होता है ।” (क्रमशः)

टर्न-25/आजाद/22.02.2024

..... क्रमशः

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : इसलिए सबको मिलकर के बिहार के विकास की चिन्ता में सकारात्मक वातावरण में कदम बढ़ाना चाहिए । माननीय अध्यक्ष महोदय, अच्छे सड़क का होना विकास की बुनियादी मानक माना जाता है । समय और ऊर्जा के समुचित प्रबंधन के जरिए अच्छी सड़कें विकास की गति में गुणात्मक परिवर्तन लाती है । इसी सोच और विश्वास के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली राज्य की हमारी डबल ईंजन की सरकार लगातार काम कर रही है । महोदय, यह सही समय है विकास की गति को आगे बढ़ाने का । जब डबल ईंजन की सरकार है और जब-जब डबल ईंजन की सरकार रही है, मैं बताना चाहूँगा कि 2005 में जहां राज्य के राष्ट्रीय उच्च पथ की लम्बाई 1977 कि0मी0 थी, मात्र 1977 कि0मी0 और आज इसका विस्तार होकर के महोदय 6140 कि0मी0 तक पहुँच गयी है, यह डबल ईंजन सरकार की देन है । सिक्स लेन की 198 कि0मी0 की सड़क, फोर लेन की 1217 कि0मी0 और टू लेन की 3550 कि0मी0 की सड़कें आज शामिल है । महोदय, 2005 में राज्य उच्च पथ का विस्तार जहां महज 52 कि0मी0 तक ही सीमित था, आज वही उसका विस्तार 3638 कि0मी0 तक हो चुका है । 2005 में जहां इन्टरमिडिएट लेन या उससे अधिक चौड़ी वृहत जिला पथों की कुल लम्बाई लगभग 1200 कि0मी0 थी, वही आज उसका विस्तार 16181 कि0मी0 तक हो चुका है । महोदय, यह परिवर्तन स्पष्ट झलकती है और बाहर के लोग भी आते हैं तो कहता है कि बिहार बदला है । महोदय, इस सदन के माध्यम से आज मैं राज्य के लोगों को विशेष रूप से बताना

चाहता हूँ कि जिस बिहार की जनता ने विश्वास व्यक्त करके इस सदन में आने का अवसर दिया और हमेशा स्नेह दिया है। ओ०पी०आर०एम०सी०, आऊटपुट एंड परफॉरमेंस बेस्ड रोड एसेट मेनटेनेन्स कॉन्ट्रैक्ट के तहत 13064 कि०मी० रियल टाईम अनुश्रवण के लिए मुख्यालय के लिए कंट्रोल एंड कमान सेंटर की स्थापना की गई। मैं तो इस विभाग के अन्दर गया महोदय और मैं पदाधिकारी और प्रधान सचिव और सभी उनके सहयोगियों को धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने यह कंट्रोल एंड कमान सेंटर की स्थापना करके बिहार के अन्दर संवेदक और पदाधिकारी पर भी लगाम लगाने का एक नई तकनीक विकसित किया है। जिसको हमने महोदय, कल ही खनन विभाग के अन्दर समीक्षा कर रहे थे और हमने कहा कि यहां भी आप इसको लागू करो ताकि किसी भी घाट का एकटीविटी ओवरलोडिंग और अवैध खनन का भी मुख्यालय से बैठ करके कमार्डिंग हो सके, यह वातावरण हमलोग बनायेंगे, क्योंकि नियत साफ है महोदय, इसलिए नीति सफल होती है। महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि पथ संधारण कार्य को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इन्टेलीजेंस एवं मशीन लैंग्वेज तकनीक का प्रयोग शुरू किया गया है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। महोदय, हमारे इस आधुनिक पहल से प्रभावित होकर उड़िसा और छत्तीसगढ़ के पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर तथा कोल इंडिया लिमिटेड के सिनियर इंजीनियरों का दल इस कंट्रोल एंड कमान सेंटर का भ्रमण के लिए आया था। महोदय, उस समय हमारे भाजपा के मंत्री माननीय नितिन नवीन जी थे, उनकी अच्छी शोच थी महोदय, यह उपलब्धि एन०डी०ए० सरकार के भाजपा के माननीय विधायक के समय में हुआ। यह उपलब्धि 17 महीनों के वंशवादी का नहीं है, बल्कि यह एन०डी०ए० के डबल ईंजन की सरकार की सुशासन की देन है। पुलों के मेनटेनेन्स से जुड़े मैनेजमेंट गाईडलाईन तैयार कर हमने पुलों के रख-रखाव में एक नई पहल की है। इसके जरिए सभी पुलों का हेल्थ कार्ड जैसा डाटाबेस तैयार होगा तथा इसके आधार पर इन पुलों का मेनटेनेन्स और मैनेजमेंट समुचित रूप से हो पायेगा ताकि आगे से आगुवानी-सुल्तानपुर पुल गिरने जैसी घटनायें दोबारा न घट सके। आपके मन के अन्दर जो भाव कई माननीय सदस्यों ने प्रकट किया है कि आज कहीं न कहीं हमारी गलत नीति के कारण, नीयत के कारण, व्यवस्था के कारण कोई कमी रह गई तो मैं दोषारोपण से ज्यादा सुधार की वृत्ति और प्रवृत्ति को स्थापित करना चाहता हूँ ताकि भविष्य में वैसी घटनायें घटित नहीं हो सके और यह भाव रखना चाहिए महोदय क्योंकि बिहार को आगे बढ़ाना है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं श्रद्धेय अटल जी के एन०डी०ए० की सरकार भूतल परिवहन

मंत्री रह चुके हैं। इसलिए बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में जब इन्होंने जिम्मेदारी संभाली तो इस राज्य में पथ निर्माण से जुड़े कार्यों में विशेष रूचि ली महोदय और माननीय अध्यक्ष महोदय, पथ निर्माण मंत्री के रूप में आप भी स्वयं इस विकास रथ के सारथी रहे हैं। आपके नेतृत्व में बिहार के बदलते स्वरूप को और ठहरी गति को बढ़ाने का एक अवसर मिला था। आपके बाद नितिन नवीन जी भी विकास के कार्यों में कम समय में भी बेहतर करने का प्रयास किया। हमारे नेता प्रतिपक्ष भी आगे बढ़ाते महोदय लेकिन इतना लोड उनपर डाल दिया गया, 5 विभाग का बोझ, वे बेचारे सभी विभागों के बोझ को सहन नहीं कर पा रहे थे, जिससे कई घटनायें घटित होती चली गई और वे ईमानदारी से उसकी समीक्षा तक नहीं कर पाये।

श्री ललित कुमार यादव : आप कितने विभाग के मंत्री हैं, यह भी तो बताया जाय।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : बहुत जल्द आपको इसका जवाब मिल जायेगा इसी सदन में।

अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से इस सदन को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में जे०पी० गंगा पथ के निकट जे०पी० गंगा पथ समग्र उद्यान के रूप में हरित क्षेत्र विकसित करने हेतु हमलोग नई पहल करने जा रहे हैं। इस परियोजना के अन्तर्गत दीधा से गॉधी मैदान के बीच 7 कि०मी० की दूरी में जे०पी० गंगा पथ के दोनों ओर लगभग 50 हेक्टेयर जमीन के 90 प्रतिशत भाग में ग्रीन बेल्ट एक लाख पेड़ तथा 10 प्रतिशत भाग में मूलभूत सुविधाओं के साथ रिवर फंट, पार्क, वनस्पति उद्यान, फुड कोर्ट, साईकिल ट्रैक, पैदल पथ, पार्किंग जैसी सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है। महोदय, मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का यह सोच कि प्रकृति के निकट जाना, हमारे इस सदन के सदस्य ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे, वो भी जब उस किनारे में घुम रहे थे तो हमको लगा कि अपने बुजुर्ग अभिभावकों को स्वास्थ्य लाभ के लिए और बदलते बिहार के स्वरूप से मन में कितनी खुशी और आनंदित हो रहा होगा। माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी उसका आनन्द उठा रहे थे। यह अच्छी बात है कि हरेक अच्छे कार्यों का लुत्फ उठाना चाहिए लेकिन हमारी जिम्मेवारी है कि हम उसे संरक्षित करें, उत्साहित करें और उसे आगे बढ़ाये। हमने क्या किया था, इसपर भी विचार करें और अपने अनुभव को नये जेनरेशन को शेयर करें कि जो हम गलतियां कर चुके, वह गलतियां तुम न करो, यह बिहार हमारे नाम से अगर बिहारी शब्द जो कलंकित हुआ तो आगे बिहारी गौरवान्वित हो, वह काम करो, यह वातावरण बनाने की

जरूरत है। महोदय, आज यह बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री पैकेज के तहत लगभग 56 हजार करोड़ ₹ की लागत से स्वीकृत 75 परियोजनाओं में से 36 पूर्ण, 26 प्रगति में, 8 आवंटित एवं शेष विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन है। महोदय, मैं यह बताना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी बिहार आ रहे हैं और डबल ईंजन की सरकार की उपलब्धि और उपहार आपको देने जा रहे हैं। गंगा नदी पर जेठी सेतु के समानांतर

(व्यवधान)

टर्न-26/शंभु/22.02.24

अध्यक्ष : बैठे-बैठे मत बोलिये, बीच में मत बोलिये बैठिए।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, यह पहली बार हो रहा है। माननीय सदस्य सुनें हम कहना चाहेंगे कि आज बगल में उत्तर प्रदेश अब वहां 4 लेन की चर्चा नहीं हो रही, अब 6 लेन की चर्चा हो रही है और देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी जब बिहार में आयेंगे तो गंगा नदी पर जेठी सेतु के समानांतर 6 लेन के निर्माण की स्वीकृति ही नहीं हुई है उसका कार्य भी आगे बढ़ेगा। बक्सर में गंगा नदी पर पूर्व निर्मित पुल के समानांतर तीन नये लेन का निविदा प्रक्रिया, दानापुर बिहटा एलीवेटेड पथ का निर्माण कार्य आवंटित हो चुका है, मेहरौना सिवान पथ का निर्माण का शुरू हो चुका, वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेस का कार्य आवंटित है। गंडक नदी पर कोनवा घाट में 4 लेन पुल का कार्य आवंटित। महोदय, पटना रिंग रोड के मार्ग रेखन पर गंगा नदी पर शेरपुर दिघवारा के बीच 6 लेन सेतु निर्माण प्रारंभ हो गया है। महोदय, भेजा बकौर के नजदीक कोशी नदी पर पुल का निर्माण चल रहा है। महात्मा गांधी सेतु के समानांतर 4 लेन का निर्माण भी चल रहा है, विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन का निर्माण चल रहा है, कटिहार जिला अन्तर्गत मनिहारी साहेबगंज के नजदीक गंगा नदी पर पुल का निर्माण चल रहा है, औंटा सिमरिया के बीच गंगा नदी पर राजेन्द्र सेतु के समानांतर 6 लेन पुल बन रहा है— शायद सिमरिया इन लोगों को याद है या नहीं है जहां कल्पवास होता है, जहां बिहार का महाकुंभ लगा है और उस महाकुंभ में भी उत्तर बिहार के कई लोग आनंद भी उठाते हैं। उसको एक पर्यटक स्थल के साथ-साथ विकसित वातावरण से जोड़ा जा रहा है। कोशी नदी पर एन०एच०-१०६ फुलौत घाट पर 4 लेन का निर्माण हो रहा है। गंगा नदी पर मटिहानी साम्हो के बीच नये पुल के लिए भूमि अर्जन हो रहा है, गंडक नदी पर पिपरा घाट के बीच 4 लेन भूअर्जन की प्रक्रिया में है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति बनाये रखिये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा,उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं बताना चाहता हूँ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राज्य भर में 41 हजार करोड़ की लागत से राष्ट्रीय उच्च पथों का निर्माण कराया जा रहा है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठिए-बैठिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा,उप मुख्यमंत्री : माननीय सदस्य मैं कहना चाहूँगा कि- लोग रह गये इतराते अपनी चालाकियों में, लोग रह गये इतराते अपनी चालाकियों में, समझ ही नहीं पाये कि वे क्या गंवा बैठे हैं, समझ ही नहीं पाये कि वे क्या गंवा बैठे हैं, जिंदगी के खेल में सफल तो हो नहीं सके, चले थे खेला करने खेल हो गया । आज 41 हजार करोड़ की लागत से राष्ट्रीय उच्च पथों का निर्माण कराया जा रहा है ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यों ने सदन से वाकआउट किया।)

बिहार स्टेट हाइवे प्रोजेक्ट 3 के फेज 2 के अन्तर्गत 6 राज्य उच्च पथों एस0एच0-95, 98, 99, 101, 103 तथा 105 के कुल लगभग 267 किमी0 का 2680 करोड़ रूपये लगभग की लागत से टू लेन में चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण कार्य प्रगति पर है । महोदय, बिहार स्टेट हाइवे प्रोजेक्ट-4 के अन्तर्गत 5153.11 करोड़ की अनुमानित लागत से 9 पथों एवं उच्च स्तरीय पुल के निर्माण की स्वीकृति भी प्रक्रियाधीन है । महोदय, सात निश्चय पार्ट टू सुलभ संपर्कता के तहत कुल 31 बाइपास पथों का 606.51 करोड़ की लागत से निर्माण कराया जा रहा है । महोदय, इसके अतिरिक्त 5 बाइपास की कुल 127.73 करोड़ की लागत से स्वीकृति भी प्रक्रियाधीन है । महोदय, नाबार्ड ऋण योजना के तहत 968.7 करोड़ की लागत से कुल 42 जिसमें 16 पथ एवं 26 पुल के योजनाओं की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है । केन्द्र सड़क अवसंरचना निधि के तहत राज्य के आर0ओ0बी0 हेतु 669.29 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है । महोदय, वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र पथ विकास योजना के अन्तर्गत कुल 153 पथ जिसकी कुल लंबाई 1980.84 किमी0 होगी एवं 82 पुलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसकी कुल लागत 3181.1 करोड़ रूपये होगी । महोदय, बिहार में दहशत था, बिहार में उग्रवाद का जो वातावरण बना था क्योंकि विकास नहीं हुआ था विकास नहीं होने के कारण अपराध और कहा भी गया है- जब तक मनुज-मनुज का सुखभाग न सम होगा, खत्म न होगा कोलाहल संघर्ष न कम होगा और उस कोलाहल और संघर्ष को अगर किसी ने खत्म किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी और बिहार के

मुख्यमंत्री ने मिलकर के उस उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में जो सड़क का जाल बिछाया, विकास की गति को बढ़ाया, नौजवानों को विकास के मूलभूत सुविधाओं से जोड़कर के आज के सभ्य नागरिक के रूप में विकसित भारत और विकसित बिहार के साथ जोड़ा है। महोदय, आज बिहार में उग्रवाद लगभग समाप्त है। अब इस समाप्त उग्रवाद में कुछ लोगों को बड़ा दुख हो रहा है क्योंकि जिन लोगों ने जंगलराज का वातावरण बनाया था, जिन लोगों ने गरीबों का मसीहा बनकर के छद्म रूप में यहाँ के नौजवानों के हाथ में जिस तरह से माहौल खराब करने का अराजकता का वातावरण बनाया। देश के श्रद्धेय उस समय के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने ये जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनकी सरकार में मंत्री थे कहा था कि जाकर बिहार में सुशासन स्थापित करिये, बिहार के अंदर विकास की गति को बढ़ाइये, बिहार के अंदर एक नये वातावरण का सृजन कीजिए। बिहार की जनता जो जातीय लहर के कहर में ये बर्बाद कर रहा है उससे बचाकर के विकास की लहर लाइये और विकास की गति से सुशासन स्थापित करिये और इस सुशासन के कारण बिहार में बदलाव का वातावरण बना। महोदय, बिहार के अंदर भारत नेपाल सीमा परियोजना के अन्तर्गत कुल 1552.29 किमी⁰ के विरुद्ध 320.27 किमी⁰ पथ 119 उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो सात निश्चय पार्ट टू के तहत सुलभ संपर्कता बाइपास एलीवेटेड पथ का जो निर्माण किया जा रहा है। महोदय, राज्य में सुगम एवं निर्बाध आवागमन को सुनिश्चित करने हेतु सात निश्चय पार्ट टू सुलभ संपर्कता के तहत राज्य के सभी शहरों एवं सघन बसावटों से होकर गुजरनेवाले मार्गों में आवश्यकतानुसार बाइपास पथ फ्लाइओवर के निर्माण योजना का कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2022 में कुल 8 बाइपास 143.16 करोड़ एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 12 बाइपास 412.98 करोड़ से योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गयी थी जो क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में पथ प्रमंडल शेरघाटी अन्तर्गत एस०एच०-६९ सुपटा से अहियापुर भाया लोदीपुर, नारायणबीघा, खैरा, पाण्डेयबीघा, चहतमावा पथ, मठ और टिकारी पथ के 12.40 किमी⁰ में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु 50.37 करोड़ की लागत से स्वीकृति प्रदान की गयी। इसके अतिरिक्त 5 बाइपास की कुल 127.73 करोड़ की लागत से स्वीकृति अंतिम चरण में है। महोदय, मैं अब सरकार द्वारा विभाग के कई इस तरह के कार्य किये गये हैं। मैं सरकार के द्वारा रिक्त पदों को भरने हेतु जो तत्परतापूर्वक कार्रवाई की जा रही है उसके संबंध में सदन को बताना

चाहूंगा । महोदय, विभाग में 28 सिविल सहायक अभियंताओं की नियुक्ति हेतु बी0पी0एस0सी0 से अनुशंसा प्राप्त हुआ, 576 सिविल कनीय अभियंता, 62 मेकेनिकल कनीय अभियंता एवं 10 इलेक्ट्रीकल कनीय अभियंता की नियुक्ति भी की जायेगी ।

क्रमशः

टर्न-27/पुलकित/22.02.2024

(क्रमशः)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं । बार-बार वे कहते हैं कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं । आजादी के 75 वर्ष कौन सत्ता में था, ज्यादा अवधि तक कौन रहे ? अवसर तो मिला था । यह लोकतंत्र की जननी की भूमि है और बिहार की जनता ने इनको इस धरती पर ईमानदारी के साथ काम करने का अवसर दिया था । कांग्रेस बहुत दिनों तक सत्ता में रही, राजद के लोग भी 15 साल तक सत्ता में रहे लेकिन विकास की गति क्यों ठहर गयी ? जब एन0डी0ए की सरकार आई और देश में हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हरेक गांव को जोड़ने का संकल्प लिया, हरके गांव तक पहुंच पथ बनाने का जब उन्होंने सपना दिखाया और उस सपने का साकार करने के लिए सबसे पहली शुरूआत और सबसे पहली प्राथमिकता बिहार को मिली ।

महोदय, सबसे ज्यादा प्रारंभिक दौर में बिहार का गांव पहुंच पथ से वर्चित था, महोदय, बिहार के लोगों का सपना था, दो ही सपना था । हर घर बिजली पहुंच जाए, हर घर तक सड़क आ जाए । लोग कहते थे इससे ज्यादा अभी हमको और कुछ नहीं चाहिए सिर्फ ये दो चीज चाहिए । महोदय, ये चीज किसने पहुंचायी ? एन0डी0ए0 की सरकार ने पहुंचायी है । महोदय, देश के प्रधानमंत्री जब नरेन्द्र मोदी जी बने तो इन्होंने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के उस सपने को मूर्त रूप पूर्णतः प्राप्त करवा दिये । आज कोई घर, कोई गांव बिजली से वर्चित नहीं है और बिहार के अंदर भी कोई गांव आज किसी न किसी एकल पथ से वर्चित नहीं है । यह एन0डी0ए0 की सरकार का, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच और विजन है।

महोदय, राजनीति में बहुत लोग आते हैं, रानी के पेट से राजा जरूर जन्म लेते थे लेकिन अब रानी के पेट से राजा जन्म नहीं लेंगे । जनता के विश्वास

पर जो ईमानदारी से सेवा के भाव से उतरेंगे वही जनता के विश्वास पर खरे उतरेंगे।

महोदय, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब आजादी का 75 वर्ष हम मना रहे थे तब इसी सदन के अंदर आप भी थे, सारे लोग इस सदन में गवाह थे, उसमें कहा था आजादी के 75 वर्ष अधिकार की लड़ाई में हमने बर्बाद कर दिया और बिहार तो सबसे ज्यादा बर्बाद हुआ था। जातीय वर्ग संघर्ष करवाया था, जातीय जहर की ऐसी लहर चलती थी, हर जात के लोग जो शांति से जीना चाहते थे, वे पलायन के लिए विवश हो जाते थे। हमारा नौजवान अपने भविष्य को लेकर इतना डरा हुआ था कि दूसरे राज्य में मजदूरी करने के लिए भी तैयार था लेकिन बिहार में रहने के लिए तैयार नहीं था। बिहार जब उससे मुक्त हुआ, आज जब हम आजादी के अमृत महोत्सव से बाहर निकलकर शताब्दी वर्ष की ओर कदम बढ़ा दिये हैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने उद्घाटन करते हुए इस शताब्दी स्मृति स्तंभ पर कहा था। महोदय, जब शताब्दी स्मृति स्तंभ के लिए हमारे संसदीय कार्य मंत्री, माननीय बिजेन्द्र बाबू, मुख्यमंत्री जी और भी कई लोग बैठे हैं, जब हमने इसकी चर्चा की थी तो उस समय हमने कहा था कि जो शताब्दी स्मृति स्तंभ पर पीपल का वृक्ष लगा है, जो सिम्बल है, यह सिम्बल कोई काल्पनिक नहीं है। लोकसभा की दिवारों पर बिहार के प्रतीक के रूप में लगा है। लोकसभा सेन्ट्रल हॉल में प्रतीक के रूप में लगा है और इसको बिहार के प्रतीक के रूप में भी माना गया था। थोड़ी सी कुछ अपभ्रंश हुई है उसको सुधारकर इसको हम प्रतीक के रूप में फिर से लाये। हमने यह आग्रह किया था और उसी का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया और उन्होंने कहा था कि यह वही बिहार है जो बिहार श्री बाबू का बिहार, जो लॉ एण्ड ऑर्डर में नंबर एक था, विकास की गति में नंबर एक था। यहां के लोगों की प्रतिभा के सम्मान में एक था। यह ठहर क्यों गया, रूक क्यों गया है क्योंकि महोदय जब गाड़ी डिरेल होती है, पटरी से उतरती है, पटरी पर लाने में समय लगता है और जिसके कारण वातावरण बनाने में भी समय लगता है। महोदय, यही सही समय है, यही समय है और नये उत्साह के साथ डबल इंजन की सरकार पूरे उत्साह, उमंग, ऊर्जा के साथ राज्य की 14 करोड़ जनता की सेवा के लिए दिन-रात तत्पर है लेकिन विगत 17 महीनों से पथ निर्माण की बागडोर एक ऐसी व्यक्ति के हाथों में थी, जिसे प्रदेश की नहीं बल्कि परिवार की परवाह थी। महोदय, जिसका लक्ष्य समाज में विकास लाना नहीं था बल्कि अपने पिता के साम्राज्य को विस्तार करना था। उन्हें विकास से मतलब नहीं था वे तो विभाग को व्यापार का केन्द्र बनाने में जुटे हुए थे लेकिन मैं

इस सदन के माध्यम से अपनी सरकार की ओर से पूरे राज्य को यह बताना चाहता हूँ कि :-

“कलम की दीवानगी का असर दिखाना होगा,
उजड़े चमन को एक बार फिर से बसाना होगा ।
ए बागबां किसने लूटा है तेरे बाग को,
उसे तो सबक सिखाना ही होगा ॥”

महोदय, हमारी एन0डी0ए0 की डबल इंजन की सरकार राजनीति में चरित्र को चरितार्थ करने वाली सरकार है । हमने हमेशा चालक बनकर बिहार को लूटने का नहीं, बल्कि चालक बनकर विकास की गति को तेज करने का प्रयास किया है । जिन्होंने चालक बनकर के चतुराई से गाड़ी चलाने का प्रयास किया, एक्सीडेंट हो गया । महोदय, बड़ा नुकसान बिहार का हुआ है । हमारा बिहार और बिहारी गाली न बने, बिहार गौरवशाली बने । महोदय, गौरवशाली के लिए विकास की गति को बढ़ाना हर क्षेत्र में पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण, भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाना आज एन0डी0ए0 का संकल्प है । प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को जमीन पर उतारने के लिए सबको संकल्पित होना होगा ।

महोदय, पथ निर्माण के अधीन क्रियान्वित की जा रही सभी परियोजनाओं से संबंधित विस्तृत विवरणी विभागीय प्रतिवेदन में अंकित कर माननीय सदस्यों के अवलोकन हेतु रक्षित है । महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि इस बिहार के अंदर जो वातावरण बना है लोग ठहर जाते हैं, जिंदगी के सफर ने, अंजाने में बहुत कुछ सिखा दिया । महोदय, लोग उस दिन कह रहे थे कि एक ही पंचवर्षीय में तीन-तीन अवसर मिला । यह अवसर हमने रानी के पेट से जन्म लेकर नहीं लिया था, कर्म के बल पर जाति के नाम पर नहीं, जमात की राजनीति करके हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व ने यह अवसर हमें दिया है । महोदय, जिंदगी के सफर ने, अंजाने में बहुत कुछ सीखा दिया । जो सबक सीखाया हमें जमाने ने, वह सबक किताबों में दर्ज था ही नहीं । महोदय, आप चाहते हैं कि वर्तमान में वर्तमान अतीत से भिन्न हो तो अतीत का अध्ययन करना पड़ेगा, अतीत से सबक लेना पड़ेगा ।

महोदय, मैं तो कहना चाहूँगा, अब मैं माननीय विरोधी दल के सदस्यों से भी जो उपस्थित नहीं है । उनसे आग्रह करूँगा कि आप सभी अपना कटौती प्रस्ताव वापस लें साथ ही, पूरे सदन से अनुरोध करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये पथ निर्माण विभाग के मांग की स्वीकृति देने की कृपा प्रदान कर एक नये

बिहार, एक विकसित बिहार, एक नये बिहार के गौरवशाली वातावरण की ओर आप कदम बढ़ाये । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर समाप्त हुआ ।
क्या माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?
(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“इस शीर्षक के मुख्य शीर्ष-3054, उप मुख्य शीर्ष-80, लघु शीर्ष-001, उप शीर्ष-0001 के लिए 1,90,03,000/- रुपये की मांग 15,00,000/- रुपये से घटाई जाय ।”

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“पथ निर्माण विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 5702,80,56,000/- (पाँच हजार सात सौ दो करोड़ अस्सी लाख छप्पन हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।”

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक- 22 फरवरी, 2024 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या-38 हैं । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाए ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक- 23 फरवरी, 2024 के 11:00 बजे पूर्वाहन तक के लिए स्थगित की जाती है ।